इग्नू
जन–जन का
विश्वविद्यालय
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ

BCOC-135

कम्पनी विधि

खंड

2

मुख्य प्रलेख

इकाई 6
सीमानियम 101

इकाई 7
अन्तर्नियम 125

इकाई 8
प्रविवरण 145

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

खंड 2 मुख्य प्रलेख (PRINCIPAL DOCUMENTS)

कम्पनी के निर्माण के लिये और इसे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कई प्रलेख बनाने होते हैं। इनमे मुख्य हैं : (i) सीमानियम, (ii) अन्तर्नियम और (iii) प्रविवरण। सीमानियम कम्पनी के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करता है और बाहरी व्यक्तियों से इसके संबंध को निर्धारित करता है। कम्पनी के अन्तर्नियम में इसके आन्तरिक मामलों की व्यवस्था के संबंध मे ंनियम दिये होते हैं। प्रविवरण का उद्देश्य कम्पनी के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना और प्रत्याशित निवेशकों को कम्पनी के शेयरों और ऋणपत्रों के लिये अभिदान करने को प्रेरित करना है।

इस खंड में आप इन तीनों इकाइयों 6, 7, और 8 में इन प्रलेखों के महत्व, विषय–सामग्री और संबंधित नियमों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

इकाई 6 सीमानियम (Memorandum of Association) के बारे में है। इसमें सीमानियम का अर्थ, उद्देश्य एवं विषय–सामग्री के संबंध में तथा इसके विभिन्न खंडों में परिवर्तन करने की विधियों के संबंध में विचार किया गया है।

इकाई 7 में अन्तर्नियम (Articles of Association) का अर्थ, महत्व और विषय सामग्री के बारे में बताया गया है। इसमें परिवर्तन करने की विधि भी बतायी गयी है तथा सीमानियम और अन्तर्नियम के प्रभाव और प्रलक्षित सूचना का सिद्धान्त और आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त पर भी विचार किया गया है।

इकाई 8 प्रविवरण (Prospectus) के संबंध में है। इसमें इसका अर्थ, उद्देश्य और विषय सामग्री स्पष्ट की गयी है। इसमें प्रविवरण में मिथ्यानिरूपण की स्थिति में पीड़ित पक्ष को उपलब्ध उपचारों पर भी विचार किया गया है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 6 सीमानियम (Memorandum of Association)

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 सीमानियम का अर्थ एवं उद्देश्य

6.3 सीमानियम– यह क्या एक अपरिर्वतनीय चार्टर है?

6.4 सीमानियम का प्रारूप

6.5 सीमानियम की विषय–वस्तु

- 6.5.1 नाम खंड
- 6.5.2 पंजीकृत कार्यालय खंड
- 6.5.3 उद्देश्य खंड
- 6.5.4 दायित्व खंड
- 6.5.5 पूँजी खंड
- 6.5.6 संघ खंड/अभिदान खंड

6.6 शक्तिबाह्यता का सिद्धान्त

6.7 सीमानियम के विभिन्न खंडों में परिवर्तन

- 6.7.1 नाम में परिवर्तन
- 6.7.2 पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन
- 6.7.3 उद्देश्य खंड में परिवर्तन
- 6.7.4 दायित्व खंड में परिवर्तन
- 6.7.5 पूँजी खंड में परिवर्तन

6.8 सारांश

6.9 शब्दावली

6.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.11 स्वपरख प्रश्न

6.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- सीमानियम के अर्थ एवं उद्देश्य का वर्णन कर सकें;
- विभिन्न प्रकार की कम्पनियों के लिए उपयुक्त सीमानियम के विभिन्न प्रारूपों को बता सकें;
- सीमानियम के विभिन्न खंडों की सूची बना सकें;
- शक्तिबाह्यता के सिद्धांत की व्याख्या कर सकें; और
- सीमानियम के विभिन्न खंडों में परिवर्तन करने की पद्धति का वर्णन कर सकें।

6.1 प्रस्तावना

पिछले खंड में आप ने पढ़ा कि कम्पनी संगठन साझेदारी के मुकाबले कुछ विशेष लाभ प्रदान करता है। सीमित दायित्व और प्रबंध का स्वामित्व से अलग होना बड़े उद्योगों को चलाने में मददगार है। इसलिए, कम्पनी संगठन बहुत लोकप्रिय है, विशेष रूप से जहां काफी अधिक पूंजी चाहिए। एक कम्पनी का गठन करने के लिए कुछ प्रलेख रजिस्ट्रार के पास जमा कराने पड़ते हैं। सब से महत्वपूर्ण प्रलेख जमा कराया जाता है वह सीमानियम (Memorandum of Association) है। इस इकाई में आप सीमानियम का अर्थ एवं उद्देश्य पढ़ेंगे। आप इस प्रलेख की विषय वस्तु के बारे में तथा इसके विभिन्न खंडों में परिवर्तन करने की विधि का भी अध्ययन करेंगे।

6.2 सीमानियम का अर्थ एवं उद्देश्य

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (56) के अन्तर्गत 'सीमानियम का अर्थ मूल रूप से बने हुए अथवा किसी पूर्व कम्पनी अधिनियम या इस कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित सीमानियम से है।' यह परिभाषा न तो इस प्रलेख का प्रारूप और न ही इस का महत्व बताती है। इसलिए हम सीमानियम की परिभाषा जो न्यायधीशों ने दी है उनका अध्ययन करेंगे। पालमर के अनुसार कम्पनी जो गठन के लिए प्रस्तावित है सीमानियम उस का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। इस दस्तावेज में उद्देश्य दिए होते हैं जिन के लिए कम्पनी का गठन हुआ है और इस में कम्पनी का कार्यक्षेत्र दिया होता है जिस से बाहर कोई कार्य नहीं हो सकता। यह कम्पनी के अधिकार को परिभाषित एवं सीमित करती है। इन अधिकारों से बाहर कम्पनी यदि कोई कार्य करती है तो ऐसे कार्य शक्तिबाह्य (ultra vires) कहलाते हैं और व्यर्थ माने जाते हैं।

ऐशबरी रेलवे कैरिज एण्ड आयरन क० बनाम रिचे (Ashbury railway carriage vs Riche) के प्रसिद्ध केस में लार्ड केर्न्स ने कहा ''सीमानियम कम्पनी के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करता है। इस में दोनों बातें होती हैं: – वह जो 'हाँ' में और वे जो 'ना' में होती हैं। जो 'हाँ' में होती हैं वे जो कानून द्वारा शक्ति की सीमा को बताती हैं और 'ना' में जो बातें हैं वह उस सीमा के बाहर नहीं की जा सकतीं।''

अतः सीमानियम शेयरधारियों, ऋणदाताओं एवं उन समस्त व्यक्तियों, को जो इस के साथ लेन देन करते हैं, बतलाता है कि इसके अधिकार क्या हैं और इस का कार्य क्षेत्र क्या है। एक भावी शेयरधारी यह जान सकता है कि उसका धन किन कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा तथा निवेश करने में वह कितना जोखिम उठा रहा है। इस प्रकार कम्पनी के साथ व्यवहार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जैसे माल सप्लाई करने वाला या ऋणदाता यह जान सकेगा कि जो लेन देन वह कम्पनी के साथ करने जा रहा है वह कम्पनी के अधिकार क्षेत्र के भीतर है या नहीं और वह सीमानियम के वर्णित उद्देश्य खंड के शक्तिबाह्य नहीं है। संक्षेप में, सीमानियम कम्पनी का संविधान है। यह वह नींव है जिस पर कम्पनी का ढांचा खडा होता है।

6.3 सीमानियम – क्या यह एक अपरिवर्तनीय चार्टर है ?

आपने पैरा 6.2 में पढ़ा कि सीमानियम न केवल कम्पनी के अधिकार को परिभाषित करता है बल्कि उन्हें सीमित भी करता है। कोई कम्पनी सीमानियम द्वारा दिए गए अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं कर सकती। सीमानियम के क्षेत्र से बाहर किया गया कार्य व्यर्थ एवं निष्क्रीय होगा। सीमानियम का उद्देश्य शेयरधारियों, लेनदारों और

जो कम्पनी के साथ व्यापार करते है उन्हें यह जानकारी देना है कि कम्पनी का कितना कार्यक्षेत्र है। यह शेयरधारियों को यह बताता है कि उनके धन का कितना उद्देश्य के लिए उपयोग किया जायेगा। जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि सीमानियम एक ऐसा दस्तावेज है जिस के आधार पर कम्पनी का गठन होता है। इसलिए यह उचित है कि इस दस्तावेज के खंडों को प्रायः जल्दी बदलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसलिए कम्पनी अधिनियम में विस्तार से सीमानियम के परिवर्तन के लिए नियम बनाए गये हैं। अधिनियम की धारा 13 कहती है कि सिवाएं पूँजी खंड के (जो साधारण प्रस्ताव पारित से परिवर्तित हो सकता है) कम्पनी सीमानियम में परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करने के अतिरिक्त इस धारा में जो विशेष पद्धति निर्धारित की है, उस पद्धति के अनुसार ही परिवर्तन कर सकती है। धारा 13 में नाम, पंजीकृत कार्यालय, उद्देश्य, दायित्व खंडों के परिवर्तन करने का प्रावधान है।

इन शर्तों को प्रत्येक सीमानियम में गर्भित (implied) माना जाता है। नाम खंड और पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। ऐसी कोई कम्पनी, जिस ने प्रास्पेक्टस के माध्यम से जनता से धन जुटाया है और अभी तक उस के पास इस जुटाए धन की अनुपयोजित रकम है तब तक अपने उद्देश्यों को परिवर्तित नहीं करेगी जिस के लिए अपने प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जुटाया है जब तक कि कम्पनी में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है और असहमति व्यक्त करने वाले शेयर धारकों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विनियमों के अनुसार नियंत्रण रखने वाले प्रर्वतकों और शेयरधारकों द्वारा कम्पनी छोड़ने का अवसर नहीं दिया जाता।

अतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि सीमानियम कम्पनी के एक चार्टर है परन्तु यह अपरिवर्तनीय नहीं है। इस प्रलेख के विभिन्न खंडों को अधिनियम में दिए हुई पद्धति के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है।

6.4 सीमानियम का प्रारूप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अनुसार कम्पनी सीमानियम अनुसूची 1 में तालिका A,B,C,D और E विभिन्न प्रारूप दिये हैं जो विभिन्न प्रकार की कम्पनियों पर लागू होते हैं। धारा 3 और 4 को धारा 7 के साथ पढ़ने पर और उन के अन्तर्गत बनाए नियमों के अनुसार सार्वजनिक कम्पनी में सात और निजी कम्पनी मे दो व्यक्तियों के और एक व्यक्ति कम्पनी में एक व्यक्ति के हस्ताक्षर एक गवाह की उपस्थिति में होने चाहियें व एक गवाह जो उनके हस्ताक्षरों को प्रमाणित करेगा। प्रत्येक अभिदाता को अपने नाम के आगे उस ने कितने शेयर लिए हैं लिखने होंगे। सीमानियम पर हस्ताक्षरकर्ता अपना पता, विवरण और व्यवसाय लिखेगें। इसी प्रकार गवाह को भी लिखने होंगे। तालिकाएं इस प्रकार हैं।

तालिका A– शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी के लिए

तालिका B– गारंटी द्वारा सीमित कम्पनी के लिए जिस की शेयर पूंजी नहीं है।

तालिका C– गारंटी द्वारा सीमित कम्पनी के लिए जिस की शेयर पूंजी है।

तालिका D– असीमित दायित्व वाली कम्पनी जिस की शेयर पूंजी नहीं है।

तालिका E– असीमित दायित्व वाली कम्पनी जिस की शेयर पूंजी है।

आप यह नोट करें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो नियम बनाए गये हैं

उन के अनुसार गवाह को यह कथन देना होगा कि "मैं इस अभिदाता/अभिदाताओं का गवाह हूँ जिन्होंने अभिदान दिया है और मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए हैं (तारीख व स्थान के साथ) और मैनें उस/उन के पहचान पत्रों का उन की पहचान के लिए सत्यापन कर लिया है और उन्होने पहचान के लिए जो विवरण दिए है उन से में संतुष्ट हूँ।

यदि सीमानियम का अभिदाता अशिक्षित है वह अगूंठे का निशान या चिन्ह लगाएगा जिसे जो व्यक्ति जो उस के लिए लिख रहा है वह वैसा विवरण देगा और वह अभिदाता का नाम उस निशान के नीचे लिखेगा और अपने हस्ताक्षर से उसे प्रमाणित करेगा। वह उस अभिदाता के नाम के आगे उस ने जितने शेयर लिए हैं उन की संख्या भी लिखेगा। ऐसा व्यक्ति सीमानियम और अन्तर्नियम की विषय सामग्री को अभिदाता को पढ़ कर समझाएगा और उन दोनों दस्तावेजों पर इस बारे में पुष्टि करेगा।

यदि सीमानियम (ज्ञापन) का अभिदाता कोई निगमित निकाय है तो सीमानियम और अतंर्नियमों (अनुच्छेद) पर कोई उस निगमित निकाय का निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी हस्ताक्षर करेगा जिसको उस निगमित निकाय के निदेशक बोर्ड ने प्रस्ताव द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया हो।

यदि अभिदाता कोई सीमित दायित्व साझेदारी है तो ऐसी साझेदारी का कोई साझेदार इन पर हस्ताक्षर कर सकेगा। परन्तु सीमित दायित्व साझेदारी के सारे साझेदारों द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर ऐसे साझेदार को प्राधिकृत करना होगा परन्तु किसी भी दशा में प्राधिकृत व्यक्ति, एक ही समय में, सीमानियम और अन्तर्नियम दोनों का अभिदाता नहीं हो सकेगा।

कम्पनी नियमों में पहली बार विदेशी नागरिक, जो भारत से बाहर रहता हो के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने के बारे में विशिष्ट विधि दी गई है।

6.5 सीमानियम की विषय–वस्तु

धारा 4 के अनुसार सीमानियम में निम्नलिखित बाते दर्शाई जानी चाहिएः

(क) कम्पनी का नाम, सार्वजनिक कम्पनी की दशा में नाम के अंत के 'लिमिटेड' और निजी कम्पनी के नाम के अंत में 'प्राइवेट लिमिटेड जोड़े जाने चाहिये। ये धारा 8 के अधीन पंजिकृत किसी कम्पनी को लागू नहीं होगा (पूर्व उद्देश्यों (charitable objects) वाली कम्पनी)। धारा 12 के अनुसार 'एक व्यक्ति कम्पनी' शब्द एक व्यक्ति कम्पनी के नाम के नीचे कोष्टकों के उल्लिखित करना होगा।

(ख) उस राज्य का नाम लिखा जाना चाहिए जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

(ग) कम्पनी के उद्देश्य जिन के लिए कम्पनी निगमित करने का प्रस्ताव है और ऐसा कोई विषय जो अग्रसर में आवश्यक समझा जाए।

(घ) कम्पनी के सदस्यों का दायित्व, चाहे सीमित हो या असीमित और उस में निम्नलिखित भी होगा –

(i) शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी की दशा में, उसके सदस्यों का दायित्व उन के द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में अदत्त रकम तक, यदि कोई हो, सीमित है।

(ii) गारंटी द्वारा सीमित कम्पनी की दशा में वह रकम जिस का प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित के लिए अंशदान करने का वचन देता है:

(अ) उस के सदस्य रहते हुए या उस के सदस्य न रहने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर कम्पनी के परिसमापन की दशा में, कम्पनी की परिसम्पतियों में, यथास्थिति, कम्पनी के ऋणों और दायित्वों के भुगतान के लिए या ऐसे ऋणों और दायित्वों के भुगतान के लिए, जिन के लिए उस के सदस्य न रहने के पूर्व संविदा की गई हों और

(ब) परिसमापन की लागतों, प्रभारो और व्यय तथा अंशदानों (contribution) के बीच उनके अधिकारों के समायोजन के लिए;

(ड़) शेयर पूंजी वाली कम्पनी की दशा में –

(i) शेयर पूँजी की वह रकम, जिस के साथ कम्पनी को पंजीकृत किया जाना है और उस का नियत रकम के शेयरों में विभाजन तथा उन शेयरों की संख्या, जिन के लिए सीमानियम के अभिदाता, अभिदान करने की सहमति देते है, जो एक शेयर से कम नहीं होगा; और

(ii) उन शेयरों की संख्या, जो सीमानियम का प्रत्येक अभिदाता लेने का आशय रखता है, जो उस के नाम के सामने उपदर्शित है;

(च) एक व्यक्ति कम्पनी की दशा में, उस व्यक्ति का नाम, जो अभिदाता की मृत्यु की दशा में कम्पनी का सदस्य बनेगा।

यह नोट करें कि सीमानियम, यदि अधिनियम 2013 के उपबंधों के प्रतिकूल है, तो यथास्थिति, कानूनी प्रभाव से वह शून्य हो जाएगा (धारा 6)।

अब हम सीमानियम के विभिन्न खंडों का वर्णन करेगें।

6.5.1 नाम खंड (धारा 4(1)(a)

कम्पनी एक पृथक कानूनी अस्तित्व है इसलिए इस का एक नाम होना चाहिए ताकि इस की अलग पहचान हो सके। प्रवर्तक कम्पनी का कोई भी नाम रख सकते हैं परन्तुः–

1) सार्वजनिक कम्पनी, यदि शेयरों द्वारा या गारंटी अंश सीमित कम्पनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द और निजी कम्पनी के नाम के अंत में 'प्राइवेट लिमिटेड' शब्द अवश्य जोड़े जाने चाहिए। परन्तु धारा 8 के अन्तर्गत संस्था जिसका उद्देश्य लाभ नहीं है वाली कम्पनी, यदि केंद्रीय सरकार अनुमति दे तो उन्हें 'सीमित' या 'निजी सीमित' शब्द प्रयोग न करने पर छूट है।

2) सीमानियम में दिया हुआ नाम

(अ) कम्पनी अधिनियम 2013 या किसी पूर्व कम्पनी विधि के अधीन पंजीकृत किसी मौजूदा कम्पनी के नाम के समान या उस के मिलता जुलता नहीं होना चाहिए; या

(ब) ऐसा न हो कि कम्पनी द्वारा उस का प्रयोग :–

(i) उस समय लागू किसी विधि के अधीन कोई अपराध बन जाएगा या

(ii) केन्द्रीय सरकार की राय में अवांछनीय है

और कोई कम्पनी किसी ऐसे नाम से पंजीकृत नहीं होगी जिस में –

क) ऐसा कोई शब्द या अभिव्यक्ति अन्तर्विष्ट है जिस से यह प्रभाव पड़ने की संभावना है कि कम्पनी किसी रूप में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उस समय लागू किसी विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गठित किसी स्थानीय प्रधिकरण, निगम या निकाय से संबधित है या उस के सरंक्षण में है इसलिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्र, निगम या पंचायत जैसे शब्दो की अनुमित नहीं दी जायेगी; या

ख) ऐसे शब्द या अभिव्यक्ति है जो विहित किए जाएं; जब तक कि केन्द्रीय सरकार से उन शब्दों के उपयोग की पूर्व अनुमति न प्राप्त कर ली गई हो।

अवांछनीय नाम

इस सम्बन्ध में केन्दीय सरकार ने, कम्पनी अधिनियम 2013 के अर्न्तगत कम्पनी (निगमन) नियम 2014, के नियम 8; जो कम्पनी (निगमन) नियम 2019 द्वारा संशोधित के अधीन इस प्रकार बनाए हैंः–

यह निर्धारित करने के लिए कि प्रस्तावित नाम किसी और नाम के समान है, निम्नलिखित कारणों से हुए अन्तरों को नहीं माना जायेगा अर्थात् प्रस्तावित नाम केवल अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातों से भिन्न नहीं माना जाएगा

- अक्षरों के प्रकार और दशा, अक्षरों के बीच रिक्त स्थान और विराम चिन्ह;
- शब्दों को आपस में जोड़ना या अलग करना;
- भिन्नता वाली ध्वनि वर्तनी (Phonetic spellings) या घटी बढ़ी वर्तनी (spelling variations) का प्रयोग। उदाहरण जैसे, वर्तमान में मौजूद P.Q. Industires और फिर Pee Que industries या P n Q industries या P & Q Industries को अनुमति नहीं मिलेगी।

  इसी ही प्रकार यदि नाम में संख्यात्मक अक्षर है जैसे "3" तो समान शब्द "तीन" मान्य नहीं होगा।
- इंटरनेट सम्बन्धित शब्द जैसे .Com, .Net .edu, .gov, .org, in मान्य नहीं हैं;
- शब्द जैसे New, Modern, Nav, Shri, Sri, Shree, Om, Jai, Sai, The इत्यादी;
- समान शब्दों के विभिन्न संयोग उदाहरणार्थ यदि किसी वर्तमान कम्पनी का नाम "Builders and Contractors" है तो "Contractors and Builders" नाम की अनुमति नहीं है जब तक वर्तमान कम्पनी अपना नाम बदल नहीं देती;
- यदि प्रस्तावित नाम हिन्दी या इंगलिश का अनुवाद है या वर्तमान कम्पनी का नाम लिप्यंतरण (transliteration) है या सीमित दायित्व साझेदारी इंग्लिश या हिन्दी में है जैसी भी यथास्थिति हो।

  पुनः कोई भी नाम अवांछनीय माना जाएगा यदिः

  यह संप्रतीक और नाम (निवारण और अनुचित प्रयोग) अधिनियम 1950 की धारा 3 के प्रावधान का उल्लघंन करता हो। [Emblems and Names (Prevention and and Improper Use) Act, 1950 (12 of 1950)].
- इस में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का नाम या ऐसा व्यापार चिन्ह जिसकी रजिस्ट्री के लिए आवेदन दिया हुआ है सम्मिलित है जब तक कि व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कराने वाले स्वामी या आवेदक, जैसा भी हो, उस की स्वीकृति प्रवर्तक ने ना ली हो।

- जब ऐसे शब्द, जो किसी वर्ग के लोगों के प्रति आक्रमक हों, सम्मिलित किए हों, कोई नाम सामान्यतः अवांछनीय माना जाएगा यदि :–
- प्रस्तावित नाम किसी सीमित दायित्व साझेदारी के नाम के समान या उस से मिलता जुलता (अतिसदृश) है;
- नाम कम्पनी के उद्देश्यों को दर्शाता हो और कम्पनी के मुख्य उद्देश्य, जो सीमानियम (ज्ञापन) में दिए हैं उनके अनुरूप नहीं हैं;
- कम्पनी का मुख्य कारोबार यदि वित्तीय, लीज, चिट फंड, निवेश प्रतिभूतियों या इनके संयोजन से सम्बन्धित है तो नाम की मंजूरी नहीं होगी जब तक उन का नाम इन वित्तीय कार्यों का संकेत नहीं करता जैसे चिट फंड/निवेश/ऋण आदि;
- जब नाम किसी वर्तमान कम्पनी या सीमित दायित्व साझेदारी के लोकप्रिय या संक्षिप्त विवरण से बहुत अधिक मिलता जुलता है;
- जब प्रस्तावित नाम किसी कम्पनी या सीमित दायित्व साझेदारी जिन का भारत के बाहर निगमन हुआ है के समान या अतिसदृश है और ऐसी कम्पनी या सीमित दायित्व साझेदारी ने रजिस्ट्रार के पास आरक्षित कर लिया हो।

  परन्तु यदि विदेशी कम्पनी भारत में अपनी नियंत्रित कम्पनी का निगमन करती है तो नियत्रंक कम्पनी के मौलिक नाम के साथ शब्द 'भारत' या किसी भारतीय राज्य या शहर का नाम, यदि अन्यथा उपलब्ध है, जोड़ा जा सकेगा;
- प्रस्तावित नाम से किसी राजदूतावास या कौसंल या विदेशी सरकार से किसी संबध का अभास हो;
- प्रस्तावित नाम किसी राष्ट्रीय पराक्रमी पुरुष के नाम या उसे से सम्बंधित हो या ऐसे व्यक्ति का नाम जिस को अधिक मान दिया हो या महत्वपूर्ण व्यक्ति जो सरकार में ऊंचे पद पर रह हो या है;
- प्रस्तावित नाम अस्पष्ट हो या संक्षिप्त हो जैसे ABC Limited or 23K Limited or 'DJMO' Limited, प्रर्वतक के संक्षिप्त नाम की अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिएः BMCD LTd में पहला अक्षर प्रर्वतक के नाम का हो जैसे भारत, महेश, चन्दन और डेविड (Bharat, Mahesh, Chandan and David)।

  कोई वर्तमान कम्पनी अपना संक्षिप्त नाम अपनी नई कम्पनी जो उस की नियंत्रित कम्पनी है या सहयोजित कम्पनी या सहउधम कम्पनी (Joint Venture) है उस के नाम से भाग के रूप में प्रयोग कर सकती है।
- प्रस्तावित नाम ऐसी कम्पनी के नाम के समान है जिस का समापन के परिणाम स्वरूप विघटन हो गया है और ऐसे विघटन को दो वर्ष नहीं बीते है। अधिनियम की धारा 356 के अनुसार अधिकरण दो वर्ष के भीतर कम्पनी के विघटन को शून्य घोषित कर सकती है।
- नाम किसी सीमित दायित्व साझेदारी जो समापन की प्रक्रिया में है उस के नाम के समान या मिलता जुलता या उस सीमित दायित्व साझेदारी से जिस का नाम पांच वर्ष के लिए रद्द कर दिया हो ।
- प्रस्तावित नाम में ऐसे शब्द हों जैसे "बीमा", "बैंक" "स्टाक एकस्जेंज" Venture Capital, Asset Management, निधी, Mutual fund इत्यादि। जब तक की आवेदक यह घोषणा नहीं देता कि IRDA, RBI, SEBI, MCA इत्यादि द्वारा बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया है।

- यदि प्रस्तावित नाम में शब्द 'राज्य' शामिल है, तो यह केवल सरकारी कम्पनी ही यह शब्द प्रयोग कर सकती है;
- प्रस्तावित नाम में केवल किसी महाद्वीप, देश, राज्य, शहर का नाम हो जैसे एशिया लिमिटेड, हरियाणा लिमिटेड मैसूर लिमिटेड;
- नाम केवल सामान्य नाम है जैसे कि कॉटन टेक्स्टाईल मिल्स लिमिटेड, सिल्क मैनुफेकचरिंग लि, और ना कि सिल्क मैनुफेकचरिंग कम्पनी लि०;
- यह इस आशय से हो या एक भ्रामक प्रभाव उस की गतिविधियों के बारे दे जो वास्तव में उस के उपलब्ध साधनों से अधिक है;
- प्रर्वतक के या उन के निकट रक्त संबंधी रिश्तेदार के नाम के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति का प्रस्तावित नाम जो नाम मे एक मूल शब्द जैसे प्रयोग हो । ऐसे दूसरे व्यक्ति से नाम के आवेदन पत्र के साथ 'कोई आपत्ति नहीं' पत्र संलग्न करना।

बहुत अधिक मिलते जुलते नाम

बहुत अधिक मिलते जुलते नाम जब होते हैं जब वे एक दूसरे के समरूप हो जो धोखे में डाल सकें। कोई नाम धोखे में डालने वाला जब होता है जब किसी वर्तमान कम्पनी के नाम से उस का कोई सम्बन्ध प्रतीत होता है। **उदाहरण : Ewing vs. Butter Cup Margarine Co. Ltd (1917) के वाद में वादी के जो Butter Cup Dairy Co.** के नाम से व्यापार करता था, प्रतिवादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा (injunction) इस आधार पर दिया गया कि जनता यह सोच सकती है कि दोनों व्यापारों का सम्बन्ध है क्योंकि शब्द "Butter Cup" अनावश्यक और भ्रामक है।

फिर भी, केवल कुछ शब्दों के समान होने से नाम समरूप नहीं हो जाता और न ही अवांछनीय। अतः **Society of Motor Manufactures and Traders Limited vs. Motor Manufactures and Trader Mutual Assurance Ltd** के वाद में वादी कम्पनी ने प्रतिवादी के विरुद्ध इस नाम का प्रयोग न करने की मांग की परन्तु लॉरेंस ज;, ने निर्णय दिया कि "किसी ने भी इस विषय के बारे में सोचने का कष्ट किया होता तो पता चलता कि प्रतिवादी एक बीमा कम्पनी थी और वादी की संस्था एक व्यापार की रक्षा करने वाली संस्था थी और मै यह नहीं सोचता कि प्रतिवादी कम्पनी अपना व्यापार बन्द कर दे जब तक यह अपना नाम नहीं बदलती क्योंकि एक विचारहीन व्यक्ति ही बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में अनुचित निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि इस का वादी की संस्था से सम्बंध है।

इसी प्रकार **Asiatic Government Society Life Insurance Company Ltd vs. New Asiatic Insurance Company Ltd (1939)** के वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि दोनों नाम समान नहीं है और प्रतिवादी पर रोक नहीं लगाई।

अतः कोई नाम बहुत समान है या नहीं और इसकी आज्ञा दी जाए या नहीं यह प्रत्येक स्थिति पर निर्भर है और वास्तविकता का प्रश्न है।

नाम का प्रकाशन करना (धारा 12)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 12 की उपधारा (3) के अनुसार प्रत्येक कम्पनीः–

(क) अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के नाम और पते को ऐसे कार्यालय के बाहर या ऐसे स्थान पर जहां से कारोबार चलाया जाता है किसी सहजदृश्य स्थिति में पढ़ने योग्य अक्षरों में पेंट कराएगी या लगाएगी, और उस भाषा में जो उस जगह उपयोग होती है, में भी पेंट कराएगी या लगाएगी।

(ख) उस का नाम उस की मुद्रा पर पठनीय अक्षरों में अंकित होगा। (यदि कोई है)

(ग) अपने सभी कारोबार पत्रों, बीजक, पत्रों पर्णों और अपनी सभी सूचनाओं और अन्य शासकीय प्रकाशनों में अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के नाम, पते और निगमन पहचान सख्यांक के साथ टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर, यदि कोई है, ई–मेल और वेबसाइट, यदि कोई है, का पता मुद्रित कराएगी और

(य) हुंडियों, वचनपत्रों, विनिमय पत्रों, और ऐसे अन्य दस्तावेजों जो निर्धारित किए जाएं, पर अपना नाम उत्कीर्ण कराएगी।

परन्तु जहां कम्पनी ने पिछले दो वर्षों के दौरान अपने नाम या नामों में परिवर्तन किया हैं वह खंड (क) और खंड (ग) के अधीन अपेक्षानुसार, अपने नाम के साथ, पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रकार परिवर्तित किए गए नाम या नामों को यथास्थिति पेंट करायेगी, लगायेगी या मुद्रित करेगी।

एक व्यक्ति कम्पनी की दशा में जहां कहीं उस का नाम मुद्रित है लगाया गया है, या उत्कीर्णित है वहां ऐसी कम्पनी के नाम के नीचे 'एक व्यक्ति कम्पनी' शब्द कोष्ठकों मे उल्लिखित किया जाएगा।

दंड (Penalty)

यदि कम्पनी अपना नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता निर्धारित विधि अनुसार पेंट करती या लगाती नहीं है तो धारा 12(8) के अनुसार यदि अपेक्षाओं के अनुपालन में कोई चूक की है तो कम्पनी और ऐसी प्रत्येक अधिकारी जिसने चूक की है, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिस के दौरान चूक जारी रहती हैं एक हजार रूपए दंड प्रतिदिन किंतु जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगा तक जुर्माने के लिए दायी होगा।

6.5.2 पंजीकृत कार्यालय खंड (धारा 4(1) (इ)

इस खंड में उस राज्य का नाम लिखा जाता है जहां पंजीकृत कार्यालय स्थित है। प्रत्येक कम्पनी का एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए, इससे उसका अधिवास (domicile) निर्धारित होता है। वास्तव में यह कम्पनी का वह पता होता है जहाँ सामान्यतः कम्पनी की सांविधिक पुस्तकें रखी जाती हैं तथा इस पते पर ही कम्पनी की सूचनाएं तथा अन्य संदेश भेजे जा सकते हैं।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते की सूचना निगमन की तिथि के 30 दिन के अन्दर अवश्य भेजी जानी चाहिए धारा 12(1)। जैसा निर्धारित हो निगमन के तीस दिन के भीतर कम्पनी को अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते के सत्यापन को रजिस्ट्रार को अवश्य भेजना होगा (धारा 12(2)।

6.5.3 उद्देश्य खंड (धारा 4(1) (ब))

यह खंड कम्पनी के उद्देश्य की व्याख्या करता है और इस प्रकार यह कम्पनी के कार्य–क्षेत्र को परिभाषित करता है। धारा 4(1) (c) के अनुसार वे उद्देश्य, जिन के लिए कम्पनी को निगमित किए जाने का प्रस्ताव है और ऐसा कोई विषय जो उन को अग्रसर करने में आवश्यक समझा जाए इस खंड में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

कम्पनी कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो उसके उद्देश्य वाक्य के परे या बाहर है तथा इससे बाहर किया गया प्रत्येक कार्य 'शक्तिबाह्य (ultra vires) तथा व्यर्थ होगा। ऐसे कार्यों की सारे शेयरधारी मिलकर भी पुष्टि नहीं कर सकते। परन्तु कम्पनी ऐसे कार्य कर सकती हैं जो मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या प्रासंगिक है या सहायक कार्य हैं तथा ऐसे कार्यों को शक्ति बाह्य नहीं माना जाता। **(Attonery**

General vs. G.E. Rly Co. (1880) । इस प्रकार एक व्यापारिक कम्पनी को धन उधार लेने, विनिमय बिल लिखने व स्वीकार करने का निहित अधिकार होता है।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखें कि उद्देश्य खंड में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जानी चाहिए जो अवैधानिक, अनैतिक या लोक–नीति के विपरीत हो अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लघंन करने वाली हो। उदाहरण के लिए सार्वजनिक कम्पनी अपने शेयर का क्रय करने के लिए अपना ही धन प्रयोग नहीं कर सकती। (धारा 67(2)।

6.5.4 दायित्व खंड (Liability Clause)(धारा 4(1)(d)

यह खंड कम्पनी के सदस्यों के दायित्व की प्रकृति को दर्शाता है। सीमित दायित्व वाली कम्पनी को, जिस की शेयर पूंजी है, यह लिखना आवश्यक है कि सदस्यों का दायित्व शेयरों पर जो बकाया राशि है, उस तक ही सीमित है। अतः यदि शेयरधारी ने 10 रुपये अंकित मूल्य का शेयर क्रय किया है और अब तक 5 रुपये दिये हैं, उस से केवल 5 रुपये का मांग की जा सकती है। यदि उसने पूरे 10 रुपये दे दिये हैं तो उसका दायित्व शून्य होगा चाहे कम्पनी को देनदारों को कितना ही कर्ज देना हो।

गारंटी द्वारा सीमित कम्पनी के इस खंड में लिखा होता है कि उस का हर सदस्य समापन के समय, कितनी राशि लागतों, प्रभारों, खर्च और सम्पत्ति के लिए देगा।

असीमित दायित्व वाली कम्पनी के, चाहे उस के पास शेयर पूंजी है या नहीं, इस खंड में लिखा होता है कि सदस्यों का दायित्व असीमित होगा।

6.5.5 पूँजी खंड (Capital Clause) (धारा 4(1)(e)

इस खंड में पूँजी की कुल राशि दी जानी चाहिए जिससे कम्पनी पंजीकृत की गई है। इसे पंजीकृत (registered) या अधिकृत (authorised) या अंकित पूँजी (nominal capital) भी कहते हैं।

धारा 4 (1)(e) के अनुसार शेयर पूँजी वाली कम्पनी की स्थिति में सीमानियम में शेयर पूँजी की वह रकम, जिस के साथ कम्पनी को पंजीकृत किया जायेगा और उस का निश्चित रकम के शेयरों में विभाजन तथा शेयरों की संख्या जिन के लिए सीमानियम के अभिदाता, अभिदान की सहमति देते हैं जो एक शेयर से कम नहीं होगा, दर्शाना होगा।

शेयर पूँजी वाली सार्वजनिक कम्पनी की स्थिति में शेयर साधारण या पूर्वाधिकार (अधिगामी) वाले हो सकते हैं। अतः कम्पनी की पूँजी पूर्वाधिकार शेयर पूँजी तथा साधारण शेयर पूँजी हो सकती है। इस खंड में यह भी वर्णन किया जाना चाहिए कि शेयर पूँजी निश्चित राशि वाली कितने शेयरों में विभाजित है।

ये शेयर एक निश्चित मूल्य या राशि के होते हैं। इस निश्चित मूल्य को सममूल्य (par value) या अंकित मूल्य (nominal value) भी कहते हैं। इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये तथा पूर्वाधिकार शेयर 100 रुपये हो सकता है। इस खंड का प्रभाव यह है कि कोई कम्पनी सीमानियम में वर्णित पंजीकृत पूँजी से अधिक राशि के लिए शेयर जारी नहीं कर सकती जब तक सीमानियम में धारा 61 कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत परिवर्तन नहीं किया हो।

6.5.6 संघ खंड/अभिदान (Association Clause) धारा (4(1)(e))

हर कम्पनी के सीमानियम के अंत में एक संघ या अभिदान खंड होता है उस में सीमानियम के अभिदातोंओं की निम्नलिखित घोषणा रहती है।

'हम, कई व्यक्ति जिन के नाम और पते निर्दिष्ट हैं, इस सीमानियम के अनुसार एक कम्पनी के रूप में नियंत्रित होने के इच्छुक हैं और कम्पनी की पूँजी में अपने–अपने नामों के आगे लिखे गये शेयर लेना स्वीकार करते हैं।"

"एक व्यक्ति कम्पनी" की स्थिति में घोषणा इस प्रकार होगी 'मै जिस का नाम व पता नीचे दिया गया है, इस सीमानियम के अनुसार एक कम्पनी बनाने की इच्छा करता हूं और कम्पनी की पूंजी में सभी शेयरों को लेने के लिए सहमत हूं"

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सीमानियम पर कम से कम सात अभिदाता सार्वजनिक कम्पनी में, निजी कम्पनी में कम से कम दो अभिदातों के हस्ताक्षर होंगे और 'एक व्यक्ति कम्पनी' के गठन पर एक अभिदाता के हस्ताक्षर होंगे।

सीमानियम के अभिदान से संबंधित सांविधिक अपेक्षाएं:

क) सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता द्वारा एक गवाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने चाहिए और गवाह द्वारा प्रमाणित किए जाने चाहिए।

ख) प्रत्येक अभिदाता को कम से कम एक शेयर अवश्य लेना चाहिए।

ग) प्रत्येक अभिदाता को अपने नाम के आगे शेयरों की वह संख्या लिखनी चाहिए जो वह ले रहा है।

6.6 शक्तिबाह्यता का सिद्धान्त (Doctrine of Ultra Vires)

'बाह्य शब्द का अर्थ है बाहर या परे तथा 'शक्ति' का अर्थ है 'अधिकार'। इस प्रकार कम्पनी के शक्तिबाह्य होने का अर्थ है 'कम्पनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्य। आप पढ़ चुके हैं कि कम्पनी के सीमानियम के उद्देश्य खंड में कम्पनी के उद्देश्यों का उल्लेख होता है, अतः कोई भी ऐसा कार्य जो वर्णित उद्देश्यों के बाहर है तो वह 'शक्तिबाह्य कहलाएगा तथा वह पूर्णतया शून्य एवं अप्रवर्तनीय होगा। कम्पनी किसी भी ऐसे कार्य से बाध्य नहीं हो सकती है जो उसकी शक्ति या अधिकारों से परे है। शक्तिबाह्यता के सिद्धान्त का उद्देश्य सदस्यों, बाहरी व्यक्तियों तथा ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करना है। ये इस प्रकार है:

i) कम्पनी के सदस्यों को उन उद्देश्यों की जानकारी है जिनके लिए उनके धन का उपयोग किया जा सकता है।

ii) कम्पनी के साथ लेन–देन वाले बाहरी व्यक्तियों को भी उन उद्देश्यों की जानकारी होती है जिनके लिए कम्पनी की स्थापना की गई है, अतः बाहरी व्यक्तियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे कम्पनी के साथ ऐसे लेन–देन ही करें जो उन उद्देश्यों के अन्तर्गत है। इसी प्रकार ऋणदाताओं को भी इस बात का भरोसा रहता है कि कम्पनी की परिसम्पत्ति को अनाधिकृत व्यापार के जोखिम में नहीं डाला जाएगा।

अतः शेयरधारियों तथा कम्पनी के साथ अनुबन्ध करने वाले बाहरी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि कम्पनी के कार्य, सीमानियम में वर्णित उद्देश्य तक ही सीमित रहें। कम्पनी उद्देश्य वाक्य से परे कोई भी कार्य नहीं कर सकती और यदि वह कोई ऐसा कार्य करती है जो उद्देश्य खंड से परे है तो उसे शक्तिबाह्य कहा जाएगा और वह पूर्णतया व्यर्थ होगा।

शक्तिबाह्य कार्यों को निम्नलिखित तीन वर्गों मे विभाजित कर सकते है:

1. कम्पनी अधिनियम के लिए शक्तिबाह्य
2. सीमानियम के लिए शक्तिबाह्य, तथा
3. अन्तर्नियमों के लिए शक्तिबाह्य

1. **कम्पनी अधिनियम के लिए शक्तिबाह्यः** ऐसा कोई भी कार्य जो कम्पनी अधिनियम के लिए शक्तिबाह्य के प्रावधानों के विपरीत या परे है, शक्तिबाह्य कहलाता है। ऐसा कार्य पूर्णतया व्यर्थ होता है तथा सब शेयरधारियों द्वारा एकमत से उनकी पुष्टि भी नहीं की जा सकती है। ऐसे कार्यों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैंः

   (अ) पूँजी में से लाभांश का भुगतान, धारा 123

   (ब) बोनस शेयरों का लाभांश के बदले वितरण, धारा 63

   (स) अनधिकृत पूँजी का निर्गमन करना, धारा 62

   (द) कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना शेयर पूंजी का घटाना धारा 66।

2. **सीमानियम के लिए शक्तिबाह्य** : सीमानियम कम्पनी के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित एवं सीमित करता है। सीमानियम में कम्पनी के उद्देश्यों का वर्णन होता है। कम्पनी कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो उसके उद्देश्य खंड के अधिकार क्षेत्र से परे हो। उद्देश्य खंड के विपरीत किया गया प्रत्येक कार्य सीमानियम के लिए शक्तिबाá होगा तथा व्यर्थ होगा। सब शेयरधारी एकमत से ऐसे कार्यों की पुष्टि नहीं कर सकते।

   शक्तिबाह्यता का सिद्धान्त सर्वप्रथम **ऐशबरी रेलवे कैरेज क. बनाम रिचे (Ashbury Railway Carriage Co. vs. Riche)** के केस में प्रतिपादित किया गया। इस केस में कम्पनी का निगमन रेल सवारी डिब्बे व माल डिब्बे बनाने, बेचने व किराये पर देने तथा मैकेनिकल इंजीनियर एवं आम ठेकेदारी का व्यापार करने के लिए किया गया। कम्पनी के निदेशकों ने रिचे (Riche) के साथ एक अनुबन्ध किया जो रेलवे के ठेकेदार थे, इस अनुबन्ध के अनुसार उन्होंने बेल्जियम में एक रेल–मार्ग बनाने का अनुबन्ध किया। कम्पनी ने साधारण बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके इस अनुबन्ध की पुष्टि कर दी। बाद में, कम्पनी ने यह कहकर कि यह कार्य कम्पनी के लिए शक्तिबाह्य है, अनुबन्ध को रद्द कर दिया। कम्पनी पर अनुबन्ध भंग करने के लिए दावा किया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स (House of Lords) ने निर्णय दिया कि यह अनुबन्ध सीमानियम के लिए शक्तिबाह्य है अतः व्यर्थ है। सब शेयरधारी भी इस अनुबन्ध का पुष्टिकरण नहीं कर सकते, क्योंकि अनुबन्ध उद्देश्य खंड के विपरीत था।

   शक्तिबाह्य के सिद्धान्त को भारत में भी मान्यता प्रदान की गई है। **ए. एल. मुदलियार बनाम एल. आई. सी ऑफ इन्डिया (A.L. Mudaliar vs. LIC)** के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धान्त को मान्यता दी है।

3. **अन्तर्नियमों के लिए शक्तिबाह्यः** ऐसे कार्य जो अन्तर्नियम के लिए शक्तिबाह्य हैं परन्तु कम्पनी की शक्ति के अन्तर्गत है, वे अन्तर्नियम के लिए शक्तिबाह्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, अग्रिम राशि पर अन्तर्नियम में वर्णित ब्याज दर से अधिक ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान। ऐसे कार्य भी व्यर्थ होते हैं, परन्तु कम्पनी अपनी साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके ऐसे अनाधिकृत कार्यों की पुष्टि कर सकती है।

शक्तिबाह्य कार्यों का प्रभाव

1. **प्रारम्भ से व्यर्थ** : कम्पनी की शक्ति के बाहर किया गया कार्य पूर्णतया व्यर्थ होता है तथा कम्पनी के प्रति उन्हे प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।

2. **पुष्टि नहीं** : कम्पनी की शक्ति के बाहर किए गये कार्यों की सब शेयरधारी मिलकर भी पुष्टि नहीं कर सकते।

3. **अप्रवर्तनीय** : कम्पनी की शक्ति के बाहर किए गये कार्यों को न केवल बाहरी व्यक्ति कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तित कर सकते हैं बल्कि कम्पनी भी ऐसे कार्यों को बाहरी व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं कर सकती।

4. **निषेधाज्ञा** : जब कभी भी कम्पनी शक्तिबाह्य कार्य करती है या करने जा रही होती है, तो उसका कोई भी सदस्य न्यायालय की सहायता से निषेधाज्ञा प्राप्त करके कम्पनी को वह शक्तिबाह्य कार्य करने से रोक सकता है।

5. **निदेशकों का व्यक्तिगत दायित्व** : यदि शक्तिबाह्य कार्य से कोई हानि होती है जो उसके लिए निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

उपर्युक्त विवरण से अब तक आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि यदि कोई कार्य कम्पनी की शक्ति से बाहर है, तो ऐसा कार्य पूर्णतया व्यर्थ होता है। अतः यदि कम्पनी ऋण लेने की सीमा से अधिक उधार धन लेती है, तो यह शक्तिबाह्य कार्य होगा तथा ऋणदाता को कम्पनी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।

यहाँ यह ध्यान रहे कि यदि कोई कार्य निदेशकों के लिए शक्तिबाह्य है, परन्तु कम्पनी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है, तो ऐसा कार्य एकदम व्यर्थ नहीं होता। कम्पनी के शेयरधारी अपनी साधारण सभी में ऐसे कार्यों की पुष्टि कर सकते हैं, तथा जब ऐसे कार्यों की पुष्टि कर दी जाती है तो कम्पनी उन कार्यों के लिए बाध्य होती है। जैसे कम्पनी को ऋण लेने का तो अधिकार है, परन्तु निदेशकों को यह निश्चित राशि तक ही उधार लेने का अधिकार है। अब यदि निदेशक अपने अधिकारों से बाहर जाकर अधिक राशि ऋण के रूप में लेते हैं, तो ऐसे दशा में, कम्पनी यदि उचित समझे, तो वह निदेशक के कार्य की पुष्टि कर सकती है। पुष्टि किए जाने के पश्चात् कम्पनी एवं ऋणदाता इस अनुबन्ध से ठीक उसी प्रकार बाध्य होंगे जैसे कि यह कार्य कम्पनी ने अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत किया है।

बोध प्रश्न क

1) तालिका के आगे उस कम्पनी का नाम लिखिए जिसके लिए यह उपयुक्त है

तालिका क (Table A) _____

तालिका ख (Table B) _____

तालिका ग (Table C) _____

तालिका घ (Table D) _____

तालिका ड (Table E) _____

2) रिक्त स्थान भरिए :

(i) सार्वजनिक कम्पनी की दशा मे सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वाले कम से कम ..... व्यक्ति तथा निजी कम्पनी की दशा में कम से कम ..... व्यक्ति होने चाहिए।

(ii) सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता को कम से कम ..... शेयर लेना आवश्यक है।

(iii) सीमानियम का उद्देश्य ..... की हितों की रक्षा करने के साथ साथ अन्य पक्षकारों के हितों की रक्षा करना भी है।

3) बताइए कि निम्न कथन **सही** हैं अथवा **गलत** हैः

(i) सीमानियम कम्पनी के कार्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है।

(ii) अभिदाता के सीमानियम पर हस्ताक्षर के लिये गवाह के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है।

(iii) प्रत्येक कम्पनी को निगमन करते समय सीमानियम बनाना व फाइल करना आवश्यक नहीं है।

(iv) कोई कार्य कम्पनी के उद्देश्य खंड से बाहर शक्तिबाह्य होता है।

(v) सीमति शेयर वाली कम्पनियों की दशा में शेयरधारी का दायित्व केवल अदत्त रकम देने तक का है।

(vi) गारंटी वाली सीमित कम्पनियों की दशा में कम्पनी के जीवन–काल में कभी भी सदस्य से गारंटी की गई राशि मांगी जा सकती है।

6.7 सीमानियम के विभिन्न खंडों में परिवर्तन

धारा 13 कहती है कि कोई भी कम्पनी जो सीमानियम में नाम परिवर्तन की शर्तें दी हुई हैं उन को बदल नहीं सकती सिवाए उस प्रक्रिया और जिस सीमा तक स्पष्ट प्रावधान अधिनियम में दिये गये हैं। ये प्रावधान नीचे दिये गए हैः

6.7.1 नाम में परिवर्तन

क **कम्पनी की इच्छा पर नाम परिवर्तन** :– धारा 13 के अनुसार साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके और केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुमति से नाम परिवर्तित किया जा सकता है।

कम्पनी को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगाः–

(i) कम्पनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव की कापी

(ii) केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुमति

जैसा कि जब कम्पनी अपना नाम बदलती है जैसे उपर्युक्त कहा गया है, तो रजिस्ट्रार कम्पनियों के रजिस्ट्रर में पुराने नाम के स्थान पर नया नाम की प्रविष्टी करेगा और नए नाम से निगमन का एक नया प्रमाण पत्र फार्म 2.27 में जारी करेगा। इस प्रमाण पत्र के जारी करने पर ही नाम में परिवर्तन पूर्ण व प्रभावी होगा।

ख **केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर नाम में परिवर्तन** (धारा 16)

यदि कोई कम्पनी भूल से या अन्यथा, अपने पहले पंजीकरण पर या नये नाम में अपने पंजीकरण पर ऐसे नाम से पंजीकरण की जाती है, जो केन्द्रीय सरकार की राय में, ऐसे नाम के समान है या उस बहुत मिलता जुलता है, जिससे किसी विद्यमान कम्पनी को पहले से रजिस्ट्रीकृत किया गया है तो कम्पनी निर्देश जारी किए जाने के तीन माह की अवधि के भीतर उस प्रयोजन के लिए साधारण प्रस्ताव पारित करने के, तथा केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुमति से अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है [धारा 16]।

पुनः कम्पनी उपर्युक्त प्रक्रिया से अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है यदि किसी ट्रेड मार्क के स्वामी का आवेदन केन्द्रीय सरकार को किसी ऐसी कम्पनी के निगमन, पंजीकरण या नाम परिवर्तन के तीन वर्ष के भीतर किया जाता है जिसका नाम इसके

ट्रेड मार्क से मिलता है, और जो केन्द्रीय सरकार के विचार में उस ट्रेड मार्क के मालिक के ट्रेड मार्क से ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 के अंतर्गत नाम एक जैसा है या उसमें बहुत अधिक मिलता जुलता है। जब केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार के निर्देश दिए जाने हैं तब कम्पनी अपने नाम या नये नाम में परिवर्तन इस प्रकार के निर्देश मिलने के 6 माह के अंदर करेगी, जैसी भी स्थिति हो।

cGMP Pharmaplan (P.) Ltd. vs. Regional Director, Ministry of Corporate Affairs (2011) के वाद में, NNE Pharmaplan (P.) Ltd. ने धारा 22 के अब धारा 14) के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशक को निर्देश के लिए अभिवेदन (representation) दिया कि प्रार्थी – कम्पनी जो बाद की तिथि में निगमित हुई है cGMP Pharmplan (P.) Ltd.) के नाम से, अपने नाम में परिवर्तन करे। क्षेत्रीय निदेशक ने यह निर्णय दिया कि आम जनता के मन के Pharmaplan नाम एक भ्रामक प्रभाव डाल सकता है और यह इसलिए यह धारा 22(1)(b) [अब धारा 14] के अंतर्गत निर्देश जारी करने का एक सही केस बनता है और 'प्राथी' को निर्देश दिया गया कि वह अपने वर्तमान नाम से Pharmaplan शब्द हटा दे और कोई और नाम रख ले। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों कम्पनियों के नाम संरचनात्मक दृष्टि से और ध्वनात्मक रूप से बहुत मिलते जुलते हैं इसलिए क्षेत्रीय निदेशक ने जो प्रार्थी को नाम परिवर्तित करने के लिए निर्देश दिया है वह सही है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गये कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 29 के अनुसार जिस कम्पनी ने अपनी वार्षिक विवरणी या वित्तीय विवरण फाइल करने ने चूक की है या कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्रार के फाइल करना अभी बाकी है, या जिसने परिपक्व जमा, डिबेन्यर या जमा और डिबेन्चर पर ब्याज, देने मे चूक की है, उसको नाम बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपने यह नोट किया होगा कि केन्द्रीय सरकार के निर्देश का उस तिथि के तीन या छह माह के भीतर ही जैसी भी स्थिति हो अनुपालन करना आवश्यक है। यदि कम्पनी धारा 16(1) के अंतर्गत किसी निर्देश का अनुपालन करने मे चूक करती है तो ऐसी कम्पनी को जब तक चूक जारी रहती है एक हजार रुपये प्रतिदिन और प्रत्येक अधिकारी जिसने चूक की है उसे पांच हजार रुपये तक का दंड दिया जायेगा जो एक लाख रु तक हो सकता है (धारा 16(3))।

जब कम्पनी धारा 16(1) के अंतर्गत अपना नाम बदलती है या नया नाम प्राप्त करती है तो उसे नाम परिवर्तन के 15 दिन के अन्दर रजिस्ट्रार को इसकी सूचना केन्द्रीय सरकार के आदेश के साथ, भेजनी चाहिए जो निगमन प्रमाण पत्र और सीमानियम में आवश्यक परिवर्तन करेगा। निगमन का नया प्रमाण पत्र जारी होने पर ही कम्पनी का नया नाम प्रभावी होगा। धारा 15 के अनुसार कम्पनी के सीमानियम या अंतर्नियमों में किए गये प्रत्येक परिवर्तन को यथास्थिति इन दोनों प्रलेखों की प्रत्येक प्रति के लिखना होगा जैसी भी स्थिति हो। इस सबंध मे चूक की स्थिति में कम्पनी और प्रत्येक अधिकारी जिसने चूक की हैं सीमानियम और अंतर्नियम की प्रत्येक प्रति में जो बिना परिवर्तन के जारी की है, के लिए एक हजार रुपये के दंड के दायी होंगे।

नाम परिवर्तन का प्रभाव

(i) नाम के परिवर्तन से कम्पनी के किसी अधिकार या दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा या इस के द्वारा या इसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाई पर कोई दोष होगा। इस के अतिरिक्त कम्पनी के विरुद्ध या इस के द्वारा कोई कानूनी कार्यवाई पुराने नाम से चल रही हो वह नए नाम से चालू रह सकती है।

(ii) यद्यपि यदि कोई कानूनी कार्यवाही कम्पनी के विरुद्ध इस के पुराने नाम से नाम परिवर्तन के बाद, आरम्भ हो, तो यह एक गलत वर्णन का विषय माना जाएगा और ना कि कोई व्यक्ति जिस का कोई अस्तित्व नहीं है उस के विरुद्ध कार्यवाई। यह कोई न ठीक होने वाला दोष नहीं है और वादपत्र (plaint) में नया नाम लिखने के लिए संशोधन हो सकता है। **(Pioneer Protective Glass Fibre (P) Ltd vs Fibre Glass Pilkington Ltd (1986).**

(iii) **नाम परिवर्तन से कम्पनी का संविधान नहीं बदलताः Economic Investment Corporation Ltd vs CIT (1970)** के वाद में यह निर्णय दिया कि नाम परिवर्तन करने से कम्पनी का संविधान नहीं बदलता। केवल एक बात यह होगी कि सारे अधिकार और दायित्व कानून की दृष्टी में पुरानी कम्पनी से नई नाम वाली कम्पनी पर हस्तांतरित हो जाएंगे। यह साझेदारी की तरह नहीं है जो कानून की दृष्टि में एक नई वैधानिक अस्तित्व बन जाती है।

6.7.2 पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन

इसमें सम्मिलित है : –

(क) उसी नगर, गांव व शहर में एक परिसर से दूसरे परिसर में पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन (धारा 12)

निदेशक बोर्ड द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके कम्पनी का कार्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस ही शहर, नगर या ग्राम की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ले जाया जा सकता है। कम्पनी रजिस्ट्रार को 15 दिन में नया पता सूचित करेगी जो इस परिवर्तन को अभिलिखित (रिकार्ड) करेगा।

ख एक शहर, ग्राम व नगर से दूसरे शहर, ग्राम व नगर उस की राज्य में पंजीकृत कार्यालय परिवर्तन (धारा 12)

ऐसी स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः

(i) **विशेष प्रस्ताव** :–शेयरधारियों की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा।

(ii) **क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पुष्टि** : – कम्पनी एक रजिस्ट्रार की अधिकारिता से किसी दूसरे रजिस्ट्रार की अधिकारिता में तब तक नहीं जा सकती जब तक ऐसे परिवर्तन को निर्धारित रीति में किए गए आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पुष्टि न कर दी गई हो। क्षेत्रीय निदेशक को Form INC 23 में आवेदन करना होगा। क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन पत्र मिलने के 30 दिन के भीतर पुष्टि करनी होगी।

नियम 28 के अनुसार, पंजीकृत कार्यालय परिवर्तन की आज्ञा नहीं मिलेगी यदि कम्पनी के विरुद्ध कोई निरिक्षण, जांच या तहकीकात चल रही हो या कम्पनी के विरुद्ध किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई मुकदमा चल रहा हो।

(iii) **विशेष प्रस्ताव की प्रति और क्षेत्रीय निदेशक की पुष्टि कम्पनी रजिस्ट्रार को फाइल करना** : विशेष प्रस्ताव की एक प्रति 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल करनी होगी (धारा 117)। क्षेत्रीय निदेशक की पुष्टि की एक प्रति पुष्टी होने के 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी। पुष्टि के फाइल करने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को उसे पंजीकृत करना होगा (धारा 12)।

रजिस्ट्रार का प्रमाणपत्र इस बात का निश्चायक प्रमाण है कि पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन सम्बंधी अधिनियम की सब अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया गया है और परिवर्तन, जिस दिन से प्रमाण पत्र जारी हुआ है, लागू माना जाएगा।

यदि अपेक्षाओं का अनुपालन करने कें कोई चूक हुई है तो कम्पनी और चूक करने वाले प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक दिन के एक हजार रूपए जब तक चूक जारी रहती है जुर्माने के लिए दायी होगा जो एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

ग एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन

धारा 13 में एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय ले जाये जाने के प्रावधान दिए हैं। आप नोट करें कि पंजीकृत कार्यालय को एक परिसर से दूसरे परिसर में, उसी नगर, ग्राम व शहर में या एक शहर से दूसरे शहर में उस ही राज्य में यदि हो तो सीमानियम परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

इस का कारण यह है कि सीमानियम में केवल उस राज्य का नाम होता है जहां कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय होता है। पंजीकृत का एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन करने पर सीमानियम को बदलना होता है इस लिए इसमें बहुत विस्तृत विधि अपनाई जाती है। कम्पनी का एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय ले जाने के लिए :–

(1) एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा;

(2) लेनदारों जिसमें डिबेंचर धारी शामिल होंगे उन की सूची तैयार करनी होगी;

(3) लेनदारों की अनुमति लेनी होगी और यदि लेनदार या लेनदारों द्वारा कोई आपति है तो उन के त्रृण या दावों को केन्द्रीय सरकार की संतुष्टि होने पर उन्हें या तो प्रतिभूति दे दी गई है या सम्यक् निमोर्चन कर दिया है।

(4) केन्द्रीय सरकार से पुष्टिकरण

(5) पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन की सूचना निर्धारित विधि के अनुसार 30 दिन के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार को देनी होगी।

केन्द्रीय सरकार से पुष्टिकरण प्राप्त करना

कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम न० 30 के अनुसार केन्द्रीय सरकार को आवेदन फार्म न० INC 23 में निर्धारित शुल्क व दस्तावेजों के साथ किया जाना चाहिए।

उपरोक्त सूचना एक शपथ–पत्र द्वारा दी जानी चाहिए जिस पर कम्पनी के सचिव यदि कोई है और कम से कम दो निदेशकों के, जिन में एक प्रबंध निदेशक होना चाहिए, के हस्ताक्षर होंगे।

आवेदन पत्र के साथ एक और शपथ–पत्र संलग्न होगा जिसमें कम्पनी के निदेशक यह आश्वासन देंगे कि पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानातंरण के परिणाम स्वरूप किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी।

आवेदन पत्र के साथ एक प्रतिलिपि आवेदन पत्र की प्राप्ति (service) की पावती सहित (acknowledgement), भी संलग्न होगी जो आवेदन पत्र पूरे दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार और राज्य के सर्वोच्च सचिव, जहां पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को दिए थे।

कम्पनी को पंजीकृत कार्यालय में लेनदारों की सूची की एक प्रमाणित प्रतिलिपि रखनी होगी।

जब आवेदनकर्ता के प्रस्तावित आवेदन पत्र पर कोई व्यक्ति जिस का हित उस से प्रभावित होता है आपत्ति करता है, उस आपत्ति की प्रति केन्द्रीय सरकार को आवेदन की सुनवाई की तारीख पर या पहले देनी होगी।

जब किसी पक्ष से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिन को उचित सूचना दे दी गई थी, आवेदन पत्र बिना किसी सुनवाई के, आदेश के लिए पेश कर दिया जाएगा।

पुष्टि का आदेश

नियम 30 को, धारा 13(5) के साथ पढने पर, यह प्रावधान है कि परिवर्तन की पुष्टि करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार यह सुनिचित करेगी कि प्रत्येक लेनदार और डिबेंचर धारक जिसे केन्द्रीय सरकार की राय में, आपत्ति करने का अधिकार और जो ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार में विहित की है अपनी आपत्ति प्रकट करता है, केन्द्रीय सरकार को इस बात की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि उस व्यक्ति की स्वीकृति परिवर्तन के लिए ले ली गयी थी या उसके ऋण या दावों का भुगतान कर दिया है या निर्धारित कर दिया है या उन्हें प्रतिभूति बना दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार जो उपयुक्त समझे परिवर्तन की उन शर्तों पर अपने आदेश की पुष्टि कर सकती है और खर्चों के बारे में अपना आदेश जो उचित समझे दे सकती है।

आप नोट करें कि पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी यदि कोई निरीक्षण, जांच या छानबीन कम्पनी के विरुद्ध चल रही हो या इस अधिनियम के अंतर्गत कम्पनी के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित है।

धारा (13) की उपधारा 5 के अनुसार केन्दीय सरकार, उपधारा 4 के अधिन आवेदन का निपटारा साठ दिन की अवधि के भीतर करेगीं।

केन्द्रीय सरकार के आदेश को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना

धारा 13(7), कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 को साथ पढ़ने पर यह प्रावधान है कि परिर्वतन के परिणाम स्वरूप किसी भी कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानातंरण होता है, तब परिवर्तन की अनुमति की केन्द्रीय सरकार से प्राप्त आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि कम्पनी द्वारा 30 दिन के भीतर प्रत्येक राज्य के रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी उसे रजिस्ट्रार करेगा और उस राज्य का रजिस्ट्रार जहां रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थानांतरित किया जा रहा है परिवर्तन को दर्शाते हुए, निगमन का नया प्रमाण पत्र जारी करेगा।

6.7.3 उद्देश्य खंड में परिवर्तन

उद्देश्य खंड के परिवर्तन की दो भागों में चर्चा करेंगे:

1. उद्देश्य खंड का परिवर्तन उस कम्पनी द्वारा जिसने प्रविवरण (प्रास्पेक्टस) जारी नहीं किया।
2. उद्देश्य खंड का परिवर्तन उस कम्पनी द्वारा जिस ने प्रविवरण जारी किया है।

1. **कम्पनी द्वारा जिस उद्देश्य खंड का परिवर्तन उस प्रविवरण जारी नहीं किया:** जिस कम्पनी ने प्रविवरण जारी नहीं किया है वह अपने उद्देश्य खंड में विशेष प्रस्ताव पारित कर परिवर्तन कर सकती है। धारा 13(1)

2. **उद्देश्य खंड में परिवर्तन जहां कम्पनी में प्रविवरण जारी किया है।**

   धारा 13(8) कम्पनी निगमन नियम नियम 2014 के 32 के साथ पढ़ने पर कहती है कि कोई कम्पनी जिस ने प्रविवरण के माध्यम से जनता से धन जुटाया है

और अभी तक उस के पास इस प्रकार एकत्रित धन में से कोई अनुपयोजित राशि है अपना उद्देश्य खंड डाक मतदान द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित किये बिना नहीं बदल सकती। जहां सदस्यों की संख्या 200 तक है उस दशा में डाक मतदान द्वारा विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता लागू नहीं होगी (कम्पनी प्रबंधन और प्रशासन नियम 2014)।

इसके अतिरिक्त उद्देश्य खंड का परिवर्तन करने वाले प्रस्ताव के नोटिस में निर्धारित विवरण जिसने शामिल होंगे जो रकम प्रविवरण द्वारा जुटायी गयी थी उस में से कितना उपयोग नहीं हुआ, उद्देश्य खंड को परिवर्तन करने का औचित्य व नए उद्देश्यों के लिए प्रस्तावित रकम जो उपयोग करनी है।

6.7.4 दायित्व खंड में परिवर्तन

कम्पनी अधिनियम 2013 में या उसके अंतर्गत बताए गये नियमों में दायित्व परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, कम्पनी अपने सदस्य का दायित्व बढ़ा नहीं सकती जब तक सदस्य लिखित में सहमत न दे दें क्योंकि कम्पनी और सदस्यों के बीच अनुबंधिक सम्बन्ध होता है। सदस्य की स्वीकृति परिवर्तन के पहला या बाद में भी ली जा सकती है। दायित्व में बढ़ोतरी सदस्य के पास जो शेयर हैं उसे और अधिक शेयर देकर बढ़ाई जा सकती उस तिथि पर जिस पर परिवर्तन किया गया है या किसी और रीति से। एक असीमित कम्पनी में दायित्व कम्पनी का द्बारा पंजीकरण कर सीमित या कम किया जा सकता है।

यह परिवर्तन किसी ऋण, देयताओं, दायित्वों या अनुबन्धों जो कम्पनी के द्वारा या कम्पनी के साथ असीमित कम्पनी के सीमित कम्पनी के रूप में पंजीकृत होने से पहले किए गये हैं उन पर प्रभाव नहीं डालेगा। [धारा 18(3)]

6.7.5 पूंजी खंड में परिवर्तन

धारा 61 के अनुसार किसी सीमित कम्पनी को, जिस की शेयर पूंजी है, यदि उस के अन्तर्नियम द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है तो वह अपनी साधारण सभी में अपने सीमानियम में पूंजी से संबधित शर्तों में निम्नलिखित परिवर्तन कर सकती हैः

(1) अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी में इतनी रकम तक वृद्धि कर जो वह आवश्यक समझे।

(2) अपनी सभी या कुछ शेयर पूंजी को अपने विद्यमान शेयरों की अपेक्षा ज्यादा रकम के शेयरों में समेकित और विभाजित करने के लिए जैसे 10 शेयर 10 रूपए प्रति शेयर को एक शेयर 100 रुपए में समेकित करना।

(3) अपने सभी या किन्हीं पूर्णतः प्रदत्त शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित करना और उस स्टॉक को किसी अंकित मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त शेयरों में पुनः परिवर्तित करना।

(4) अपने सभी शेयरों का या उन में से कुछ का सीमानियम द्वारा निश्चित किए गये मूल्य से कम राशि के शेयरों में उपविभाजिन करना, परन्तु कम किए गए मूल्य के शेयर पर चुकायी गयी व बकाया राशि का वही अनुपात होना चाहिए।

(5) शेयरों को रद्द करना जो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव के पारित होने की तारीख तक न तो क्रय किये गये हैं और न ही जिन्हें खरीदने का प्रस्ताव मिला है और इस प्रकार रद्द किए गए शेयरों की राशि से अपनी शेयर पूंजी से कम करना।

बोध प्रश्न ख

1) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

(i) एक कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय को दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करेगी और ..... की अनुमति लेनी होगी।

(ii) पूंजी खंड सीमानियम में कम्पनी की ..... पूंजी को बताता है।

(iii) पूंजी खंड का परिवर्तन ..... द्वारा किया जा सकता है।

(iv) उस कम्पनी ने जिस ने प्रविवरण जारी किया है और जो रकम जुटाई है उसका आंशिक हिस्सा उपयोग नहीं किया है वह उद्देश्य खंड मे परिवर्तन ..... कर सकती है।

2) निम्नलिखित में कौन सा कथन सही हैः

(क) (i) सीमानियम एक अपरिवर्तनीय चार्टर है।

(ii) सीमानियम एक ऐसा चार्टर जिस का परिर्वतन हो सकता है।

(iii) सीमानियम चार्टर नहीं होता।

(ख) (i) कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी का परिवर्तन नहीं हो सकता।

(ii) कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी को एक साधारण प्रस्ताव पारित कर के बढ़ाया जा सकता है।

(iii) कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी को एक विशेष प्रस्ताव पारित करके बढ़ाया जा सकता है।

(iv) कम्पनी की प्रधिकृत पूंजी को एक विशेष प्रस्ताव पारित कर और केन्द्रीय सरकार की अनुमति से बढ़ाया जा सकता है।

6.8 सारांश

कम्पनी का सीमानियम एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। यह कम्पनी की शक्तियों को और सीमाओं को परिभाषित करता है। कोई भी कार्य कम्पनी के सीमानियम के क्षेत्र से बाहर शक्तिबाह्य कहलाता है और इसलिए अपरिवर्तनीय है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार सीमानियम को अनुसूची 1 में तालिका A,B,C,D और E जो भी कम्पनी पर लागू होती है उस ही प्रकार का होना चाहिए। पुनः धारा 4 कहती है कि सीमानियम में सीमित कम्पनी की कुछ सूचनाएं होनी चाहिए जैसे कि इस का नाम (नाम के अन्तिम शब्द 'लिमिटेड' या 'प्राइवेट लिमिटेड') राज्य का नाम जहां उसका पंजीकृत कार्यालय हो, उस के उद्देश्य, दायित्व सीमित या असीमित, उस की प्राधिकृत पूंजी और पूंजी का निर्धारित राशि में शेयरों का विभाजन।

नाम खंड :– प्रवर्तक कम्पनी का कोई भी उचित नाम चुन सकते हैं। शर्त है कि (i) अन्तिम शब्द 'लिमिटेड' या 'प्राईवेट (लिमिटेड (जैसा हो) होना चाहिए (पूर्व उद्देश्यों वाली कम्पनी के सिवाए यदि केद्रीय सरकार द्वारा लाइसेंस हो) (ii) नाम अवांछनीय न हो। केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बंध में कुछ नियम बनाए हैं। प्रत्येक कम्पनी अपने नाम और पते को कार्यालय के बाहर या ऐसे स्थान पर, जहां से कारोबार चलाया जाता है किसी सहजदृश्य स्थिति में, पठनीय हो, पेंट कराना होगा या चिपकाना होगा और उस भाषा में जो उस स्थान पर प्रयोग होती है, में भी पेंट कराना होगा।

कार्यालय खंड : इस खंड में उस राज्य का नाम होगा जहां कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। पंजीकृत कार्यालय से कम्पनी के अधिवास (domicile) पता चलता हैं

उद्देश्य खंड : इस खंड में कम्पनी के उद्देश्यों का उल्लेख होता है जिन के लिए प्रस्तावित कम्पनी का पंजीकरण किया जाता है और ऐसे कार्य जो उन उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हो। कोई भी कार्य जो सीमानियम में दिए उद्देश्यों से बाहर हो 'शक्तिबाह्य कहलाता है। इसलिए वह कार्य व्यर्थ है ।

दायित्व खंड़ः यह खंड सदस्यों के दायित्व की प्रकृति को दर्शाता हैं। सीमित दायित्व वाली कम्पनी में इस खंड में सदस्यों के शेयरों पर जो बकाया राशि है उस तक दायित्व सीमित होता है। गारंटी वाली कम्पनी में उस रकम तक दायित्व होता है जो शेयरधारी ने गारंटी की है।

संघ या अभिदान खंडः कम्पनी के सीमानियम के अंत में संघ खंड होता है। प्रत्येक अभिदाता कितने शेयर ले रहा है अपने नाम के आगे लिखता है।

सीमानियम में परिवर्तन : सीमानियम में परिवर्तन अधिनियम में दिए हुई प्रक्रिया के और सीमा के अनुसार हो सकता है। कम्पनी का नाम विशेष प्रस्ताव पारित कर और केन्द्रीय सरकार की अनुमति से परिवर्तन हो सकता है।

जहां पर कम्पनी का पंजीकरण किसी अवांछनीय नाम से हुआ है केन्द्रीय सरकार उस कम्पनी को नाम बदलने का निर्देश दे सकती है। ऐसी स्थिति में कम्पनी साधारण प्रस्ताव परित करके और केन्द्रीय सरकार को नया नाम के लिए पुष्टि से नाम बदल सकती है।

पंजीकृत कार्यालय एक भवन से दूसरे भवन में बदलने के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित होगा और रजिस्ट्रार को 15 दिन के भीतर सूचित करना होगा।

परन्तु जब एक शहर से दूसरे शहर में कार्यालय उस ही राज्य में परिवर्तन करना हो तो साधारण सभा में शेयरधारी एक विशेष प्रस्ताव पारित करेंगे। यदि एक शहर से दूसरे शहर उस ही राज्य में परिवर्तन करने से एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार की अधिकारिता है तो क्षेत्रीय निदेशक की पुष्टि लेनी भी होगी। क्षेत्रीय निदेशक की पुष्टि की तिथि से 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास पुष्टि पत्र फाइल करना होगा। रजिस्ट्रार उसे पंजीकृत करेगा और पुष्टि के फाइल करने के 30 दिन के भीतर उसे प्रमाणित करेगा।

यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय परिवर्तन हो तो शेयरधारियों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की पुष्टी लेनी होगी।

उद्देश्य खंड का परिवर्तन उस कम्पनी का जिस ने प्रविवरण जारी नहीं किया है यदि अन्तर्नियम इस पर मौन है तो किसी भी समय, कम्पनी निदेशक बोर्ड का प्रस्ताव पारित कर उद्देश्य परिवर्तित कर सकती है। जिस कम्पनी ने प्रविवरण जारी करके धन प्राप्त किया है और अब भी कुछ भाग उस राशि का शेष है तो उद्देश्य खंड का परिवर्तन जब नहीं होगा जब तक एक विशेष प्रस्ताव डाक मतदान द्वारा कम्पनी द्वारा पारित नहीं किया जाता।

कम्पनी दायित्व खंड जब तक परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक सदस्य लिखित में सहमति नहीं देंगे।

पूंजी खंड में परिवर्तन से कम्पनी के प्राधिकृत पूंजी में बढ़ोतरी, शेयरों का समेकन या विभाजन या शेयरों को रद्द करना जो किसी व्यक्ति से नहीं लिए या लेने की सहमति नहीं दी है शामिल है। इन परिवर्तनों का धारा 61 के अनुसार शेयरधारियों की साधारण सभा में साधारण प्रस्ताव पारित कर हो सकता है।

6.9 शब्दावली

सीमानियम (Memorandum of Association) : यह कम्पनी का प्रमुख प्रलेख है। जिसके अधीन कम्पनी की स्थापना की जाती है।

सीमति दायित्व (Limited Company) : सदस्यों द्वारा लिये गये शेयरों पर अदत्त राशि तक ही उनका दायित्व सीमित होता है। गारंटी द्वारा सीमित कम्पनी की दशा में सदस्यों का दायित्व उस राशि तक होता है जो कम्पनी के समापन के समय उनसे मांगी जा सकती है।

सम–मूल्य (Par-Value) : शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी की शेयर पूँजी होती है जो अंकित मूल्य के निश्चित शेयरों में बटी होती है। शेयरों के निश्चित अंकित मूल्य को 'सम–मूल्य' कहते हैं।

पंजीकृत कार्यालय (Registered Office): कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय उसके निवास–स्थान का निर्णय करता है और इस कार्यालय पर नोटिस भेजे जाते हैं और कोई भी संदेश भेजा जाता है।

शक्तिबाह्य (UltraVires) : ऐसे कार्य जो कम्पनी की शक्ति या अधिकार से बाहर हैं।

असीमित दायित्व (Unlimited Liability) : जब कम्पनी की देयताओं का भुगतान करने के लिए उसके सदस्यों की व्यक्तिगत या निजी सम्पत्ति का उपयोग किया जाए सदस्यों का असीमित दायित्व कहा जाता है।

6.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) (1) तालिका A – शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी के लिए

तालिका B – गारंटी द्वारा सीमित कम्पनी जिसकी शेयर पूँजी नहीं है

तालिका C – गारंटी द्वारा सीमित कम्पनी जिसके शेयर पूँजी है

तालिका D – असीमित दायित्व वाली जिसकी शेयर पूँजी नहीं है।

तालिका E – असीमित दायित्व वाली कम्पनी जिसकी शेयर पूँजी है।

(2) i) 7; 2; ii) एक iii) सदस्य

(3) i) सही ii) गलत iii) गलत iv) सही v) सही vi) गलत

ख) (1) i) केन्द्रीय सरकार

ii) प्राधिकृत/पंजीकृत पूँजी

iii) साधारण सभा में सामान्य प्रस्ताव पारित कर के

iv) विशेष सकंल्प डाक द्वारा मतदान पारित करके

(2) क (i) ख (ii)

6.11 स्वपरख प्रश्न

1. सीमानियम से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट कीजिए।
2. सीमानियम का उद्देश्य क्या हैं ?
3. सीमानियम में शामिल विभिन्न खंडों की सूची बनाइए।
4. शक्तिबाह्य सिद्धान्त को उपयुक्त उदाहरण दे कर समझाइए।
5. कम्पनी के उद्देश्य को परिवर्तित करने की पद्धति का वर्णन कीजिए।
6. एक कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है। निदेशक बोर्ड पंजीकृत कार्यालय का स्थनांतरण दिल्ली से चंडीगढ़ करना चाहता है। सलाह दें।
7. एक कम्पनी 1 July, 2019 को कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दिल्ली में Pyrelal and Sons Pvt. Ltd के नाम से पंजीकृत हुई है। एक और दूसरी कम्पनी जयपुर में 20 सितम्बर 2019 को रजिस्ट्रार के पास Pyaray Lal and Sons Pvt. Ltd के नाम से पंजीकृत हुई। सलाह दें।
8. एक कम्पनी का पुरूषों की कमीजें बनाने का व्यवसाय है। यह अपना एक और नया व्यवसाय पुरूषों के लिए पैंट, बनाने का आरम्भ करना चाहती है। इसका मुख्य उद्देश्य खंड पुरूषों के परिधान बनाना है। केस की चर्चा करें।

नोट : इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 7 अन्तर्नियम (Articles of Association)

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 अन्तर्नियम का अर्थ तथा प्रयोजन

7.3 अन्तर्नियमों का पंजीकरण

7.4 अन्तर्नियमों की विषय–वस्तु

7.5 अन्तर्नियमों में परिवर्तन

7.5.1 अन्तर्नियमों में परिवर्तन की सीमाएं

7.5.2 परिवर्तित अन्तर्नियमों का प्रभाव

7.6 अन्तर्नियम एवं सीमानियम के बीच सम्बन्ध

7.7 अन्तर्नियम एवं सीमानियम में अन्तर

7.8 अन्तर्नियम एवं सीमानियम का बाध्यकारी प्रभाव

7.9 सीमानियम एवं अन्तर्नियम की प्रलक्षित सूचना

7.10 आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त

7.11 सारांश

7.12 शब्दावली

7.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.14 स्वपरख प्रश्न

7.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- अन्तर्नियम का अर्थ एवं उद्देश्य स्पष्ट कर सकें;
- अन्तर्नियम की विषयवस्तु का वर्णन कर सकें;
- अन्तर्नियम में परिवर्तन करने की पद्धति की व्याख्या कर सकें;
- अन्तर्नियम में परिवर्तन करने के अधिकार की कम्पनी की शक्ति की सीमा जान सकें;
- अन्तर्नियम में परिवर्तन करने की पद्धति की व्याख्या कर सकें;
- अन्तर्नियम तथा सीमानियम के बीच परस्पर सम्बन्ध एवं अन्तर बता सकें;
- सीमानियम तथा अन्तर्नियम के कानूनी प्रभावों की व्याख्या कर सकें; और
- प्रलक्षित सूचना एवं आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त का वर्णन कर सकें।

7.1 प्रस्तावना

पिछली इकाईयों में आप पढ़ चुकें हैं कि कम्पनी एक निगमित निकाय होती है। अतः इसके व्यापार का संचालन करने तथा आन्तरिक मामलों का प्रबन्ध करने के लिए

नियमों को बनाना आवश्यक है। कम्पनी तथा उसके सदस्यों के परस्पर सम्बन्धों को भी परिभाषित करना जरूरी है। सदस्यों एवं कम्पनी के एक दूसरे के प्रति अधिकार एवं कर्त्तव्यों का भी वर्णन किया जाना चाहिए। इनसे सम्बन्धित समस्त नियम एवं विनियम अन्तर्नियमों में दिए जाते हैं। कम्पनियों के रजिस्ट्रार में पास पंजीकरण कराया जाने वाला दूसरा प्रमुख प्रलेख अन्तर्नियम है।

कम्पनी अधिनियम 2013 में अनुसूची 1 में तालिका च, छ, झ, ञ (F, G, H, I, J) में कम्पनी अधिनियम मे विभिन्न प्रकार की कम्पनियों से संबधित प्रबन्ध करने के नमूने दिए गए हैं। कम्पनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को अपने अन्तर्नियम बनाने चाहिए। कम्पनी अन्तर्नियम के नमूने पूर्ण या आंशिक रूप से अपना सकती है। इस इकाई में आप अन्तर्नियम का महत्व एवं विषयवस्तु का अध्ययन करेंगे। आप सीमानियम एवं अन्तर्नियम के बीच अन्तर को भी पढ़ेंगे। अन्तर्नियमों में परिवर्तन करने की पद्धति का भी वर्णन किया गया। आप इन प्रलेखों के कानूनी प्रभावों का भी अध्ययन करेंगे। प्रलक्षित सूचना एवं आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त का विस्तार से वर्णन किया गया है।

7.2 अन्तर्नियम का अर्थ तथा प्रयोजन

अन्तर्नियम कम्पनी के उपनियम, या नियम और विनियम होते हैं जो कम्पनी के आंतरिक मामलों के प्रबन्ध और व्यापार को संचालित करते हैं।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा (5) के अनुसार अन्तर्नियमों की परिभाषा इस प्रकार है "अन्तर्नियम से तात्पर्य पिछले कम्पनी अधिनियमों या वर्तमान कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत मूल रूप से बनाए गए अथवा समय–समय पर परिवर्तित किए गए अन्तर्नियम से है।"

अन्तर्नियम कम्पनी के आन्तरिक प्रबंध को नियमित करते हैं। ये अधिकारियों की शक्ति बतलाते हैं। ये कम्पनी और सदस्यों के आपस में और परस्पर सदस्यों में एक अनुबन्ध का आधार होते हैं। यह अनुबंध कम्पनी में सदस्यता से जुड़े साधारण अधिकार एवं दायित्वों को नियंत्रण करते हैं। **(Naresh Chandra Sanyal vs. Calcuatta Stock Exchange Association Ltd (1971).**

अन्तर्नियम साझेदारी में साझेदारी विलेख के समान होते हैं। ये कम्पनी के संचालन सम्बंधी प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हैं। विशेष रूप से ऐसे मामले जैसे मांग राशि, शेयरो को जब्त करना, निदेशकों की योग्यता व शेयर ऋण पत्रों के हस्तांतारण और पारेषण की पद्धति बताते हैं।

7.3 अन्तर्नियमों का पंजीकरण

पंजीकरण करने के लिए कम्पनी को जो दस्तावेज फाइल करने होते हैं उन में एक अन्तर्नियम भी हैं। कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 5 की अनुसार कम्पनी अपने अन्तर्नियम अनुसूची 1 मे दी गयी तालिका F, G, H, I, और J के अनुसार बना सकती है जो प्रारूप उस पर लागू होता है। तालिका F, में शेयर द्वारा सीमित कम्पनी के अंतर्नियमों का प्रारूप दिया गया है।

तालिका G, H, I, और J में गारंटी द्वारा कम्पनी जिसकी शेयर पूंजी है, गारंटी द्वारा सीमित कम्पनी जिसकी शेयर पूंजी नहीं है, असीमित कम्पनी जिसके शेयर पूंजी है तथा असीमित कम्पनी जिसकी शेयर पूंजी नहीं है के मॉडल अन्तर्नियम कम्पनी दिए गए हैं। कम्पनी उन मॉडल अन्तर्नियमों के नियमों को जो उन पर लागू होते हैं पूर्णतः या अशंत अपना सकती है।

कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम 2013 में पंजीकृत हुई है उसके पंजीकृत अन्तर्नियम मॉडल अन्तर्नियमों में दिए गये नियमों को जब तक संशोधित या अलग नहीं करते हैं। वह विनियम जहां तक लागू होते हों उसी रीति में और उस सीमा तक उस कंपनी के विनियम होंगे, मानों वे कंपनी के सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत अंतर्नियमों में निहित रहे हों।

कम्पनियां जिनका पंजीकरण किसी पूर्व कानून के अन्तर्गत हुआ है उसके वर्तमान अन्तर्नियम ही चालू रहेंगे जब तक कम्पनी अपने अन्तर्नियम तालिका में दिए गये मॉडल अन्तर्नियमों के अनुसार जो उस पर लागू होगें, बदल नहीं देती।

अन्तर्नियम पर हस्ताक्षर

कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 13 के अनुसार सीमानियम व अन्तर्नियमों पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार हस्ताक्षर किए जायेंगे :

- **सीमानियम व अन्तर्नियमों पर सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता के हस्ताक्षर होने चाहिए** जिन्हे अपना नाम, पता, विवरण व व्यवसाय, यदि कोई है, लिखना होगा एक गवाह की उपस्थिति में जो उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उसे अपने नाम, पता विवरण व व्यवसाय, यदि कोई है, लिखना होगा। गवाह लिखेगा कि 'मैं अभिदाता/अभिदाताओं का गवाह हूँ जिसने/जिन्होनें शेयरों का अभिदान किया है तथा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं (समय तथा स्थान के साथ) और यह भी कि मैंने उसकी/उनकी पहचान की पुष्टि की है और जो उसने/उन्होनें विवरण भरे हैं, मैं सन्तुष्ट हूं।
- **जहां सीमानियम का अभिदाता अनपढ हो,** इस स्थिति में वह अपने अंगूठे का निशान लगायेगा जिसका विवरण उस व्यक्ति द्वारा दिया जायेगा जो उसके लिए लिख रहा है। वह अभिदाता का नाम निशान के सामने या नीचे लिखेगा और उसे अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करेगा। वह अभिदाता द्वारा लिये गये शेयरो की संख्या उसके नाम के आगे लिखेगा। वह अभिदाता को सीमानियम व अन्तर्नियम की विषय वस्तु को पढ़ कर वर्णन करेगा और इसकी सीमानियम व अन्तर्नियम पर पुष्टि करेगा।
- **जहां पर अभिदाता एक निगमित निकाय है,** निगमित निकाय के सीमानियम व अन्तर्नियमों पर निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी के हस्ताक्षर होंगे जिन्हे निगमित निकाय के निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित कर प्राधिकृत किया गया हो।
- **जहां अभिदाता एक सीमित दायित्व साझेदारी है** इस पर इस सीमित दायित्व साझेदारी के एक साझेदार द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जिसे सीमित दायित्व साझेदारी के सभी साझेदार के एक प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।
- **जहां अभिदाता एक विदेशी नागरिक है** जो भारत से बाहर रह रहा हो, सीमानियम व अंतर्नियम पर उस रीति में हस्ताक्षर किए जायेंगे जैसा कि नियमों में निर्धारित हो।

7.4 अन्तर्नियमों की विषय–वस्तु

आप पढ़ चुके हैं कि अन्तर्नियमों में कम्पनी के आंतरिक प्रबन्ध सम्बन्धी नियम और विनियम होते हैं। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 5 के अनुसार अन्तर्नियम में ऐसे

विषय भी हो सकते हैं जो निर्धारित किए जाए। फिर भी कम्पनी ऐसे अतिरिक्त मामलों के प्रबंध के लिए आवश्यक हैं वे भी अन्तर्नियम में सम्मलित कर सकती है।

दृढ़ स्थिति के लिए प्रावधान (Provisions for Entrenchment)

कम्पनी अधिनियम 2013 में पहली बार कुछ प्रावधान है जो अंतर्नियम की दृढ स्थिति से सम्बधित हैं। धारा 5 की उपधारा 3 के अनुसार अंतर्नियम में दृढ स्थिति से सम्बंधित प्रावधान हो सकते हैं। इस का अर्थ यह है कि अंतर्नियमों में कुछ प्रावधान ऐसे हो सकते हैं जिन के अनुसार केवल विशेष प्रस्ताव पारित करने में अंतर्नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक विस्तृत निर्देश का पालन करना होगा।

पूर्वकथित दृढ़शक्ति के प्रावधानों को केवल कम्पनी के निगमन के समय बनाया जा सकता हैं या अन्तर्नियमों में परिवर्तन के द्वारा सार्वजनिक कम्पनी में विशेष प्रस्ताव द्वारा और निजी कम्पनी में सब सदस्यों की अनुमति से। दृढ़शक्ति के प्रावधान कम्पनी के निगमन के समय बने हों या अन्तर्नियम में संशोधन करके, कम्पनी को इसकी सूचना उस विधि और पद्धति के अनुसार रजिस्ट्रार को देनी होगी जैसा निर्धारित हो।

कम्पनी के अन्तर्नियमों में, सामान्यतः निम्नलिखित से सम्बन्धित नियम और विनियम होते हैं :

i) संबधी तालिकाओं में प्रारूप (मॉडल) अन्तर्नियमों की किस सीमा तक, पूर्ण या आंशिक रूप से अलग किया गया है।

ii) शेयर पूँजी–शेयर और उनका मूल्य तथा भिन्न–भिन्न प्रकार के शेयरों में विभाजन अर्थात् शेयर पूँजी कितने मूल्य के साधारण शेयरों और पूर्वाधिकार शेयरों में विभाजित है, यदि कोई है।

iii) प्रत्येक वर्ग के शेयरधारियों के अधिकार तथा उनके अधिकारों में परिवर्तन करने की पद्धति।

iv) शेयरों के आबंटन, उनके लिए राशि की मांग करने तथा शेयरों को जब्त करने की विधि।

v) शेयर पूँजी में वृद्धि, परिवर्तन या उसे घटाने सम्बन्धी नियम।

vi) शेयरों के हस्तांतरण और अतंरण संबधी नियम तथा उनके लिए अपनायी जाने वाली विधि।

vii) सदस्यों को आबंटित शेयरों पर अदत्त राशि के लिए कम्पनी का ऐसे शेयरों पर पूर्वाधिकार (lien) और इस संबंध में अपनायी जाने वाली विधि।

viii) कम्पनी निदेशकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति, उन के परिश्रामिक, अधिकार व कर्त्तव्य

ix) लेखा परीक्षा समिति, परिश्रामिक समिति और सामाजिक दायित्व समिति का गठन और संयोजन।

x) शेयरों को स्टॉक में परिवर्तन करने की विधि तथा विपरीतयता।

xi) सभा की सूचना, सदस्यों का मताधिकार, प्रॉक्सी, कोरम और मतदान आदि।

xii) लेखों का अंकेक्षण, कोष में राशि अन्तरित करना, लाभांश घोषित करना इत्यादि।

xiii) कम्पनी के ऋण लेने सम्बन्धी अधिकार तथा उन अधिकारों के प्रयोग की विधि।

xiv) शेयर प्रमाण पत्र जारी करना और दूसरी प्रति जारी करने की विधि।

xv) कम्पनी का समापन।

अन्तर्नियमों को बड़ी सावधानी से तैयार करना चाहिए और इस में उन समस्त विषयों से सम्बन्धित नियमों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिन्हें इस में सम्मिलित करना आवश्यक है तथा जो कम्पनी के सुचारू संचालक लिए आवश्यक हों।

परन्तु आप को यह स्मरण रखना चाहिए कि कम्पनी अधिनियम तथा सीमानियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई नियम इस में नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, अन्तर्नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जो पूँजी में से लाभांश वितरण की अनुमति दे क्योंकि धारा 123 के अनुसार केवल लाभ में से ही लाभांश वितरित किया जा सकता है।

असीमित कम्पनी, गारंटी वाली सीमित कम्पनी और शेयर द्वारा सीमित निजी कम्पनी के लिए आवश्यक विनियम

अनुसूची 1 में तालिका G,H,I and J (छ, ज, झ, त्र) के अनुसार गारंटी वाली कम्पनी जिस की शेयर पूँजी है और असीमित दायित्व वाली कम्पनी जिसकी शेयर पूँजी है उनको सदस्यों की संख्या बतानी होगी जिन के साथ वह पंजीकरण करने का विचार कर रही है। गारंटी वाली कम्पनी जिसकी शेयर पूंजी नहीं है और असीमित दायित्व वाली कम्पनी जिसकी शेयर पूँजी नहीं है, अन्तर्नियम में यह देना होगा कि सीमानियम के अभिदाता और वह दूसरे व्यक्ति जिन्हें बोर्ड सदस्यता के लिए स्वीकार करेगा वे भी कम्पनी के सदस्य होंगे।

एक निजी कम्पनी जिस की शेयर पूँजी है अपने अन्तर्नियमों में धारा 2(68) की उपधारा (i), (ii), और (iii) के अनुसार तीन प्रतिबंधों का उल्लेख करेगी जो हैं : i) अपने शेयरों के हस्तातंरण का अधिकार ii) अपने सदस्यों की सीमित संख्या iii) अपनी किसी भी प्रतिभूतियों के अभिदान करने के लिए जनता को आंमत्रण और दूसरी कोई निजी कम्पनी (जिस की शेयर पूँजी नहीं है) अपने अन्तर्नियमों में ऊपर दिए गये केवल पहले और दूसरे प्रतिबंधों का वर्णन करेगी।

7.5 अन्तर्नियमों में परिवर्तन

धारा 14 में प्रावधान है कि कोई कम्पनी, इस अधिनियम के प्रावधानों को अपने सीमानियम में अतंर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए अपने अन्तर्नियमों में परिवर्तन कर सकेगी। जहां परिवर्तन का प्रभाव (क) किसी निजी कम्पनी का सार्वजनिक में या (ख) किसी सार्वजनिक कम्पनी का निजी कम्पनी में है वहां कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा अंतर्नियमों में परिवर्तन कर सकती है।

परन्तु जहां, कोई कम्पनी निजी कम्पनी है, अपने अन्तर्नियमों में इस प्रकार परिवर्तन करती है कि उसमें अब ऐसे प्रतिबन्ध और परिसीमांए सम्मिलित नहीं हैं जो निजी कम्पनी के अन्तर्नियमों में होने चाहिए। यानी जो प्रतिबन्ध धारा 2(68) में हैं, कम्पनी ऐसे परिवर्तन की तारीख से निजी कम्पनी नहीं रहेगी।

दूसरे शब्दों में, एक निजी कम्पनी अपने को सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तन कर सकती है यदि वह तीनों प्रतिबिन्धत उपधाराओं को, जो 2(68) में दी हैं, उन्हे हटा दे (यह निजी कम्पनी की परिभाषा में बताया जा चुका है)

परन्तु अन्तर्नियमों में किया गया ऐसा परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप एक सार्वजनिक कम्पनी निजी कम्पनी में परिवर्तित हो जाए तब तक प्रभावषाली नहीं होगा जब तक केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त न हो जाए। दूसरे शब्दों में यदि कोई सार्वजनिक कम्पनी एक निजी कम्पनी में परिवर्तित होना चाहती है धारा 2(68) के तीनों प्रतिबन्धों उपनियम लागू करके और केवल विशेष प्रस्ताव पास करके, यह नहीं होगा उसे केन्द्र सरकार की अनुमति भी लेनी होगी।

धारा 117 के अंतर्गत आवश्यक विशेष प्रस्ताव पारित करने के विशेष प्रस्ताव की प्रति 30 दिन के अन्दर रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी। विशेष प्रस्ताव द्वारा अन्तर्नियम परिवर्तन करने का अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि इस अधिकार से कम्पनी अपने आप को वंचित नहीं कर सकती **(Walker vs. London Training Company (1879).**

धारा 14(2) के अनुसार अन्तर्नियम का प्रत्येक परिवर्तन और केन्द्र सरकार द्वारा परिवर्तन की स्वीकृति के आदेश की एक प्रति परिवर्तित अन्तर्नियम की मुद्रित प्रति के साथ, पंद्रह दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी, जिसे रजिस्ट्रार पंजीकृत करेगा। उपधारा (2) के अंतर्गत पंजीकृत अन्तर्नियम का कोई भी परिवर्तन, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है, वैध होगा मानो जैसे ये आरम्भ से ही अन्तर्नियमों में थे।

7.5.1 अन्तर्नियमों में परिवर्तन की सीमाएं

आप ने नोट किया होगा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 14 में प्रावधान है कि विशेष प्रस्ताव पारित कर कम्पनी अपने अन्तर्नियमों को बदल सकती है और जहां सार्वजनिक कम्पनी को निजी कम्पनी में बदलना हो, कम्पनी को विशेष प्रस्ताव के अतिरिक्त केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यद्यपि अन्तर्नियम में परिवर्तन कम्पनी का अधिकार है। परन्तु इस अधिकार पर कुछ सीमाएं हैं। ये सीमाएं इस प्रकार हैं:–

1. **सीमानियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए** : अन्तर्नियम में प्रस्तावित परिवर्तन सीमानियम में दिए हुए अधिकारों से अधिक नहीं होना चाहिए और सीमानियम के दिए हुए प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सीमानियम और अन्तर्नियम मे विरोध होने पर सीमानियम के प्रावधान लागू होंगे।

2. **कम्पनी अधिनियम 2013 के या किसी और कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए** : परिवर्तन कम्पनी अधिनियम या और किसी और कानून के विरुद्ध या असंगत नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए धारा 67 के अनुसार कोई सार्वजनिक कम्पनी अपने शेयर क्रय करने के लिए अपनी ही रकम का उपयोग नहीं कर सकती और यदि अन्तर्नियम में ऐसा अधिकार दिया है तो वह व्यर्थ (void) होगा।

   इस प्रकार किसी सदस्य को निकालने और निदेशक को बिना किसी हस्तातंरण प्रपत्र (instrument of transfer) के उस के शेयर हस्तातंरण करने का अधिकार देने का कोई प्रस्ताव पास हुआ तो यह निर्णय हुआ कि प्रस्ताव अवैध है क्योंकि यह कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है **(Madhava Ram Chandra Kamath vs. Canara Banking Corporation (1941)** ।

3. **केन्द्र सरकार द्वारा किए गये परिवर्तन के विरुद्ध नहीं होना चाहिए** : जब धारा 242 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार कम्पनी को सीमानियम या अन्तर्नियम में परिवर्तन का आदेश देती है, कम्पनी को कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो उन आदेशों के विरुद्ध केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन करे।

4. **परिवर्तित अन्तर्नियम** में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो अवैधानिक या लोकनीति के विरुद्ध हो।

5. **परिवर्तन पूर्ण सद्विश्वास में कम्पनी के सर्वागीण हित में होना चाहिए** : परिवर्तन अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न व कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। किसी एक अकेले शेयरधारी को कठिनाई हो तो वह परिवर्तन गलत नहीं होता। **Allien vs. Gold Reefs of West Africa Limited (1900)** के वाद में कम्पनी को ऐसे सभी शेयरों जो "पूर्णतः प्रदत्त नहीं थे पर मांग राशि के लिए पूर्वाधिकार (lien) था। केवल एक शेयरधारी "क" था जिस के पास पूर्णतः प्रदत्त शेयर थे। उस के पास कुछ ऐसे शेयर थे उन पर मांग राशि देनी शेष थी। शेयरधारी "क" की मृत्यु हो गई। कम्पनी ने अन्तर्नियमों में परिवर्तन द्वारा शब्द "पूर्णतः प्रदत्त" काट दिए और अपने लिए पूर्वाधिकार प्राप्त कर लिया चाहे शेयर पूर्णतः प्रदत्त हो या नहीं। "क" के उत्तराधिकारियों ने इस बात पर चुनौती दी कि परिवर्तन का प्रभाव पुरानी तिथि से हो गया। निर्णय हुआ कि परिवर्तन ठीक था। क्योंकि यह कम्पनी के सर्वागीण हित के लिए है चाहे परिवर्तन का प्रभाव पुरानी तिथि से लागू हो।

   पुनः **Side Bottom vs. Kershaw Leese & co. (1920)** के मुकदमे में एक कम्पनी को अन्तर्नियम में परिवर्तन करने के बाद किसी भी सदस्य के शेयरों का स्वामित्व हरण (expropriate) जो कम्पनी को प्रतिस्पर्धा में अपना व्यापार चला रहा था, का अधिकार दे दिया। परिवर्तन के समय केवल एक ही सदस्य कम्पनी की प्रतिस्पर्धा व्यापार में था। उस ने परिवर्तन को चुनौती दी। निर्णय हुआ परिवर्तन वैध है क्योंकि कम्पनी के हित के लिए सद्भावना से किया है।

6. **किसी सार्वजनिक कम्पनी की निजी कम्पनी में बदलने के लिए अन्तर्नियम का परिवर्तन केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता (धारा 14)।**

7. **अन्तर्नियम में परिवर्तन द्वारा कोई कम्पनी किसी तीसरे पक्षकार के साथ अनुबन्ध भंग करके किसी दायित्व को जो अनुबंध से उत्पन्न हुआ है मना करने को सही साबित नहीं कर सकती।** (British Murac Sydnicate Ltd vs. Alperton Rubber Co. (1915) के मुकदमे में एक करार हुआ कि जब तक वादी सिंडीकेट के पास प्रतिवादी कम्पनी के 5000 शेयर हैं इसे दो निदेशकों को प्रतिवादी कम्पनी के बोर्ड में मनोनीत का अधिकार होगा। इस भांति का एक प्रावधान अन्तर्नियम 88 में प्रतिवादी कम्पनी के अन्तर्नियमों में भी था। वादी सिंडीकेट ने दो निदेशकों को मनोनीत किया परन्तु प्रतिवादी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अन्तर्नियम 88 को रद्द करने का प्रयास किया। परन्तु निषेधाज्ञा के कारण रोक लग गई। न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि अनुबंध में साफ शर्त थी कि अनुच्छेद 88 का परिवर्तन नहीं होगा। जहां हानि को मुद्रा में आंका जा सकता है, कम्पनी अपने अन्तर्नियमों का परिवर्तन कर सकती है केवल उसे अनुबन्ध समाप्त करने पर हर्जाना देना होगा।

8. **अन्तर्नियम का पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospective) होना** : अन्तर्नियम के परिवर्तित विनियम को पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू नहीं किए जा सकते, केवल परिवर्तन की तिथि से ही वे लागू होंगे। **(Pyare Lal Sharma Vs. Managing Director, J & K Industries Ltd (1989).**

7.5.2 परिवर्तित अन्तर्नियमों का प्रभाव

परिविर्तित अन्तर्नियम सदस्यों को मूलरूप अन्तर्नियमों की भांति ही बाध्य करते हैं। धारा 10 के प्रावधान के अनुसार अन्तर्नियम कम्पनी और उसके सदस्यों को उस सीमा तक बाध्य करेंगे मानो कम्पनी द्वारा और प्रत्येक सदस्य द्वारा उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किए गए हो; इस का अर्थ है कि मूल रूप से बनाए गये या समय–समय पर यथा परिवर्तित किए गये अन्तर्नियम अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वैध है। कम्पनी को अन्तर्नियमों को परिवर्तन करने का स्पष्ट अधिकार है और परिवर्तित अन्तर्नियम सदस्यों को मूल रूप वाले अन्तर्नियमों की भांति बाध्य करते हैं।

सदस्यों के शेयर हस्तातंरण का अधिकार अन्तर्नियमों के और धारा 14 के प्रावधानों के अधीन होता है। इसलिए हस्तांतरिती के अधिकार हस्तांतरक के अधिकार से बेहतर नहीं होते। कम्पनी के विरुद्ध हस्तांतरिती के अधिकार जब तक हस्तांतरण प्रभावी ना हुआ हो अन्तर्नियम व अधिनियम दोनों के प्रावधान के अधीन होंगे। हस्तांतरिती परिवर्तन को दुर्भावपूर्ण के आधार पर चुनौती नहीं दे सकता जब तक अन्तर्नियम में परिवर्तन कम्पनी की इस अधिकार के क्षेत्र में हैं। **(Mathrubumi Printing & Co. vs. Vardhaman Publishers Ltd (1992)**

7.6 अन्तर्नियम एवं सीमानियम के बीच सम्बन्ध

सीमानियम कम्पनी के उद्देश्यों और अधिकारों को जो उस के पास हैं परिभाषित करता है। अन्तर्नियम निर्धारित करते हैं कि उन उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए और अपने अधिकारों का कैसे प्रयोग किया जाए। अन्तर्नियम सहायक प्रलेख हैं और सीमानियम द्वारा नियंत्रित होते हैं जो कम्पनी का संविधान होता है सीमानियम जो आधारभूत प्रलेख होने के कारण अधिनियम के अनुसार उसका केवल विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है। परन्तु अन्तर्नियम केवल आन्तरिक प्रावधान होते हैं जिन पर सदस्यों का पूर्ण नियत्रंण होता है और वह जब उपयुक्त समझें उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ध्यान देना होगा कि अंतर्नियम में दिए हुए नियम सीमानियम में दिए हुए अधिकारों से अधिक न हों। **(Ashbury vs. Watson (1885)।** अन्तर्नियम जो सीमानियम के बाहर हैं वह कार्य शक्तिबाह्यता (ultra vires) होते हैं। **(Shyam Chand vs. Calcutta Stock Exchange 1947)**

इस नियम के अधीन रहते हुए प्रतिकूलता की दशा में सीमानियम के प्रावधान लागू होंगे, सीमानियम और अन्तर्नियम दोनों समसामयिक (contemporaneous) दस्तावेज हैं व दोनो को साथ पढ़ना चाहिए। किसी एक में कोई अनिश्चितता या अस्पष्टता दूसरे के उल्लेख (हवाले) से दूर की जा सकती है।

एक वाद में एक कम्पनी के सीमानियम में यह प्रावधान नहीं था कि शेयर एक प्रकार के होगें या कई प्रकार के होगें, अन्तर्नियम में कई प्रकार के शेयर जारी करने का प्रावधान था। निर्णय हुआ कि अन्तर्नियम में दिया हुआ प्रावधान अनिश्चिता दूर करता है और कम्पनी को कई प्रकार के शेयर जारी करने का अधिकार देता है **(Re, South Durham Brewery Company (1885)**। जहां सीमानियम ने एक व्यापार करने वाली कम्पनी को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक (incidental) कार्य करने

की शक्ति प्रदान की थी, यह निर्णय हुआ कि अन्तर्नियमों में प्रावधान कम्पनी की किसी को रुपया उधार देने की शक्ति देते हैं और वह केवल सीमानियम को साधारण शब्दों में उदाहरण देकर समझाने जैसा है और कम्पनी अपने कर्मचारियों को रकम उधार दे सकती है। **(Rainford vs. James Keith and Blackman Company Ltd (1905)।** इस प्रकार ही एक कम्पनी के सीमानियम में इसे अपनी सम्पत्तियों की जमानत पर या उधार ऋण लेने का अधिकार दिया था और अन्तनियमों के अंतर्गत वह अनमांगी (uncalled) पूँजी को भी गिरवी रख सकती थी। निर्णय हुआ कि अन्तर्नियम ने साधारण शब्दों को विशेष बना दिया ताकि कम्पनी को अनमांगी पूँजी को गिरवी रखने का अधिकार मिल जाए **(Re Pyle wroks (No. 2) (1891)**

Ashbury Railway Carriage & Iron co Ltd vs. Riche (1875) के केस में लार्ड केर्न्स ने सीमानियम और अन्तर्नियम में सम्बन्धों को बड़े उचित शब्दों में संक्षित रूप से कहा है।

"अन्तर्नियम सीमानियम के आंशिक सहायक (subsidiary) की भूमिका निभाते हैं। वे सीमानियम को एक कम्पनी के निगमन का चार्टर मानते हैं। इस को मानकर अन्तर्नियम अपने और कम्पनी के बीच प्रबंध निकाय के कर्त्तव्य, अधिकार और शक्तियों को परिभाषित करते हैं। कम्पनी का व्यापार किस प्रकार और किस रीति से चलेगा व कम्पनी के आतंरिक विनियमों की समय–समय पर परिवर्तन की रीति क्या होगी। सीमानियम जैसा पहले या .....एक क्षेत्र जिस के बाहर कम्पनी के कार्य नहीं जा सकते, उस क्षेत्र के अन्दर शेयरधारी जैसा चाहें अपनी सरकार के लिए प्रावधान (विनियमन) बना सकते हैं।

7.7 अन्तर्नियम एवं सीमानियम में अन्तर

सीमानियम तथा अन्तर्नियम में निम्नलिखित मुख्य अन्तर हैं

1) सीमानियम में आधारभूत शर्तें होती हैं जिन पर कम्पनी को निगमन की आज्ञा मिलती हैं। ये शर्तें लेनदारों और बाहरी जनता तथा शेयरधारियों के हित के लिए होती हैं। अन्तर्नियम कम्पनी के आंतरिक नियम होते हैं जो कम्पनी और सदस्यों/शेयरधारियों के बीच और सदस्यों के आपस में सम्बन्धों को नियमित करते हैं।

2) सीमानियम वह क्षेत्र बताता है जिस के बाहर कम्पनी कोई कार्य नहीं कर सकती। अन्तर्नियम उस क्षेत्र के भीतर के नियम होते हैं। अतः सीमानियम अन्तर्नियम के मानदंड को निर्धारित करता है।

3) सीमानियम को केवल कुछ अवस्थाओं और अधिनियम में दी हुई पद्धति के अनुसार ही परिवर्तित किया जा सकता है। अधिकतर केसों में केन्द्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है और साथ में शेयरधारियों की अनुमति साधारण सभा में विशेष या साधारण प्रस्ताव पारित करके। आमतौर पर अन्तर्नियम में परिवर्तन विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जाता है।

4) सीमानियम का कोई खंड कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अन्तर्नियम कम्पनी अधिनियम तथा सीमानियम दोनों के सहायक होते हैं।

5) ऐसे कार्य जो सीमानियम के अधिकारों से बाहर हैं, शक्तिबाह्य कहलाते हैं तथा व्यर्थ होते हैं। सब शेयरधारी मिलकर भी ऐसे कार्य की पुष्टि नहीं कर सकते। परन्तु अन्तर्नियम के शक्तिबाह्य कार्यों की पुष्टि एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की जा सकती है बशर्ते उपयुक्त प्रावधान सीमानियम से बाहर न हों।

बोध प्रश्न क

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

   i) अन्तर्नियम ..... के सहायक होते हैं।

   ii) कम्पनी के .....प्रबन्ध के लिए अन्तर्नियमों में नियम एवं विनिमय दिए जाते हैं।

2. बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलत।**

   i) अन्तर्नियम कम्पनी तथा उसके सदस्यों के बीच सम्बन्धों को नियमित करते हैं।

   ii) अन्तर्नियम कम्पनी का चार्टर होते हैं।

   iii) प्रत्येक कम्पनी को अपने अन्तर्नियम बनाने आवश्यक है।

   iv) अन्तर्नियम पर सीमानियम के अभिदाताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए।

   v) अन्तर्नियमों में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरीत या असंगत हो।

   vi) निजी कम्पनी जो शेयर द्वारा सीमित है उन्हें अपने अन्तर्नियम पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती।

7.8 अन्तर्नियम एवं सीमानियम का बाध्यकारी प्रभाव

कम्पनी अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान किया गया है कि पंजीकृत होने के बाद सीमानियम और अन्तर्नियम कम्पनी एवं उसके सदस्यों को उसी सीमा तक बाध्य करते हैं जैसे कि उन पर कम्पनी तथा प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों तथा ये कम्पनी और सदस्यों द्वारा किए गए ऐसे अनुबन्ध का रूप ले लेते हैं जिसके अनुसार वे सीमानियम एवं अन्तर्नियम के समस्त नियमों का पालन करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। कम्पनी के सदस्यों के प्रति, सदस्य कम्पनी के प्रति और सदस्य आपस में एक दूसरे के लिए बाध्य हैं जैसा भी इन दस्तावेजों में दिया हो। लेकिन अन्तर्नियमों के संबंध में कम्पनी तथा इसके सदस्य बाहरी व्यक्तियों के प्रति बाध्य नहीं होते। सीमानियम व अन्तर्नियम का वैधानिक प्रभाव का निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है:

(क) सदस्यों की कम्पनी के प्रति बाध्यता;

(ख) कम्पनी की सदस्यों के प्रति बाध्यता

(ग) सदस्यों की सदस्यों के प्रति बाध्यता

क) सदस्यों की कम्पनी के प्रति बाध्यता : सीमानियम एवं अन्तर्नियम के प्रावधानों का हर सदस्य को पालन करना होगा। सीमानियम तथा अन्तर्नियम में जो भी लिखा है प्रत्येक सदस्य उस से बाध्य होगा।

बोरलैंडस् ट्रस्टी बनाम स्टीन ब्रदर्स एंड कं लिमिटेड (Borlands Trustee vs. Steel Brothers and Co. Ltd.) के केस में कम्पनी के अन्तर्नियम में यह प्रावधान था कि किसी सदस्य के दिवालिया हो जाने पर उसके शेयरों को निदेशकों द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बेच दिया जायेगा। शेयरधारी 'B' दिवालिया हो गया और उसके न्यासी (trustee) ने यह दावा किया कि वह अन्तर्नियम के नियम से बाध्य नहीं है और वह उन शेयरों को उनके वास्तविक मूल्य

पर बेच सकता है। परन्तु इस केस में निर्णय दिया कि दिवालिया या न्यासी अंतर्नियमों से बाध्य है, क्योंकि 'B' द्वारा शेयर अंतर्नियमों की शर्तों के अनुसार खरीदे गए थे।

प्रत्येक सदस्य सीमानियम और अंतर्नियम की विषय वस्तु से बाध्य है चाहे मूल रूप से बनाए गए हों अथवा समय समय पर कम्पनी अधिनियम के अनुसार परिवर्तित किए गए हों।

ख) कम्पनी की सदस्यों के प्रति बाध्यता : कम्पनी अपने सदस्यों के प्रति, जो भी अन्तर्नियमों व सीमानियमों में दिया गया है का पालन करने के लिए बाध्य होती है। कम्पनी केवल सदस्यों के प्रति या केवल 'सदस्यों के एक समूह' के प्रति ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत सदस्य के प्रति उसके व्यक्तिगत अधिकारों के लिए बाध्य है। कम्पनी का कोई भी सदस्य कम्पनी को वह कार्य करने से रोक सकता है जो शक्तिबाह्य है। कोई सदस्य कम्पनी को उस के प्रति इस का दायित्व पूरा करने पर बाध्य कर सकता है जैसे सभा की सूचना भेजना, सभा में मतदान के लिए आज्ञा देना।

Wood vs. Odessa waterworks (1899) के केस में निदेशकों ने लाभांश को डिबेन्चर के जारी करने के रूप में प्रस्ताव किया। अन्तर्नियम में 'नकद' लाभांश देने का प्रावधान था। निर्णय हुआ कि भुगतान का अर्थ नकद में भुगतान करना है और इसलिए अन्तर्नियमों के अनुसार कम्पनी नकद लाभांश देने के लिए बाध्य है।

ग) सदस्य दूसरे सदस्य के प्रति बाध्य : अन्तर्नियम सदस्यों को आपस में बाध्य करते हैं अर्थात एक को दूसरे से जहां तक उन अधिकारों और कर्तव्यों का सम्बन्ध है जो अन्तर्नियमों से उत्पन्न होते हैं।

यह निश्चित है कि अन्तर्नियमों में कम्पनी और सदस्य के बीच और सदस्यों का आपस में जहां तक सदस्यों का उनके अधिकारों से संबंध है संविदात्मक बल होता है **(Rama Krishna Industries (P) Ltd vs. P. R. Rama Krishnan (1988)।** अन्तर्नियमों का जब पंजीकरण हो जाता है, तब वे ना केवल कम्पनी और सदस्यों के बीच अनुबन्ध का रूप लेते हैं परन्तु दूसरो ओर वे सदस्यों के आपस में अनुबंध का रूप भी ले लेते हैं **(Shiv Omkar Maheshwari Work vs. Bansidhar Jagannath (1957)।**

एक कम्पनी के अन्तर्नियमों में प्रावधान था कि जब कभी कोई सदस्य अपने शेयरों का हत्तांतरण करना चाहे उसका दायित्व होगा कि वह निदेशकों को अपना आशय बताए और निदेशकों का दायित्व था कि वे उन शेयरों को उचित मूल्य पर आपस में बांट लें। निदेशकों ने एक सदस्य के शेयर लेने से मना कर दिया कि अन्तर्नियम उन पर कोई प्रर्वतनीय दायित्व नहीं लगाते। निर्णय हुआ कि शेयरों को खरीदने का निदेशकों का एक सदस्य की हैसीयत से दायित्व है। अन्तर्नियम के प्रावधान के कारण सदस्यों का आपस में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है **(Rayfield vs. Hand (1960)।**

फिर भी, अन्तर्नियम कम्पनी के सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट अनुबन्ध का निर्माण नहीं करते हैं। एक सदस्य दूसरे सदस्य या सदस्यों के विरुद्ध अन्तर्नियम को लागू करते के लिए अपने नाम से कोई मुकदमा नहीं कर सकता। किसी पीड़ित की रक्षा करने हेतु केवल कम्पनी ही दोषी के विरुद्ध दावा कर सकती है। इस प्रकार सदस्यों के परस्पर अधिकारों को विनियमित किया जाता है।

परन्तु एक शेयरधारी अपने नाम से किसी दूसरे को कपटपूर्ण या शक्तिबाह्य कार्य को रोकने के लिए दावा कर सकता है। **Jahangir & Modi vs. Shamji Ladha (1986)** के केस में मुम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया "एक शेयरधारी निदेशकों

के विरुद्ध कार्यवाई कर सकता है कम्पनी को पक्ष बनाए बिना यदि उन्होने कम्पनी के फंड को ऐसे लेन–देन में लगाया है जिसका उन को अधिकार नहीं था।

क्या कम्पनी या सदस्य बाहरी व्यक्तियों के प्रति बाध्य है ?

सीमानियम या अन्तर्नियम बाहरी व्यक्तियों को कम्पनी या सदस्यों के विरुद्ध कोई संविदात्मक अधिकार प्रदान नहीं करते चाहे अन्तर्नियमों में बाहरी व्यक्तियों का नाम दिया हो। कोई बाहरी व्यक्ति (जैसे की एक गैर सदस्य) कम्पनी के विरुद्ध किसी वाद में अन्तर्नियमों पर निर्भर नहीं हो सकता।

एक केस में कम्पनी के अन्तर्नियमों में उल्लेखित था कि 'E' जीवन पर्यन्त कानूनी सलाहकार बने रहेंगे तथा उन्हें दुराचरण के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से उस पद से हटाया नहीं जाएगा। बाद में वह कम्पनी के सदस्य भी बन गए। परन्तु कुछ वर्ष तक कानूनी सलाहाकार के रूप में नौकरी के बाद उन्हें उस पद से हटा दिया गया। उसने सदस्य होने पर, दावा कर दिया और अन्तर्नियम में प्रावधान के कारण अनुबन्ध भंग के आधार पर हर्जाना मांगा। उनका केस इस आधार पर रद्द कर दिया कि कानूनी सलाहाकार के रूप में वे अन्तर्नियम का पक्ष नहीं थे 'E' को अन्तर्नियमों के अतिरिक्त स्वतंत्र अनुबन्ध सिद्ध करना था। एक सदस्य के रूप में उनके अधिकारों का उल्लघंन नहीं हुआ था **(Eley vs. Positive Government Security Life Assurance Co. (1876)**

अन्तर्नियमों में जो भी दिया है क्या उस के लिए निदेशक बाध्य हैं

कम्पनी के निदेशकों को अन्तर्नियमों द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं और उन के अधिकारों पर सीमाएं, यदि हैं, वे भी अन्तर्नियम द्वारा लागू होती हैं। यदि वे अन्तर्नियमों के किसी प्रावधान का उल्लघंन करते हैं तो किसी सदस्य के आग्रह (instance) पर अपने ऐसे कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। परन्तु सदस्य यदि चाहे तो उन के कार्य की पुष्टी कर सकते हैं। यदि कर्त्तव्य के उल्लघंन के कारण कम्पनी को कोई हानि होती है तो निदेशक को उस कम्पनी की हानि की प्रतिपूर्ति करनी होगी।

7.9 सीमानियम एवं अन्तर्नियम की प्रलक्षित सूचना

धारा 399 के अनुसार रजिस्ट्रार के पास जब सीमानियम और अन्तर्नियम का पंजीकरण हो जाता है तो ये "सार्वजनिक दस्तावेजों का रूप ले लेते हैं। कोई भी व्यक्ति निर्धारित फीस दे कर इनकी जांच कर सकता है। धारा 17 (read alongwith Rule 34 of Companies Incorporation Rule 2014) के अनुसार किसी सदस्य के निवेदन व निर्धारित फीस देने पर निम्नलिखित किसी भी दस्तावेज की सात दिन के भीतर कम्पनी को उसे एक प्रतिलिपि भेजनी होगीः

1. सीमानियम
2. अन्तर्नियम, यदि कोई है
3. धारा 117 (1) में दिये हुए प्रत्येक करार व प्रत्येक प्रस्ताव की प्रति यदि वे सीमानियम और अन्तर्नियम में नहीं सम्मिलित किए गए।

उपर्युक्त प्रति (प्रतियां) न देने पर कम्पनी और चूक (default) करने वाला हर अधिकारी, प्रतिदिन 1000 रुपये जुर्माना जब तक चूक जारी रहती है या 1,00,000 रूपये, जो भी कम हो, इस चूक का जिम्मेदार है।

इसलिए कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के साथ अनुबंध करने का विचार कर रहा है

यह मान लिया जाता है कि उसे पता है कि कम्पनी के क्या अधिकार है और किस सीमा तक निदेशको को सौंपें गए हैं।

दूसरे शब्दों में कम्पनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि उसने इन दस्तावेजों को पढ़ लिया है और उनमें लिखी बातों को ठीक से समझ लिया है। ऐसे दस्तावेजों की जानकारी होने की मान्यता को 'प्रलक्षित सूचना का सिद्धान्त' कहते हैं। यदि कोई पक्ष कम्पनी के साथ लेन–देन कर रहा है चाहे उसे वास्तविकता मे इन दस्तावेजों में क्या लिखा है इसकी जानकारी नहीं है फिर भी यह मान लिया जाता है कि उसे गर्भित प्रलक्षित सूचना थी। यदि कम्पनी की अपनी सम्पत्ति परिसम्पति या भार या उसका कोई उपक्रम धारा 77 के अंतर्गत पंजीकृत है ऐसी सम्पत्ति, परिसम्पत्ति उपक्रम या उसका अंश लेने वाले व्यक्ति को यह समझा जाएगा कि उसे इसकी रजिस्ट्रेशन की तारीख से ऐसे भार (Charge) की सूचना प्राप्त हो गई है (धारा 80)

उदाहरण : एक कम्पनी के अन्तर्नियम में प्रावधान था कि विनिमय पत्र को प्रभावी बनाने के लिए दो निदेशकों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। एक विनिमय पत्र पर केवल एक ही निदेशक के हस्ताक्षर थे। आदाता (payee) को विनिमय पत्र पर रकम प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

7.10 आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त (Doctrine of Indoor Management)

प्रलक्षित सूचना के सिद्धान्त से व्यवसायिक लेन–देनों में बहुत असुविधा होने लगी थी, विशेष रूप से जब निदेशकों और अधिकारियों को अपने अधिकार लागू करने पर शेयर धारियों की पूर्व स्वीकृति या पुष्टी लेनी पड़ती थी। क्या वे स्वीकृति या पुष्टी वास्तव में ली गई थी या नहीं यह मालूम नहीं किया जा सकता था क्योंकि निवेशकों, विक्रेताओं, लेनदारों और बाहरी व्यक्तियों का यह साहस नहीं था कि बहुत सारे शब्दों में निदेशकों से इन पुष्टियों के बारे में पूछें या संबधित प्रस्तावों को दिखाने के लिए कहें। स्वाभाविक रूप से, माने यदि कम्पनी ने "बांड" या "डिबेन्चर" जारी किए हैं आप निदेशकों से यह नहीं पूछेंगे कि शेयरधारियों का प्रस्ताव दिखाएं जिस के अनुसार उन को ऐसे बांड जारी करने का अधिकार दिया है इस से पहले आप क्रय करें। इसी प्रकार यदि कोई निदेशक आप से कुछ हजारों रूपये का सामान कम्पनी की ओर से खरीदना चाहता है आप उस से अटर्नी अधिकार (power of attorney) या काई सम्बंधित दस्तावेज नहीं मागेंगे जिस के अनुसार उस कम्पनी की ओर से उसे यह अधिकार मिला है।

और यदि आप ऐसा करते हैं तो एक अच्छा ग्राहक सदा के लिए गवां देते हैं। कोई अधिकारी यदि अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है तो यह पता लगाना कठिन है कि अन्तर्नियमों के अनुसार उन की मंजूरी और स्वीकृति तो ली गयी है। जो कम्पनी के साथ व्यवहार करते हैं वह यह मान लेते हैं कि जो अधिकारी या निदेशक उन से लेन–देन सौदा कर रहा है उसने आवश्यक अनुमति ले ली है। इस सिद्धान्त को "आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त" कहते हैं। यह सिद्धान्त सब से पहले **रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टरक्वेन्ड" (Royal British Bank vs Turquand) (1856)** के केस में प्रतिपादित हुआ। इस केस के तथ्य इस प्रकार हैं:

कम्पनी के अन्तर्नियमों द्वारा कम्पनी के निदेशकों को बांड जारी करके ऋण लेने का अधिकर इस शर्त पर दिया कि उधार लेने वाली राशि के लिए, समय–समय पर

साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके अधिकार दिया जाए। निदेशकों ने बांड जारी कर दिए परन्तु कम्पनी ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। निर्णय हुआ कि 'T' को यह मान लेने का अधिकार है कि कम्पनी की साधारण सभा में प्रस्ताव पास हुआ था।

आप नोट करें कि यदि विशेष प्रस्ताव द्वारा शेयरधरियों की अनुमति मिल जाती तो स्थिति अलग होती। यह इसलिए की धारा 117 के अनुसार सारे विशेष प्रस्ताव रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होने चाहिये और उन सारे दस्तावेजों का जिनका पंजीकरण रजिस्ट्रार के पास हो गया है यह माना जाता है कि उन की जानकारी उन व्यक्तियों को है जो कम्पनी के साथ व्यापार (लेन–देन) करते हैं। अतः आपने पूर्व परिचर्चा से यह पाया कि "प्रलक्षित सूचना का सिद्धान्त" ने उन व्यक्तियों पर जो कम्पनी से अनुबन्ध कर रहे हैं यह जिम्मेदारी दे दी है कि उन्होने कम्पनी का सीमानियम और अन्तर्नियम पढ़ लिए हैं भले ही उन्होनें उन दस्तावेजों को पढ़ा न भी हो। दूसरी ओर आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त इस बात की अनुमति उन व्यक्तियों को, जो कम्पनी के साथ व्यवहार करते है, देता है कि वह भी यह मान कर चलें कि कम्पनी के अधिकारियों ने भी अन्तर्नियमों के प्रावधानों का पालन किया है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति कम्पनी के व्यवहार करते हैं वे इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि यह जानकारी लें कि आंतरिक कार्यवाही नियमितता से की गयी है।

आन्तरिक प्रबन्ध सिद्धान्त के अपवाद

उपर बताये गये "अन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त के कुछ उपवाद हैं जिन का आधार केस (cases) हैं। अर्थात् निम्नलिखित परिस्थितियों में जो व्यक्ति कम्पनी से व्यवहार कर रहे है उन्हें "आन्तरिक प्रबन्ध के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिल सकता : –

(1) **जब बाहरी व्यक्तियों को अनियमितता की जानकारी थीः** यह नियम उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान नहीं करता जिस को वास्तविक या प्रलिक्षित अनियमितता की जानकारी है कि वह अधिकारी जो कम्पनी की ओर से कार्य कर रहा है उसे कोई अधिकार नहीं है। अतः ऐसे व्यक्ति को यह अच्छी प्रकार मालूम है कि निदेशक को कोई लेन–देन करने का कम्पनी की ओर से अधिकार नहीं है। यदि फिर भी वह अनुबन्ध करता है तो वह इस सिद्धान्त के अर्न्तगत कोई संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता।

Howard vs. Patent Ivory Co. के केस में अन्तर्नियम में निदेशकों को 1000 पौंड तक की राशि उधार लेने का अधिकार था। इस राशि से अधिक राशि के लिए शेयरधारियों की साधारण सभा में सहमति होना आवश्यक था। उस राशि से अधिक राशि के लिए निदेशको ने शेयरधारियों की ऐसी कोई सहमति लिए बिना एक निदेशक से 3500 पौंड उधार लिए और जिस को ऋण पत्र दे दिए। कम्पनी ने भुगतान करने से मना कर दिया। निर्णय दिया क्योंकि निदेशकों को अनियमितता की जानकारी थी या होनी चाहिए थी। अतः कम्पनी से ऋण पत्र पर केवल 1000 पौंड तक ही वसूल कर सकते हैं।

(2) **अन्तर्नियम की कोई जानकारी नहीं:** यह नियम उस व्यक्ति के समर्थन में उपयोग नहीं किया जा सकता जिसने सीमानियम व अंतर्नियमों पढ़ा नहीं है और इस पर भरोसा नहीं किया है।

Rama Corporation vs. Proved Tin & General Investment Co. (1952) के मुकदमें में 'T' एक निवेश फर्म का निदेशक था। उसने कम्पनी की ओर से काम करने का नाटक कर तथा कारपोरेशन के साथ एक अनुबन्ध किया और उसमें एक चैक प्राप्त कर लिया। कम्पनी के अंतर्नियमों ने इस बात की आशा की थी कि निदेशक

अपने अधिकार किसी एक को दें। लेकिन रामा कारपोरेशन के व्यक्तियो ने यह अंतर्नियम पढे ही नहीं थे। बाद में यह पता लगा कि कम्पनी के निदेशको ने T को अधिकार नहीं दिए थे। वादी ने आंतरिक प्रबन्ध पर भरोसा किया। यह निर्णय हुआ कि वह नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अधिकार देने की शक्ति के बारे में मालूम नहीं था।

(3) **जालसाजी** : "आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त" उन लेन–देनें में लागू नहीं होता है जब कोई जालसाजी हो या आरम्भ से अवैध हो या व्यर्थ हो। जालसाजी की अवस्था यह नहीं है कि स्वतन्त्र सहमति नहीं होती बल्कि सहमति होती ही नहीं। वे व्यक्ति जिस के हस्ताक्षर जाली बनाए गए हैं वह तो उस लेन–देन के बारे में जानते तक नहीं हैं। इस लिए उसकी सहमति स्वतन्त्र है या नहीं प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कोई सहमति ही नहीं है। इस लिए कोई लेन–देन ही नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, यह नहीं है कि स्वामित्व का अधिकार त्रुटिपूर्ण है परन्तु कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए जालसाजी कितनी ही चतुराई से की गयी हो, उस व्यक्ति को कोई अधिकार ही नहीं हैं। एक वाद में सचिव ने दो निदेशकों के जाली हस्ताक्षर जारी कर दिए जो अन्तर्नियम के अनुसार शेयर सर्टिफिकेट पर होने थे। उस ने शेयर सर्टिफिकेट बिना अधिकार के जारी कर दिया। कम्पनी के प्रार्थी को कम्पनी का सदस्य पंजीकृत करने से मना कर दिया गया। सर्टिफिकेट व्यर्थ माना गया और सर्टिफिकेटधारी को "आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त" का कोई लाभ नहीं दिया गया। **(Ruben vs. Great Fingal consolidated (1906) ।** जालसाजी के मामले में आंतरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त लागू नहीं होता।

(4) **लापरवाही** : –"आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त" किसी भी प्रकार से उन को जो लापरवाही करते हैं इनाम नहीं देता। अतः यदि कम्पनी का कोई अधिकारी इस प्रकार कार्य करता है जो सामान्यतः उस के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कम्पनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को पूरी पूछताछ करनी चाहिए और अधिकारी के अधिकार के बारे में संतुष्टी करनी चाहिए। यदि उस ने पूछताछ नहीं की तो उसे नियम पर निर्भर करने से रोक दिया जाता है । **Al Underwood vs. Bank of Liverpool (1924)** के केस में एक व्यक्ति, जो निदेशक और मुख्य शेयरधारी था कम्पनी के नाम के चैक अपने व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा कराता था। बैंक से पूछताछ हुई और यह निर्णय हुआ कि बैंक को निदेशक के अधिकार के विषय में पूछताछ करनी चाहिए थी। निदेशक के स्पष्ट अधिकारी पर बैंक निर्भर होने का अधिकार नहीं रखता। इसी प्रकार **(B Anand Behari Lal vs. Dinshaw & Co (Bankers) Ltd (1942)** के मामले में एक लेखापाल ने कम्पनी की कुछ सम्पत्ति वादी के नाम हस्तांतरित कर दी। न्यायालय ने इस हस्तांतरण को व्यर्थ घोषित ठहराया क्योंकि कम्पनी की सम्पत्ति को हस्तांतरित करना लेखापाल के अधिकार का विषय नहीं था। वादी को जांच करनी चाहिए थी।

(5) **अन्य** : यह सिद्धान्त, जहां कोई कम्पनी अपने आप कोई विशेष अधिकार का प्रयोग जब तक नहीं कर सकती जब कोई पूर्व शर्त पूरी करनी हो, लागू नहीं होता। अर्थात जहां कोई कार्य ना केवल निदेशकों/अधिकारियों के बल्कि कम्पनी के भी शक्तिबाह्य है। **(Pacific Coast Coal Mines vs. Arbuthnote (1917))**

बोध प्रश्न ख

1) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

   i) पंजीकृत हो जाने के बाद, सीमानियम, एवं अन्तर्नियम कम्पनी और उसके ..... को बाध्य करते हैं।

   ii) कम्पनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है..... कि उसे की विषयवस्तु की सूचना है।

iii) कम्पनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह मान लेने का ..... है कि कम्पनी के आन्तरिक प्रबन्ध के सम्बन्ध में जो कुछ भी करना चाहिए था वह सब कर लिया गया है।

2) बताइये कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलतः**

i) अन्तर्नियम सीमानियम की किसी अस्पष्टता का वर्णन कर सकते हैं।

ii) कम्पनी के सीमानियम व अन्तर्नियम में कम्पनी किन शर्तों पर अपने शेयर विक्रय कर रही है, दिया होता है।

iii) कम्पनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को यह मानने का अधिकार नहीं है कि आन्तरिक प्रबन्ध सम्बन्धी जो कुछ भी करना चाहिए था, कम्पनी ने वह सब कुछ कर दिया है।

iv) अन्तर्नियम कम्पनी और सदस्यों के मध्य सम्बन्धों को नियमित करते हैं।

v) कम्पनी के साथ व्यवहार करने वाला व्यक्ति यदि कम्पनी के साथ व्यवहार करते सयम अनियमितता का पता कर सकता है, तो वह आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त के अन्तर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

3) निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है –

i) तालिका F (च) में माडल रूप दिया है : –

(क) कम्पनी जो शेयरों द्वारा सीमित है उन के प्रबंध के प्रावधानों का

(ख) कम्पनी जो शेयरों द्वारा सीमित है उस का सीमानियम

(ग) गारंटी द्वारा सीमित कम्पनी जिस की शेयर पूँजी नहीं है उस का सीमानियम व अंतर्नियम।

ii) यदि सीमानियम व अन्तर्नियम में विरोध हो तो :

(क) अन्तर्नियम मानें जाएंगे

(ख) सीमानियम माना जाएगा

(ग) निदेशक विरोध का हल निकालेगें

(ड) न्यायालय विरोध का हल निकालेगा

(iii) अन्तर्नियमो में परिवर्तन किया जा सकता है

(क) निदेशकों द्वारा

(ख) कम्पनी के किसी भी अधिकारी द्वारा

(ग) शेयरधारियों द्वारा साधारण प्रस्ताव पारित करके

(ड) शेयरधारियों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके

7.11 सारांश

अन्तर्नियम एक कम्पनी के नियम, विनियम और प्रावधान होते हैं जो कम्पनी के आन्तरिक मामलों का प्रबंध का नियन्त्रण और कारोबार चालने में सहायक होते हैं। अन्तर्नियम अधिकारियों की शक्तियों को परिभाषित करता है। ये कम्पनी और सदस्यों तथा सदस्यों के परस्पर एक अनुबन्ध बनाते हैं। सीमानियम के सम्बन्ध में अन्तर्नियम की स्थिति सहायक की है। यदि दोनों में विरोध है तो सीमानियम के प्रावधान लागू होंगे।

अन्तर्नियम की विषयवस्तु जैसे शेयर पूँजी, विभिन्न प्रकार के शेयरधारियों के अधिकार, शेयर प्रमाण पत्र शेयरों पर पूर्वाधिकार, शेयरो का हस्तांतरण व पारेषण, शेयरों पर मांग, शेयरों का स्टॉक व स्टॉक का शेयरों में परिवर्तन, साधारण सभांए, उन की कार्यवाई, निदेशक प्रथम निदेशक समेत, उनकी नियुक्ति, उन के पारिश्रमिक, उनकी अहर्ताएं, उन की शक्तियां व बोर्ड की सभाओं की कार्यवाई होती है।

अनुसूची 1 की तालिका F,G,H,I, और J (च, छ, ज, झ, त्र) में विभिन्न प्रकार की कम्पनियों के अन्तर्नियमों के मॉडल दिए हैं। कम्पनी अपने से सम्बंधित अन्तर्नियम सीधे अपना सकती है।

कम्पनी निगमन नियम 2014 के नियम 13 के अनुसार कम्पनी के अंतर्नियमों को सीमानियम के प्रत्येक अभिदात्ता द्वारा हस्ताक्षर करने चाहिए, जो अपना नाम, पता, और व्यवसाय विवरण लिखेगें यदि कोई है। हस्ताक्षर एक गवाह की उपस्थिति में होंगे जो उनके हस्ताक्षर प्रमाणित करेगा तथा अपने हस्ताक्षर भी करेगा और अपना नाम, पता, विवरण व व्यवसाय यदि कोई है, लिखेगा।

अन्तर्नियमों में परिवर्तन शेयरधारियों के विशेष प्रस्ताव पारित द्वारा हो सकता हैं। फिर भी, इस शक्ति की कुछ सीमाएं है जैसें परिवर्तन कम्पनी अधिनियम या और विधि के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, पूर्ण सद्भावना, कम्पनी के पूर्ण हित में होना चाहिए और लोकनीति के विरुद्ध नहीं हो। केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना सार्वजनिक कम्पनी को निजी कम्पनी में परिवर्तन नहीं हो सकता; तीसरे पक्षों के साथ जो अनुबन्ध हुआ है उस का खण्डन न हो, सामान्यतः परिवर्तन पूर्वप्रभावी लागू नहीं होता। अन्तर्नियम में परिवर्तन उस ही प्रकार सदस्यों को बाध्य करता है जैसे मूल अंतर्नियम लागू होते हैं।

धारा 399 के अनुसार सीमानियम और अन्तर्नियम पंजीकरण पश्चात् सार्वजनिक दस्तावेज बन जाते हैं और कोई भी व्यक्ति निहित फीस देकर निरीक्षण कर सकता है। यह सुविधा जो व्यक्ति कम्पनी के साथ व्यावहार करते हैं उन्हे उपलब्द्ध है, विधि में यह प्रकल्पना है कि वे व्यक्ति उन को पढ़ते ही नहीं बल्कि व उनको उनकी समझ भी है। अतः यह प्ररिकल्पना की जाती है कि जिस व्यक्ति ने कम्पनी के साथ व्यवहार किया है उसको स्पष्ट नहीं तो गर्भित नोटिस था। इसे "प्रलक्षित सूचना का सिद्धान्त" कहते हैं। परन्तु इस सिद्धान्त पर "आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त" एक सीमा का कार्य करता है। "आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त" सबसे पहले "Royal British Bank vs Turquand" के केस में लागू हुआ। यही सिद्धान्त उन को जो कम्पनी के साथ व्यवहार करते है रक्षा प्रदान करता है उन अधिकारियों से जिन्होंने अन्तर्नियम में दी हुई रीति को उन अधिकारों का प्रयोग करते समय पालन नहीं किया। कम्पनी के साथ व्यवहार करने वाले बाध्य नहीं है कि वे यह मालूम करें कि आन्तरिक रीति उचित थी या नहीं।

फिर भी, "आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त" का लाभ उन निदेशकों को नहीं मिलता जिन्होनें ना तो अन्तर्नियम पढ़े और जिन के पास सत्य कि पुष्टी करने के साधन थे। पुनः यह जालसाजी और लापरवाही की स्थिति में लागू नहीं होता।

7.12 शब्दावली

प्रलक्षित सूचना (Constructive Notice) : कम्पनी के साथ व्यवहार करने वालों के सम्बन्ध मे कानून की यह मान्यता कि उन्हें दस्तावेजों की विषयवस्तु की जानकारी है।

(Inter se) : परस्पर एक दूसरे के बीच।

सार्वजनिक दस्तावेज (Public Document): कोई भी ऐसा दस्तावेज जो किसी सरकारी अधिकारी के कब्जे में है तथा जिसकी कोई भी जाँच कर सकता है।

7.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) i) सीमानियम ii) आन्तरिक मामलों

2 i) सही ii) गलत iii) सही iv) सही v) गलत vi) गलत

ख) 1 i) सही ii) सही iii) गलत iv) सही v) सही

2 i) सदस्यों ii) सीमानियम एवं अन्तर्नियम iii) अधिकार

3 i) क ii) ख iii) ड

7.14 स्वपरख प्रश्न

1. अन्तर्नियम क्या होते हैं? इनमें कैसे परिवर्तन किया जा सकता है ?
2. "कम्पनी के अन्तर्नियमों मे परिवर्तन करने सम्बन्धी अधिकार व्यापक हैं किन्तु वे कई सीमाओं के अधीन होते हैं।" स्पष्ट कीजिए।
3. अन्तर्नियम की सामान्य विषयवस्तु क्या होती है ?
4. अन्तर्नियम के कानूनी प्रभाव स्पष्ट कीजिए। वे बाहरी व्यक्तियों पर किस सीमा तक लागू होते हैं?
5. सीमानियम तथा अन्तर्नियम के परस्पर सम्बन्ध की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
6. सीमानियम तथा अन्तर्नियम में क्या अन्तर है?
7. आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त को समझाइए। इस सिद्धान्त के क्या कुछ अपवाद हैं?
8. निम्नलिखित मामलों का कारणों सहित उत्तर दीजिए :

   (i) कम्पनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता ने 'X' के नाम एक शेयर प्रमाणपत्र जारी किया, जो प्रत्यक्षतः अन्तर्नियम के अनुसार था तथा उस पर दो निदेशकों व सचिव के हस्ताक्षर थे तथा उस पर कम्पनी की 'सील' भी अंकित थी। वास्तव में, कम्पनी के सचिव ने निदेशकों के जाली हस्ताक्षर कर दिए तथा बिना अधिकार प्राप्त किए कम्पनी की 'सील' भी अंकित कर दी। क्या कम्पनी इस शेयर प्रमाणपत्र से बाध्य होगी?

   (ii) वादी ने प्रतिवादी कम्पनी के निदेशक के साथ अनुबंध के वाद एक चैक दिया अंतर्नियमों के अंतर्गत निदेशक को कोई अधिकार नहीं मिल सकता था परन्तु अलग से अधिकार नहीं था। वादी ने अन्तर्नियम नहीं पढ़े थे। निदेशक ने चैक का पैसा गबन कर लिया। वादी ने कम्पनी पर वाद कर दिया। क्या कम्पनी देनदार है ?

   (iii) 'X' कम्पनी 'A' कम्पनी 'B' की परिसम्पत्तियों को बन्धक रख कर ऋण प्रदान करती है। अन्तर्नियमों में निर्धारित कार्य–विधि का पालन नहीं किया गया और दोनों कम्पनियों के निदेशक एक ही थे। क्या इस बन्धक से कम्पनी 'B' बाध्य है?

   (iv) कम्पनी के अन्तर्नियम में एक खंड था जिसके अनुसार अनिल कम्पनी का सालिसिटर नियुक्त हुआ तथा उसे दुराचरण के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं निकाला जा सकता था। क्या कम्पनी अनिल को निकाल सकती है यद्यपि वह दुराचरण का दोषी नहीं है।

   (v) कम्पनी जिसमें निदेशक के पास बहुसंख्यक शेयर को विशेष प्रस्ताव

पारित करके अन्तर्नियमों में ऐसा परिवर्तन किया जिसके द्वारा निदेशकों को अधिकार दिया गया कि वे किसी ऐसे शेयरधारी को, जो प्रतिस्पर्धी व्यापार करता है, अपने शेयर निदेशकों द्वारा नामांकित व्यक्ति को हस्तांतारण करने के लिए बाध्य करे। वादी पुनः जो कि प्रतिस्पर्धा व्यापार करता था तथा जिसके पास कम्पनी के कुछ शेयर थे। इस परिवर्तन की वैधता को चुनौती दी। आप अपना निर्णय दीजिए।

संकेत

i) नहीं। जालसाजी कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। अतः कम्पनी उस शेयर प्रमाणपत्र से बाध्य नहीं है। (Ruben Vs. Great Fingal Consolidated Co. का केस पढ़िए)

ii) नहीं। कम्पनी देनदार नहीं है। आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त के अंतर्गत रक्षा नहीं मिलती जिस व्यक्ति को कम्पनी के अन्तर्नियम का ज्ञान नहीं है (Rama Corporation VS Protection and Investment Co.) ।

iii) नहीं। यह बन्धक कम्पनी B पर बाध्य नहीं है क्योंकि निदेशकों को अनिवार्य जानकारी थी।

iv) हाँ। कम्पनी अनिल को पद से हटा सकती है क्योंकि अन्तर्नियम कम्पनी और बाहरी व्यक्तियों के बीच अनुबन्ध का निर्णय नहीं करते (Eley Vs Positive Government Life Assurance Co. Ltd के केस को पढ़िए)

v) हों; परिवर्तन पूर्णतः वैध है, क्योकि यह कम्पनी के समुचित हित में है। देखें (Side bottom vs Kerskaw Leese & Co.)

नोट : इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 8 प्रविवरण (Prospectus)

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 प्रविवरण का अर्थ तथा महत्व

8.3 प्रविवरण की विषय–वस्तु

8.4 प्रविवरण से संबंधित सांविधिक अपेक्षाएं

8.5 प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता कब नहीं होती

8.6 मानित प्रविवरण

8.7 शेल्फ प्रविवरण तथा रेड हैरिंग प्रविवरण

8.7.1 शेल्फ प्रविवरण

8.7.2 रेड हैरिंग प्रविवरण

8.8 न्यूनतम अभिदान

8.9 प्रविवरण में मिथ्या कथन और उसके परिणाम

8.10 प्रविवरण का निर्माण करने का सुनहरा नियम

8.11 कल्पित नाम से शेयरों का आंबटन

8.12 प्रस्तावित पूँजी के निर्गमन की घोषणा

8.13 सारांश

8.14 शब्दावली

8.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.16 स्वपरख प्रश्न

8.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- प्रविवरण का अर्थ एवं महत्व समझा सकें;
- प्रविवरण की विषयवस्तु का वर्णन कर सकें;
- मानित प्रविवरण, शेल्फ प्रविवरण, सूचना ज्ञापन का अर्थ स्पष्ट कर सकें;
- न्यूनतम अभिदान की संकल्पना का वर्णन कर सकें;
- कल्पित नाम के शेयरों के आबटंन के परिणामों की व्याख्या कर सकें;
- प्रविवरण के निर्माण के सुनहरे नियम को समझा सकें; और
- प्रविवरण में मिथ्या कथन के प्रभाव और उपलब्ध उपचार बता सकें।

8.1 प्रस्तावना

निगमन के बाद कम्पनी को अपना व्यवसाय चालने के लिए आवश्यक साधन जुटाने

पड़ते हैं। आपने यह पढ़ा होगा कि निजी कम्पनी के लिए जनता को अपनी शेयर पूंजी के अभिदान करने को आमंत्रित करना वर्जित है। इसलिए शेयर पूंजी के लिए अभिदान करने के लिए जनता को आमंत्रित करने की आवश्यकता केवल सार्वजनिक कम्पनी की स्थिति में ही होती है। सार्वजनिक कम्पनी की स्थिति में भी यदि निदेशक निजी तौर पर आवश्यक पूँजी की व्यवस्था करने के लिए आश्वस्त हैं तो उन्हें प्रविवरण के निर्गमन की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यतया एक सार्वजनिक कम्पनी प्रविवरण के निर्गमन के द्वारा अपनी पूँजी जुटाती है। प्रविवरण के निर्गमन का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को कम्पनी के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, पूँजी की संरचना, भविष्य की प्रत्याशाओं और प्रबंध आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस इकाई में आप प्रविवरण का अर्थ, महत्व और निर्गमन की आवश्यकता के बारे में पढेंगे। आपको प्रविवरण की विषयवस्तु के बारे में बताया जायेगा, तथा मानित प्रविवरण, शेल्फ प्रविवरण और सूचना ज्ञापन के बारे में भी बताया जाएगा। अन्त में, प्रविवरण के निर्माण का सुनहरा नियम, कल्पित नाम में शेयरों के आंबटन के परिणाम तथा प्रविवरण में मिथ्या कथनों के लिए विभिन्न उपचारों पर चर्चा की जाएगी जो एक पीड़ित निवेशक को मिलती है।

8.2 प्रविवरण का अर्थ तथा महत्व

धारा 2(70) के अनुसार प्रविवरण (प्रास्पेक्टस) एक ऐसा प्रलेख है जो प्रविवरण के रूप में वर्णित या निर्गमित किया गया हो और जिसमें रेड हैरिंग प्रविवरण या शेल्फ प्रविवरण या ऐसी कोई सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रलेख भी शामिल हैं, जो किसी निगमित निकाय की प्रतिभूतियों के लिए अभिदान या क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करते हों। अतः प्रविवरण केवल एक विज्ञापन ही नहीं, यह एक परिपत्र या केवल सूचना भी हो सकता है। किसी दस्तावेज के प्रविवरण होने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है:–

(क) यह किसी निगमित निकाय के शेयर या डिबेंचर के क्रय के या अभिदान के लिए आमंत्रित करता है।

(ख) पूर्वकथित आंमत्रण जनता को दिया जाता है।

जनता को प्रस्ताव (offer) क्या होता है ?

धारा 42(4) के अनुसार किसी भी प्रस्ताव या आमंत्रण (invitation) को जनता को प्रस्ताव के रूप में माना जाएगा यदि ये धारा 42(3) के अनुसार प्राइवेट स्थापन (private placement) नहीं हैं। धारा 42 (3) के स्पष्टीकरण (III) और उस के अन्तर्गत बनाए नियमों के अनुसार कम्पनी सूचीबद्ध है या नहीं यदि जिस वर्ष में 200 व्यक्तियों से अधिक संख्या को प्रतिभूतियां आबंटित करने का प्रस्ताव करती है या अभिदान आमंत्रित करती है या आबंटन के लिए करार करती है चाहे प्रतिभूतियां के लिए भुगतान प्राप्त हुआ है या नहीं या कम्पनी भारत में या भारत के बाहर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध करने का आशय रखती हैं या नहीं तो उसे जनता के लिए प्रस्ताव समझा जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि कोई कम्पनी एक वित्तीय वर्ष में अभिदान आमंत्रित करती है या कोई प्रतिभूतियां आबंटित करती है तो उसे जनता के प्रस्ताव माना जाएगा। 200 व्यक्तियों की संख्या की गणना करते समय निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

1. योग्य संस्थागत क्रेता (qualified institutional buyers)
2. कर्मचारी 'स्टॉक विकल्प' की स्कीम के अंतर्गत जिन कर्मचारियों को धारा (62)(1)(b) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूतियां प्रस्तावित की गई हैं।

प्रविवरण होने के लिए यह जनता को निर्गमित किया जाना चाहिए। केवल एक निजी सूचना को आमंत्रण नहीं माना जाता **[Nash vs. Lynde (1929)]** । इस केस में एक प्रलेख की कई प्रतियां, जिन के ऊपर "निजी और गोपनीय" शब्द अंकित थे और जिस में शेयरों के प्रस्तावित निगर्मन का विवरण दिया था और उन के साथ आवेदन पत्र के फार्म भी संलग्न थे प्रबन्ध निदेशक ने सह–निदेशक को भेजे। सह–निदेशक ने इस की एक प्रति सालिसिटर के पास भेज दी उस ने उसे अपने किसी ग्राहक को दे दी और उस ग्राहक ने अपने किसी संबधी को दे दी। इस प्रकार यह दस्तावेज मित्रों के एक छोटे निजी समूह में ही घूमा। निर्णय दिया गया कि प्रलेख जनता को निर्गमित प्रविवरण नहीं था।

इस के अतिरिक्त यह नोट करें कि सामान्यत अनुबन्ध विधि में कोई निमन्त्रण जनता को निमन्त्रण नहीं माना जाएगा यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस का परिणाम यह नहीं होता कि कोई और व्यक्ति प्रतिभूतियों का क्रय या अभिदान करना चाहते हैं उन्हें उपलब्ध नहीं होता उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जिन्हें निमन्त्रण दिया गया हो। 'A' को एक निमत्रंण मिलता है, 'B' जो 'A' का मित्र है वह अभिदान करना चाहता है 'B' का प्रस्ताव माना नहीं जाएगा क्योंकि उसे निमत्रंण नहीं दिया गया था और यह जनता को आमंत्रण नहीं माना जायेगा। इस के दूसरी ओर यह जनता को आमंत्रण माना जाएगा यदि 'B' का प्रस्ताव भी माना जाता है। निदेशक के सगे–संबधियों को शेयर खरीदने का प्रस्ताव जनता को दिया आमन्त्रण नहीं माना जाता **(Rattan Singh vs. Managing Director, Moga Transport Co. Ltd, 1959)।**

आप को याद रखना चाहिए कि प्रविवरण कम्पनी द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह एक प्रस्ताव करने का निमंत्रण है। एक कम्पनी प्रविवरण जारी करके जनता को शेयर, ऋणपत्र और दूसरी प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए आंमत्रित करती है। जो व्यक्ति कम्पनी के शेयर क्रय करना चाहता है उसे आवेदन पत्र भर कर आवेदन शुल्क के साथ उसे जमा करना होता है। आवेदनकर्ता का यह कार्य जितने शेयर आवेदन पत्र में लिखे हैं उन्हें क्रय करने का एक प्रस्ताव है। कम्पनी निदेशक मंडल उस शेयर आवेदन फार्म के उत्तर में शेयर आबंटित करेगा। निदेशक मंडल का यह कार्य शेयर खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति देना है। अतः कम्पनी और आवेदनकर्ता के बीच एक अनुबन्ध पूर्ण अनुबन्धात्मक अधिकारों और दायित्वों के साथ होता है।

धारा 33 के अनुसार (1) "किसी कम्पनी की किन्हीं प्रतिभतियों के क्रय के लिए कोई आवेदन पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे पत्र के साथ संक्षिप्त प्रविवरण (abridged prospectus) न लगा हो। आवेदन पत्र के साथ संक्षिप्त प्रविवरण लगाने की आवश्यकता नहीं है यदि यह दर्शित किया जाता है कि "आवेदन पत्र"

(क) ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में कोई अभिगोपन अनुबंध के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को सदभावपूर्ण आंमत्रण के संबंध में जारी किया गया था; या

(ख) ऐसी प्रतिभूतियां के संबंध में जारी किया गया था जो जनता को प्रस्तावित नहीं की गई थीं।

(2) प्रविवरण की एक प्रति, अभिदान सूची और प्रस्ताव बंद किए जाने के पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे दी जाएगी।

(3) यदि कोई कम्पनी इस धारा के प्रावधानों का पालन करने में चूक करती है तो वह ऐसी प्रत्येक चूक के लिए पचास हजार रुपए के जुर्माने के लिए दायी होगी।

धारा 2(1) के अनुसार 'संक्षिप्त प्रविवरण (abridged prospectus) से अर्थ ऐसे ज्ञापन से है जिसमें किसी प्रविवरण की ऐसी मुख्य विशेषताएं अन्तर्विष्ट हैं, जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस विषय में विनियम बनाकर निर्धारित की जाएं।

नोटः– यहां शब्द ज्ञापन का अर्थ एक नोट, रिपोर्ट या पूर्ण विवरण है सीमानियम से नहीं।

8.3 प्रविवरण की विषय–वस्तु

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 26 के अनुसार, प्रविवरण की विषय वस्तु में शामिल किया जाएगाः –

(i) प्रविवरण में दी जाने वाली सूचनायें

(ii) प्रविवरण मे दी जाने वाली रिपोर्टें

(iii) घोषणाएं

(iv) अन्य विषय

प्रविवरण में दी जाने वाली सूचनायें :

कम्पनी अधिनियम की धारा 26(1), कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित, के अनुसार प्रविवरण को दिनांकित व हस्ताक्षरित होना चाहिए। प्रविवरण में इस प्रकार की सूचना दी जानी चाहिए जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श के साथ निर्दिष्ट की गयी हैं।

घोषणा

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में घोषणा तथा इस आशय का कथन कि प्रविवरण की कोई बात इस अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों और उन के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रतिकूल नहीं हैं।

अन्य विषय

प्रविवरण ऐसे अन्य विषयों का कथन करेगा और ऐसी रिपोर्ट वर्णित करेगा, जो विहित की जाएं।

प्रविवरण में विशेषज्ञ का कथन

प्रविवरण में कभी किसी विशेषज्ञ का कथन भी दिया होता है। शब्द "विशेषज्ञ" के अन्तर्गत इंजीनियर, मूल्यांकक, लेखापाल, कम्पनी सचिव, लागत लेखापाल या कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल होता है जिसे कानून द्वारा सर्टिफिकेट देने का अधिकार होता है। किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रविवरण में शामिल नहीं की जायेगी जब तकः

(i) विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति न हो जो किसी कम्पनी के गठन या प्रवर्तन या उसके प्रबंध में लगा हो या हितबद्ध है या रहा हो,

(ii) उस ने प्रविवरण जारी करने के लिए अपनी लिखित सहमति न दी हो और रजिस्ट्रार को पंजीकरण के लिए प्रविवरण की कोई प्रति भेजने से पूर्व सहमति वापस न ले ली हो।

(iii) सहमति जो उस ने दी है और उसे वापिस नहीं लिया है, यह कथन प्रविवरण में सम्मिलित किया जाएगा।

अपवाद

धारा 26 की ऊपर लिखी कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगीः –

(i) **अधिकारिक निर्गमन (Rights Issue)**: किसी कम्पनी के वर्तमान शेयरधारकों या डिबेचर धारकों को कम्पनी के शेयरों या उस के डिबेंचरों के संबंध में प्रविवरण या आवेदन पत्र जारी करना। चाहे किसी आवेदक को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में शेयरों को छोड़ देने का अधिकार है या नहीं।

(ii) **शेयरों या डिबेचरों का सभी प्रकार से एक समान होना** : धारा 26 के प्रावधान ऐसे शेयरों या डिबेंचरों से सम्बंधित प्रविवरण के निर्गमन या आवेदन पत्र पर लागू नहीं होंगे जो पूर्व से जारी किए गए शेयरों या डिबंचरों से सभी प्रकार से एक समान हैं या समान होंगे और तत्समय किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गये हैं या कोट (quote) किये गये हैं।

प्रविवरण में अनुबन्ध की शर्तों या उद्देश्यों में फेरबदल (धारा 27)

कोई कम्पनी, किसी भी समय, प्रविवरण में निर्दिष्ट किसी अनुबंध की शर्तों या उद्देश्यों को, सिवाय विशेष प्रस्ताव के द्वारा, फेरबदल नहीं कर सकती । परन्तु ऐसे प्रस्ताव की सूचना में शेयर धारकों को फेरबदल का औचित्य दर्शाना होगा तथा उसे उस शहर के समाचार पत्रों में (एक अंग्रेजी तथा एक स्थानीय भाषा के) जहां कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, भी प्रकाशित किया जाना चाहिए

और यह कि ऐसी कोई कम्पनी प्रविवरण के माध्यम से उस के द्वारा जुटाई गई किसी रकम का किसी अन्य सूचीबद्ध कम्पनी के साधारण शेयर क्रय करने, उस में व्यापार करने या अन्यथा व्यवहार के लिए उपयोग नहीं कर सकती।

बाहर निकलने का विकल्प (exit option)

कम्पनी अधिनियम 2013 में पहली बार शेयर धारकों को बाहर निकलने के विकल्प का अधिकार दिया है जो प्रविवरण में विनिर्दिष्ट अनुबन्धों की शर्तों और उद्देश्यों में फेरबदल करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। बाहर निकलने का विकल्प प्रवर्तकों या नियंत्रक शेयरधारकों द्वारा ऐसी निर्गम कीमत पर और ऐसी विधि और शर्तों को पर दिया जायेगा जो प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा इसके हेतू विनियम बनाकर विनिर्दिष्ट की जाएं।

कम्पनी के कुछ सदस्यों द्वारा शेयरों के विक्रय का प्रस्ताव (धारा 28)

आप नोट करें कि कम्पनी अधिनियम 2013 में पहली बार इस का प्रावधान किया है कि कम्पनी के कुछ सदस्य अपने शेयरों के विक्रय का प्रस्ताव कर सकते हैं जो कम्पनी के द्वारा उनकी ओर से किया जायेगा।

इस के अनुसार जहां किसी कम्पनी के कुछ सदस्य, निदेशक बोर्ड के परामर्श से, किसी विधि के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा संपूर्ण शेयर धारण या उस का भाग

जनता को प्रस्थापित करने का प्रस्ताव करतें है वहां वे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो विहित की जाएं, ऐसा कर सकेंगे। (चाहे एक या बहुत शेयर धारक हों)। ऐसे सदस्य सामूहिक रूप से उस कम्पनी को जिसके शेयर जनता को विक्रय के लिए प्रस्तावित किए गये है अपने लिए और उनकी ओर से विक्रय के लिए प्रस्थापना के संबंध में सभी कार्यवाई करने के लिए प्राधिकृत करेंगे और इस विषय में वे कम्पनी द्वारा किए गये व्यय की प्रतिपूर्ति करेंगे।

धारा 28 के अनुसार कोई दस्तावेज जिस के द्वारा जनता को विक्रय की प्रस्थापना की गई है; सभी प्रयोजनों के लिए कम्पनी द्वारा जारी किया गया प्रविवरण समझा जाएगा और प्रविवरण की विषय वस्तु और प्रविवरण में गलत कथनों या उस में लोपो से सम्बन्धित या अन्यथा प्रविवरण से संबधित दायित्व के बारे में बनाए गये सभी कानून और नियम इस प्रकार लागू होंगे मानो यह कम्पनी द्वारा जारी किया गया कोई प्रविवरण है।

8.4 प्रविवरण से संबंधित सांविधिक अपेक्षाएं

1) **प्रविवरण को दिनांकित करना** : धारा 26 के अनुसार किसी कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से या किसी प्रस्तावित कम्पनी के सम्बन्ध में जारी किये गये प्रविवरण पर तिथि लिखी होनी चाहिए। धारा में आगे कहा गया है कि **प्रविवरण में उपदर्शित तिथि को उसके प्रकाशन की तिथि समझा जाएगा।**

2) **प्रविवरण का पंजीकरण** : धारा 26(1) के अंतर्गत जारी प्रविवरण की एक प्रति उसके प्रकाशन से पूर्व रजिस्ट्रार को भेजनी होगी। जो प्रति रजिस्ट्रार को भेजी गयी है उस पर इन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं जिनका नाम निदेशक के या प्रस्तावित निदेशक के रूप में दिया गया है या उसके अधिकृत अटारिनी द्वारा।

   उपधारा (1) के अंतर्गत जारी प्रविवरण की प्रत्येक प्रति के मुख पृष्ठ पर स्पष्ट रूप सेः

   (क) यह लिखना होगा कि उपधारा (4) के अंतर्गत यथा अपेक्षित एक प्रति पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को भेज दी गई है।

   (ख) इस धारा के अधीन अपेक्षित ऐसे दस्तावेजों का वर्णन किया जायेगा जो इस प्रकार भेजी गयी प्रति से साथ संलग्न किए जाने हैं या प्रविवरण में सम्मिलित विवरण में निर्दिष्ट किए जाते है जो दस्तावेजों को स्पष्ट रुप से विनिर्दिष्ट करें।

रजिस्ट्रार तब तक प्रविवरण का पंजीकरण नहीं करेगा जब तक उस के पंजीकरण के सबंध में इस धारा की अपेक्षाओं का पालन न किया गया हो और प्रविवरण के साथ उसमें में नामित सभी व्यक्तियों की लिखित में सहमति न लगी हो

उपर्युक्त लिखी सभी आवश्यकताएं पहले से मौजूद कम्पनियों को या जो प्रस्तावित हैं लागू होती हैं।

कोई प्रविवरण विधिमान्य नहीं होगा यदि वह उस तारीख से, जिस को उस की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजी गयी है, 90 दिनों से अधिक दिन के पश्चात् जारी किया जाता है।

प्रविवरण का पंजीकरण करने से इनकार

धारा 26(7) के अनुसार रजिस्ट्रार किसी प्रविवरण को तब तक पंजीकृत नहीं करेगा जब तक उस के पंजीकरण के संबंध में इस में इस धारा की अपेक्षाओं का पालन न किया हो और प्रविवरण के साथ प्रविवरण में नामित सभी व्यक्तियों की लिखित में सहमति न लगी हो। अतः रजिस्ट्रार प्रविवरण का पंजीकरण मना कर देगा यदि :

(क) यह दिनांकित नहीं है।

(ख) उसमें विषय, रिपोर्ट और घोषणा (declaration) नहीं है;

(ग) इस में उस विशेषज्ञ का कथन या रिपोर्ट लगी है जो कम्पनी के गठन या संवर्धन या उस के प्रबंध में लगा या हितबद्ध है या रहा हो।

(घ) इस में विशेषज्ञ का कोई कथन लगा है परन्तु उस कथन के बिना कि उस ने प्रविवरण के जारी होने पर अपनी लिखित सहमति दे दी है और ना ही प्रविवरण की कापी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण भेजने से पूर्व अपनी ऐसी सहमति वापिस नहीं ली है।

(ड़) रजिस्ट्रार को जो कापी भेजी गयी है उस पर हर उस व्यक्ति जिस का नाम निदेशक के रूप में या प्रस्तावित निदेशक के रूप में है या उनके अधिकृत अटारिनी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

उल्लघंन के लिए दंड

यदि कोई प्रविवरण इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन कर जारी किया जाता है तो कम्पनी को कम से कम पचास हजार रुपये जुर्माना किंतु जो तीन लाख रूपए तक हो सकता है किया जायेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो जानबूझ कर ऐसे प्रविवरण के जारी होने का पक्षकार है ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु तीन लाख रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा। [Section 26(9)]

विज्ञापन के रूप में प्रविवरण (धारा 30)

जहां किसी कम्पनी के किसी प्रविवरण का कोई विज्ञापन किसी भी रीति में प्रकाशित किया जाता है, उसमें सीमानियम की विषय–वस्तु जिसमें कम्पनी के उद्देश्यों, सदस्यों के दायित्व और शेयर पूँजी की रकम के बारे में और सीमानियम के हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम, और उन के द्वारा अभिदत्त शेयरों की संख्या तथा पूंजी संरचना को उस में विनिर्दिष्ट करना आवश्यक होगा।

8.5 प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता कब नहीं होती

कम्पनी को निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रविवरण जारी करना अनिवार्य नहीं है:

(1) एक निजी कम्पनी को प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) सार्वजनिक कम्पनी को भी प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती यदि निदेशकों या प्रर्वतकों को यह प्रतीत होता है कि वे व्यक्तिगत सम्बन्ध और सम्पर्क से पूँजी एकत्र कर सकते हैं तो उन्हें शेयरों या डिबेचरों का विक्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) जब कम्पनी वर्तमान सदस्यों या डिबेचर धारकों को कम्पनी के शेयरों या डिबेंचरों को उनके "अधिकार के रूप" में दे (राईट्स इश्यू) चाहे अन्य व्यक्ति के पक्ष में शेयर छोड़ने का अधिकार हो या नहीं [धारा 26(2) (a)].

(4) जहां निर्गमन ऐसे शेयरों या डिबेंचरों से संबंधित है जो पूर्व में जारी किए गए शेयर या डिबेचरों की भांति सभी प्रकार से समान हैं या समान होगें और किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यौहार किए गये हैं या कोट किए गये (quoted) हैं।

बोध प्रश्न क

नीचे दिये गए वाक्यों के उचित विकल्प चुनियेः

(i) रजिस्ट्रार प्रविवरण का पंजीकरण नहीं करेगा यदि :

(क) इस पर तारीख नहीं लिखी हुई।

(ख) विशेषज्ञ के कथन पर उस के हस्ताक्षर नहीं है।

(ग) छह माह पुरानी सूचना दी है।

(घ) उपर्युक्त सभी अवस्थाओं में,

(ii) एक प्रविवरण जो विज्ञापन के रूप में है उन में वर्णित होना चाहिए :–

(क) कम्पनी के उद्देश्य जिन के लिए उस का गठन हुआ है

(ख) सदस्यों के दायित्व।

(ग) कम्पनी की शेयर पूँजी की रकम।

(घ) इस की पूँजी सरचंना।

(ब) उपर्युक्त सभी

(iii) प्रविवरण के जारी होनी की तारीख होती हैः

(क) वह जो प्रविवरण पर छपी हुई है।

(ख) वह तारीख जिस दिन प्रविवरण प्रकाशित हुआ है।

(ग) वह तारीख जिस पर कम्पनी रजिस्ट्रार ने कम्पनी का पंजीकरण किया है।

(iii) एक सार्वजनिक कम्पनी को प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती यदिः

(क) शेयरों का अधिकारिक निर्गमन या डिबेंचर जारी किए जाएं।

(ख) जारी किए जाने वाले शेयर या डिबेंचर सभी प्रकार से समान हैं या समान होंगे या तत्समय किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सजेंज में व्यौहार किए हैं या कोट किए गए है।

(ग) जब विज्ञापन के द्वारा निमत्रंण दिया जाए।

(घ) उपर्युक्त केवल (क) और (ख) में

(ड) उपर्युक्त क, ख और ग में

8.6 मानित प्रविवरण (Deemed Prospectus/Prospectus by Implication)

सामान्यतः प्रविवरण से संबंधित कम्पनी अधिनियम के प्रावधान उन स्थितियों तक सीमित हैं जहां कम्पनी या उस की ओर से उस के शेयरों या डिबेचरों के अभिदान

के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है। इसलिए कम्पनी को एक समय संभव था कि वे प्रविवरण के सांवधिक प्रावधानों को अपने शेयर या डिबंचरों को निर्गमन संस्थाओं के द्वारा जनता को आबंटित करके टाल सकते थे। पहले कम्पनी अपने शेयर या डिबेंचर निर्गमन संस्था (Issue house) को, उसके बाद निर्गमन संस्था अपने दस्तावेजों के द्वारा जनता को इन्हे अभिदान के लिए आमंत्रित करती है। इसलिए कम्पनी बिना प्रविवरण जारी किए जनता से अप्रत्यक्ष रूप से अभिदान एकत्रित कर सकती थी।

धारा 25 निर्गमन संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के बारे में है। तदानुसार ऐसा प्रस्ताव दस्तावेज (Offer document) कम्पनी द्वारा जारी किए गया प्रविवरण माना जाता है। धारा 26 के प्रावधानों की अनदेखी को धारा 25 (धारा 26 के अनुसार प्रविवरण में कुछ रिपोर्ट और कुछ सूचनाएं देनी अनिवार्य है) में शयरों व डिबेंन्चरों के निर्गमन संस्थाओं द्वारा विक्रय के प्रस्ताव को विशेष रूप से बताया गया है।

धारा 25(1) के अनुसार जब कोई कम्पनी अपने शेयरों या डिबेन्चरों को जनता के लिए विक्रय की प्रस्थापना करने की दृष्टि से आबंटित या आबंटित करने का करार करती है, ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा जनता को विक्रय का प्रस्ताव दिया जाता है सभी प्रयोजनों के लिए कम्पनी द्वारा जारी प्रविवरण माना जाएगा।

धारा 25 की उपधारा (2) कहती है कि जब तक प्रतिकूल साबित न किया गया हो, शेयरों और डिबेन्चरों का कोई आबंटन या आबंटन करने का करार जो जनता को शेयर और डिबेन्चर के विक्रय करने की दृष्टि से किया गया माना जायेगा, यदि यह दिखाया जाता है किः

(क) शेयरों और डिबेन्चरों के विक्रय के लिए जनता को प्रस्ताव आबंटन या आबंटन करने का करार के छह मास के भीतर किया गया था; या

(ख) उस तारीख को जब प्रस्ताव किया गया था प्रतिभूतियों के संबंध में कम्पनी द्वारा लिया जाने वाला संपूर्ण प्रतिफल उस के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

मानित प्रविवरण से संबंधित अतिरिक्त अपेक्षाएं

जो दस्तावेज मानित प्रविवरण माना जाता है उस में धारा 25(3) के अनुसार कुछ और सूचनाएं धारा 26 में जो सूचनाएं अपेक्षित हैं उनके अतिरिक्त होनी चाहिए। ये अतिरिक्त सूचनाएं, जिन की अपेक्षा की गई है इस प्रकार हैंः

(क) कम्पनी द्वारा ऐसे शेयरों या डिबेंन्चरों (ऋणपत्र) के विक्रय प्रस्ताव संबंधित प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल की निवल राशि; और

(ख) अनुबन्ध का वह समय व स्थान जिसके अंतर्गत तथाकथित शेयरों या डिबेचरों (ऋणपत्रों) का आबंटन किया गया है या किया जायेगा, का निरीक्षण किया जा सकेगा। धारा 26 जो प्रविवरण के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है धारा 25(3)(iii) के अनुसार मानित प्रविवरण पर भी लागू होती है अतः जनता को प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति कम्पनी के मानित निदेशक माने जायेंगे।

जब प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है उस दस्तावेज (अर्थात् मानित प्रविवरण) पर दो निदेशकों के हस्ताक्षर होंगे।

8.7 शेल्फ प्रविवरण तथा रेड हैरिंग प्रविवरण (Self Prospectus and Red Herring Prospectus)

8.7.1 शेल्फ प्रविवरण (धारा 31)

'शेल्फ प्रविवरण' का अर्थ एक ऐसे प्रविवरण से है जिस की बाबत उस में सम्मिलित प्रतिभूतियां या एक वर्ग की प्रतिभूतियों को दोबारा कोई और प्रविवरण जारी किए बिना कुछ अवधि तक एक या अधिक निर्गमन के लिए जारी किया जाता हैं। (स्पष्टीकरण धारा 31)

धारा 31 की उपधारा (1) के अनुसार शेल्फ प्रविवरण ऐसे किसी वर्ग या वर्गों की कम्पनियों द्वारा जारी किया जा सकता है जिन्हें प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इस संबंध में विनियमों द्वारा उपबंधित करे।

कई प्रकार की प्रतिभूतियों के माध्यम से जनता से राशि जुटाना करना काफी समय ले लेता है। जब भी इस प्रकार का निर्गमन आता है, तो एक नया प्रविवरण जारी करना पड़ता है। यद्यपि यह बार बार दोहराने का कार्य है परन्तु कार्यविधि काफी समय ले लेती है। ऐसी संस्थाओं का भार कम करने हेतू "शेल्फ प्रविवरण" का आंरभ किया गया। शेल्फ प्रविवरण की अवधि प्रतिभूतियों के उस प्रविवरण के अंतर्गत प्रथम प्रस्ताव खोलने की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाद के प्रस्तावों (offering) के लिए, सूचना ज्ञापन जो विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत सूचना का नवीनीकरण को करते हुए फाइल करना होगा और पूरा सेट जिसमें शेल्फ प्रविवरण व सूचना ज्ञापन शामिल है प्रविवरण कहलायेगा और जनता में किया परिचालित जायेगा।

इस सबंध में धारा 31 के निम्नलिखित प्रावधान हैं : –

(i) शेल्फ प्रविवरण को प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमों के अन्तर्गत कोई भी वर्ग की कम्पनी या वर्गों की कम्पनियों द्वारा जारी किया जा सकता है।

(ii) एक बार जारी एवं पंजीयक के पास जमा कराने के बाद, कम्पनी को शेल्फ प्रविवरण की वैधता, जो एक वर्ष से अधिक नहीं है, की अवधि के भीतर प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रस्ताव के लिए बार–बार प्रविवरण जमा नहीं करना होगा।

(iii) जब एक कम्पनी शेल्फ प्रविवरण फाइल करती है तो वह उसके साथ में एक सूचना ज्ञापन फाइल करेगी जिस में शामिल होंगे नये प्रभार, कम्पनी की वित्तीय स्थिति में ऐसे परिवर्तन जो प्रतिभूतियों के प्रथम प्रस्ताव, प्रतिभूतियों के पूर्व प्रस्ताव और प्रतिभूतियों की उत्तरवर्ती प्रस्ताव के बीच हुए हों; उस समय के भीतर जैसा की निर्धारित किए जाए शेल्फ प्रविवरण के अंतर्गत प्रतिभूतियों को दूसरे या बाद के प्रस्ताव के पहले। जब भी ऐसी सूचना तो वह शेल्फ प्रविवण के साथ ज्ञापन जारी किया जायेगा, एक प्रविवरण ही कहलाएगा।

(iv) सूचना ज्ञापन के साथ शेल्फ प्रविवरण जो पहली प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के समय फाइल किया गया था, जनता को जारी किया जायेगा। जब भी ऐसा सूचना ज्ञापन शेल्फ प्रविवरण के साथ जारी किया जाएगा, एक प्रविवरण ही कहलाएगा।

नोटः– ज्ञापन शब्द का अर्थ यहां रिपोर्ट या विस्तार नोट या सारांश से है सीमानियम से नहीं।

8.7.2 रेड हैरिंग प्रविवरण (धारा 32)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 32 में 'रेड हैरिंग प्रविवरण' से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान हैं:–

(1) प्रतिभूतियों के निर्गमन का प्रस्ताव करने वाली कम्पनी कोई प्रविवरण जारी करने से पूर्व रेड हैरिंग प्रविवरण जारी कर सकती। रेड हैरिंग प्रविवरण ऐसा प्रविवरण है जिस में प्रतिभूतियों की कीमत या मात्रा के बारे में सम्पूर्ण विवरण नहीं है।

(2) रेड हैरिंग प्रविवरण जारी करने का प्रस्ताव करने वाली कम्पनी को अभिदान सूची और प्रस्ताव खुलने की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व यह प्रविवरण पंजीयक के पास जमा करना होगा।

(3) रेड हैरिंग प्रविवरण के वही दायित्व होंगे जो एक प्रविवरण पर लागू होते हैं।

(4) प्रविवरण या रेड हैरिंग प्रविवरण में कोई अंतर है तो कंपनी को इन अन्तरों को प्रविवरण में दर्शाना होगा।

(5) प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रस्ताव के बंद होने पर, प्रविवरण में निम्नलिखित वर्णन करना होगा।

क) जुटाई गई कुल पूंजी चाहे वह ऋण या शेयर पूंजी के रूप में प्राप्त की हो;

ख) प्रतिभूतियों का अंतिम मूल्य (closing price) और

ग) और कोई अन्य व्यौरों जो रेड हैरिंग प्रविवरण में सम्मिलित नहीं किए गए हों उनको रजिस्ट्रार और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास फाइल करना होगा।

8.8 न्यूनतम अभिदान (Minimum Subscription)

जनता को अभिदान के लिए प्रस्तावित कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों का आबंटन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रास्पेक्टस (प्रविवरण) में वर्णित राशि न्यूनतम राशि के रूप में अभिदत्त नहीं कर दी गयी हो और आवेदन के संबंध में देय राशि को कम्पनी द्वारा चेक या अन्य किसी प्रपत्र द्वारा भुगतान या प्राप्त न कर लिया गया हो (धारा 39)। यदि वर्णित न्यूनतम राशि का अभिदान नहीं किया गया है और आवेदन पर देय राशि प्रास्पेक्टस जारी करने की तारीख से तीस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट की गयी हो, प्राप्त नहीं की जाती है तो उपधारा (1) के अधीन प्राप्त राशि को ऐसे समय के भीतर और रीति में जैसा विहित किया जाए, वापस करनी होगी। Companies (prospectus and Allotment of Securities) Rules 2014 के नियम 11 के अनुसार आवेदन राशि शेयरों का निर्गमन बंद होने के 15 दिन के भीतर बिना ब्याज के लौटानी होगी। राशि न लौटाने पर कम्पनी के निदेशक जो कम्पनी के अधिकारी हैं जिससे चूक हुई है संयुक्त और पृथकतः (Jointly and severally) रूप से उस राशि को 15 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के लिए उत्तरदायी होंगे। वापस किए जाने वाली आवेदन राशि केवल उसी बैंक खाते में लौटानी होगी जहां से अभिदान भेजा गया था। कम्पनी के राशि वापस न लौटाने की दशा में प्रत्येक चूक के लिए कम्पनी तथा उसके अधिकारी प्रत्येक दिन के लिए जब तक चूक जारी रहती है 1000 रु. या एक लाख रु. दोनों में जो भी कम हो के उत्तरदायी होंगे (धारा 39(5)।

8.9 प्रविवरण में मिथ्या कथन और उसके परिणाम

भावी शेयरधारियों को प्रविवरण के द्वारा सही व विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। जिन व्यक्तियों द्वारा प्रविवरण जारी किया जाता है उन का कर्त्तव्य है कि हर बात वे सत्य बताए और कोई मूल तथ्य न छोड़ें।

असत्य कथन/मिथ्या कथन क्या होता है ?

अधिनियम की धारा 34(1) के अनुसार कोई कथन प्रविवरण में असत्य मान जाएगा यदि :

(क) यदि जिस रूप या संदर्भ में कथन सम्मिलित किया गया है वह भ्रामक है; या

(ख) जहां किसी विषय के सम्मिलित या लोप किए जाने से कोई भ्रम होने की संभावना है।

अतः जब प्रविवरण के बारे में यह तय करना है कि यह कपट पूर्ण है या नहीं केवल यह देखना ही आवश्यक नहीं है कि इस में कोई झूठा कथन है चाहे प्रविवरण में हर शब्द सत्य भी हो परन्तु मूल तथ्य को छुपाना भी इस को कपटपूर्ण बना देगा। इसके प्रभाव को जांचने के लिए इसे पूरा पढ़ना चाहिए।

रेक्स बनाम किल्सैंट (Rex vs. Kylsant (1932) के मुकदमे में कम्पनी ने एक प्रविवरण निर्गमित किया जिस में कोई मिथ्या कथन नहीं था। एक कथन के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में दिये गये लाभांश की दर बताई गई थी। यह एक सच्चा कथन था। परन्तु लाभांश व्यापारिक लाभों में से नहीं दिए गए थे। जब कि लाभांश पूंजीगत लाभों में से दिए गए थे। यह मूल तथ्य प्रविवरण में नहीं दिया गया। निर्णय दिया गया कि इस तथ्य को न बताना एक महत्वपूर्ण चूक थी। लार्ड किलसैंट जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, जिन्हें यह मालूम था कि यह झूठ है, छलकपट का दोषी करार दिया गया।

केवल चुप रहना आबंटन को रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। तथ्य को छुपाना ऐसा होना चाहिए कि यदि इसे उजागर नहीं किया गया तो जो कुछ बतलाया गया है वह बिल्कुल असत्य हो जाएगा।

पीक बनाम गारने (Peek vs. Gurney (1873)) के मामले में निर्गमित किए गए प्रविवरण में कुछ देयताओं के बारे में नहीं बताया गया था। इस से कम्पनी के समृद्ध होने का गलत धारणा बनी। प्रविवरण को असत्य घोषिता किया गया।

दायित्व और उपचार

वह व्यक्ति जिसने प्रविवरण में दिए गए कथनों पर विश्वास कर शेयरों के लिए अभिदान किया है उसे ही कम्पनी, निदेशकों या प्रर्वतकों के विरुद्ध उपचार प्राप्त है। यदि प्रविवरण में (i) मिथ्या कथन है; या (ii) मूल तथ्यों को शामिल या छोड़ दिया गया है जिस के कारण जो वर्णन किया है वह भी मिथ्या बन गया।

यह ध्यान रखिये कि किसी हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को उपलब्ध है जिस ने प्रविवरण के विश्वास पर, शेयरों या डिबेचरों को खरीदने के लिए आवेदन किया है जिस में मिथ्या कथन है। इस प्रकार शेयरों को खुले बाजार में खरीदने वाले बाद के क्रेताओं, को कम्पनी निदेशकों या प्रर्वतकों के विरुद्ध कोई उपचार प्राप्त नहीं है।

यदि प्रविवरण में मिथ्या कथन महत्वपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो सकते हैं :–

(i) दीवानी दायित्व (ii) आपराधिक दायित्व

दीवानी दायित्व

धारा 35(1) के अनुसार जब किसी व्यक्ति ने किसी कम्पनी की प्रतिभूतियों के लिए प्रविवरण में ऐसे कथन या किसी विषय के सम्मिलित या लोप किए जाने पर विश्वास करके कम्पनी की किन्हीं प्रतिभूतियों के लिए अभिदान किया है और उस के परिणाम स्वरूप कोई हानि या क्षति उठाई है तो कम्पनी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति –

(क) जो प्रविवरण जारी किए जाने के समय कम्पनी का निदेशक है;

(ख) उस ने या तो शीघ्र या समय के किसी अंतराल के पश्चात् अपने को कम्पनी के निदेशक के रूप मे प्रविवरण में नामित किए जाने के लिए स्वयं को प्राधिकृत किया है या ऐसे निदेशक बनने के लिए सहमति दी है;

(ग) जो कम्पनी का प्रवर्तक है;

(घ) जिसने प्रविवरण का जारी किया जाना प्राधिकृत किया है और

(ड.) जो धारा 26 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट कोई विशेषज्ञ है,

धारा 36 के अंतर्गत दंड के अतिरिक्त ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिस ने ऐसी हानि या क्षति हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उतरदायी होगा।

आप नोट करें कि धारा 36 में, धन का निवेश करने के लिए व्यक्तियों को कपटपूर्ण ढंग से उत्प्रेरित करने के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 36 के प्रावधानों की हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।

दीवानी दायित्व से बचाव

धारा 35(1) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति दायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि :

(क) कम्पनी के निदेशक बनने लिए सहमति देने पर भी उसने प्रविवरण के जारी किए जाने के पूर्व अपनी सहमति वापस ले ली थी, या

(ख) वह उसके प्रधिकार या सहमति के बिना जारी किया गया था; या

(ग) प्रविवरण उसकी जानकारी या सहमति के बिना जारी किया गया था और इस बात की जानकारी होने पर उस ने तुरन्त यथाचित सार्वजनिक सूचना दे दी थी कि प्रविवरण उसकी जानकारी या सहमति के बिना जारी किया गया है।

घ) विशेषज्ञ द्वारा प्रत्येक भ्रामक कथन या प्रति या रिपोर्ट का सार या मूल्यांकन के संदर्भ में, यदि उसके पास विश्वास करने का उचित आधार है और प्रविवरण जारी किए जाने के समय तक उसे यह विश्वास था कि व्यक्ति यह करने के लिए सक्षम है और आबंटन से पहले इसकी जानकारी नहीं थी।

जहां यह सिद्ध कर दिया जाता है कि प्रविवरण, कम्पनी की प्रतिभूतियों के लिए आवेदनों या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के आशय से या किसी अन्य कपटपूर्वक प्रयोजन के लिए, जारी किया गया था, उपधारा (I) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सभी या किन्हीं हानियों या क्षतियों के लिए जो किसी व्यक्ति द्वारा, उठाई गयी हों जिसने ऐसे प्रविवरण के आधार पर प्रतिभूतियों में अभिदान किया है दायित्व की किसी सीमा के बिना, व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी होगा (धारा 35(3))।

आपराधिक दायित्व

धारा (34) के अनुसार जब कोई जारी, परिचालित या वितरित किए गए किसी प्रविवरण में कोई ऐसा कथन सम्मिलित है जो असत्य है या उस रूप या संदर्भ में उसे सम्मिलित किया गया है जो भ्रामक है, या जहां किसी विषय के सम्मिलित या लोप किए जाने से कोई भ्रम होने की संभावाना है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस प्रविवरण का जारी किया जाना प्राधिकृत करता है उस को कम से कम छह महीने और अधिकतम 10 वर्ष का कारावास होगा ओर उस पर जितनी रकम छल कपट में शामिल है उतना जुर्माना हो सकता है लेकिन यह जुर्माना रकम का तीन गुणा भी हो सकता है।

आपराधिक दायित्व से उपलब्ध बचाव

आपराधिक दायित्व ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि ऐसा कथन या लोप महत्वहीन था या उसके पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार थे और प्रविवरण जारी किए जाने के समय तक वह विश्वास करता रहा था कि कथन सत्य है या सम्मिलित किया जाना अथवा लोप किया जाना आवश्यक था।

धन का निवेश करने के लिए व्यक्तियों को कपटपूर्वक उत्प्रेरित करने के लिए दंड

धारा 36 के अनुसार कोई व्यक्ति जोः–

(i) या तो जानते हुए या असावधानीवश कोई ऐसा कथन, वचन या पूर्वानुमान करता है जो मिथ्या, कपटपूर्ण या भ्रामक है या

(ii) किसी अन्य व्यक्ति को विशेष प्रकार के करार करने का प्रस्ताव करने के लिए उत्प्रेरित करने लिए किन्हीं मूल तथ्यों को जान बूझकर छिपाता है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकती है, दण्डित किया जा सकता है और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा और जुर्माने की राशि कपट में शामिल राशि से कम नहीं होगी, किन्तु यह कपट में शामिल राशि रकम के तीन गुणा तक भी हो सकती है।

करार जो धारा (36) के अन्तर्गत आते हैं; वे हैंः–

(क) प्रतिभूतियों की प्राप्ति, निपटान, उन के लिए अभिदान या अभिगोपन करने का या ऐसा करने की दृष्टि से कोई करार; या

(ख) ऐसा कोई करार, जिस का प्रयोजन या बनावटी प्रयोजन पक्षकारों में से किसी पक्षकार को प्रतिभूतियों की प्राप्ति में से या प्रतिभूतियों के मूल्य में उत्तर चढ़ाव से लाभ सुनिश्चित करना है; या

(ग) किसी बैंक या वित्तीय संस्था से उधार सुविधाएं प्राप्त करने के लिए या उस की दृष्टि से कोई करार।

प्रभावित व्यक्तियों द्वारा कार्रवाई /वर्ग द्वारा मुकदमा (धारा 34)

प्रविवरण में किसी भ्रामक कथन या किसा विषय के सम्मिलित करने या लोप करने के कारण प्रभावित किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों की किसी संस्था द्वारा धारा (34) या धारा (35) या धारा (36) के अधीन कोई मुकदमा फाइल किया जा सकता है या कोई अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

8.10 प्रविवरण का निर्माण करने का सुनहरा नियम

प्रविवरण का निर्माण करने का सुनहरा नियम (Golden Rules for framing of Prospectus) जस्टिस किंडरसेली ने (Justice Kindersely) ने (**New Brunswick & Canada Rly & Land Co. vs. muggeridge (1860)** के केस में निर्धारित किया। संक्षिप्त में नियम इस प्रकार हैः–

जो प्रविवरण जारी करते हैं वे जनता को यह कहते हैं कि जो प्रस्ताविक उपक्रम है उस के शेयर क्रय करने से उन व्यक्तियों को बहुत लाभ होगा। प्रविवरण में दिए हुए कथन के विश्वास पर जनता को शेयर क्रय करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जनता कंपनी के प्रर्वतकों की दया पर निर्भर होती है। इसलिए हर बात पूरी इमानदारी और सत्यता से बतानी चाहिए। कोई भी बात जो तथ्य नहीं है उसे तथ्य के रूप में बताना नहीं चाहिए। ना ही कोई तथ्य लोप होना चाहिए जिस के कारण प्रविवरण में जो लाभ और सिद्धांतों की प्रकृति व गुण दिए हैं, जिस के कारण शेयर क्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अन्य शब्दों में, कम्पनी के उपक्रम की सही प्रकृति बतानी चाहिए।

Rex vs Kylsant के केस में प्रविवरण में यह कथन दिया गया था कि काफी लम्बे समय 5 से 8 प्रतिशत लाभांश लगातार दिया जा रहा है। सत्य यह या कि कम्पनी प्रविवरण के जारी होने की तिथि के पिछले सात वर्षों से काफी हानि उठा रही थी। वास्तव में लाभांश पूंजीगत लाभों में से दिया जा रहा था। निर्णय हुआ कि प्रविवरण मिथ्या और भ्रामक है। कथन यद्यपि सत्य था परन्तु वह जिस संदर्भ में दिया था वह मिथ्या था।

उदाहरणार्थ, आधा सत्य, यदि पूर्ण सत्य के रूप में कहा जाए तो वह मिथ्या कथन माना जाता है। **(Lord Halsbury in Aarons Reefs vs. Twisa) ।**

अतः प्रविवरण जारी करने वाले व्यक्तियों को ना केवल प्रविवरण में अधिनियम की धारा 26 में दिए हुए सभी उचित विवरण देने चाहिये जो अनिवार्य हैं इस के अतिरिक्त अपने आप से भी दूसरी सूचनाएं जो उन की जानकारी में हैं और जो किसी भावी निवेश करने वाले निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं वह भी होनी चाहिए।

8.11 कल्पित नाम से शेयरों का आबंटन (धारा 38)

धारा 38 के अधीन कोई व्यक्ति जो :–

(क) किसी कम्पनी की प्रतिभूतियों को प्राप्त करने या उन के लिए अभिदान करने के लिए कल्पित नाम से कोई आवेदन करता है या करने का दुष्प्रेरण (abet) करता है; या

(ख) प्रतिभूतियों को अर्जित करने और उन के लिए अभिदान करने के लिए भिन्न–भिन्न नामों में या विभिन्न समुच्चयों में (combination) या अपने नाम या उपनाम में कम्पनी को बहु आवेदन करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है; या

(ग) अन्यथा किसी कम्पनी को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसे या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कल्पित नाम से प्रतिभूतियों को आबंटन करने या उनके हस्तांतरण को रजिस्ट्रर करने के लिए उत्प्रेरित करता है।

उसे ऐसी अवधि के कारावास से जो कम से कम छह माह की अवधि का हो सकता है, किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकता है। दंडित किया जा सकता है और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो कपट में अतर्वलित रकम से कम नहीं होगा और वह रकम कपट में शामिल रकम के तीन गुना हो सकती है।

ऊपर लिखे दण्डनीय प्रावधान कम्पनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक प्रविवरण में और प्रतिभूतियों के लिए आवदेन पत्र में विशिष्ट रूप से दिखाए जाने चाहिए।

जहां किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध किया गया है वहां न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा लिए गए अभिलाभों को, यदि कोई हों, वापस करने और उस के कब्जे में की प्रतिभूतियों के अभिग्रहण (seizure) और निपटान (disposal) का आदेश भी कर सकेगा।

प्रतिभूतियों के वापस करने और उन के निपटान द्वारा प्राप्त रकम को 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण' निधि में जमा किया जाएगा।

8.12 प्रस्तावित पूँजी के निर्गमन की घोषणा

कम्पनियां प्रायः प्रमुख समाचार पत्रों में प्रस्तावित शेयरों या डिबन्चरों के जारी करने की घोषणा करती हैं। कम्पनी विधि में ऐसा करना आश्यकता नहीं है। परन्तु जनता का ध्यान आर्किशत करने के लिए कि वे प्रस्तावित शेयर क्रय करें ऐसा किया जाता है। ऐसी घोषणा के ऊपर लिखा जाता है 'यह केवल घोषणा है प्रविवरण नहीं'; जिससे धारा 34 और 35 के अंतर्गत दंड देने वाले प्रावधानों से बचा जा सके। धारा 30 इस सम्बंध में कहती है कि किसी कम्पनी के प्रविवरण का विज्ञापन किसी भी रीति से प्रकाशित हुआ हो, उस में निम्नलिखित स्पष्ट रूप से देना आवश्यक हैः –

(i) सीमानियम में दिये गए उद्देश्य;

(ii) सदस्यों का दायित्व;

(iii) कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी की रकम;

(iv) सीमानियम में हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम, उनके द्वारा अभिदान शेयरों की संख्या; और

(v) कम्पनी की पूँजी की संरचना।

बोध प्रश्न ख

1) रिक्त स्थान भरियेः

   (i) एक कम्पनी को जनता को प्रविवरण जारी नहीं करना चाहिए जब तक उस की एक प्रतिलिपि..... को नहीं भेजी हो।

   (ii) शेल्फ प्रविवरण की अवधि केवल ..... रहती है।

   (iii) एक प्रविवरण जिसमें विशेषज्ञ का कथन है उसमें ..... होना चाहिए।

   (iv) पंजीकरण की तारीख से एक प्रविवरण..... दिन में जारी होना चाहिए।

2) बताइए निम्नलिखित कथन **सही** हैं या **गलतः**

   (i) एक सार्वजनिक कम्पनी अपने शेयरों का आबंटन प्रविवरण जारी किए बिना कर सकती है।

   (ii) प्रविवरण तब तक प्रविवरण नहीं कहलाएगा जब तक जनता को कम्पनी के शेयर या डिबेंचर या कोई प्रतिभूति अभिदान करने को आमंत्रित नहीं किया जाता।

(iii) प्रविवरण पर तिथि होनी चाहिये।

(iv) एक सार्वजनिक कम्पनी जो अपने मित्रों और संबंधियों को शेयर जारी करती है उसे प्रविवरण जारी नहीं करना पड़ता।

(v) यदि किसी व्यक्ति ने खुले बाजार में शेयर क्रय किए है और ना ही प्रविवरण में दिए मिथ्या कथन को पढ़ा है वह व्यक्ति शेयरों के क्रय का अनुबंध रद्द कर सकता है।

(vi) यदि किसी व्यक्ति को शेयर आबंटित हुए हैं और वह प्रविवरण में यदि कोई मिथ्या कथन पाता है तो वह क्षति के लिए कम्पनी पर वाद कर सकता है और साथ में शेयर अपने पास भी रख सकता है।

(vii) एक निदेशक पर आपराधिक दायित्व लागू नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि उस के पास विश्वास करने के उचित आधार थे कि जिस कथन को असत्य कहा जा रहा है वह सत्य है।

(viii) जब एक प्रविवरण में मिथ्या कथन है तो वे व्यक्ति जिन्होंने इसके निर्गमन को प्राधिकृत किया था उन पर 5,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

(ix) रेड हैरिंग प्रविवरण वह प्रविवरण होता है जो रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण जारी होने के बाद फाइल होता है।

8.13 सारांश

सार्वजनिक कम्पनी प्रायः अपनी शेयर पूंजी के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित करती है, निजी कम्पनी की तरह नहीं जो अपनी शेयर पूंजी मुख्यतः अपने मित्रों और सम्बधियों से प्राप्त करती है। ऐसी दशा में सार्वजनिक कम्पनी अभिदान आमन्त्रित करने के लिए प्रविवरण जारी करती है। वास्तव में कम्पनी को प्रविवरण जारी से पहले कई कदम उठाने पड़ते हैं जैसे बैंकरों, लेखा परीक्षकों, दलालों, हामीदारों की नियुक्ति स्टॉक एक्सजेंज में शेयरों को सूचीबद्ध कराना, प्रविवरण का ढांचा बनाना इत्यादि।

इस के बाद, निदेशक बोर्ड प्रविवरण जारी करने का समय तय करते हैं। इस कार्य के लिए बोर्ड कई बातों का अध्ययन करता है जैसे पूंजी बाजार की स्थिति, निवेश कर्ताओं का मिज़ाज, सरकार की राजस्व और मौद्रिक नीतियां और व्यापार की हालत।

प्रविवरण का अर्थ व परिभाषा : प्रविवरण का अर्थ ऐसे दस्तावेज से है जो प्रविवरण रूप में वर्णित और जारी किया गया है और इस के अंतर्गत रेड हैरिंग प्रविवरण या शेल्फ प्रविवरण या ऐसी कोई सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज भी हैं, जो किसी निगमित निकाय के प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए जनता से प्रस्थापनाएं आमंत्रित करते हैं। जनता को प्रस्ताव का क्या अर्थ है, धारा 42(4) कहती है कि यदि ये निजी प्रस्ताव नहीं है तो इस प्रस्ताव या निमन्त्रण जनता को निमंत्रण माना जायेगा। घारा 42(3) के स्पष्टीकरण (III) के अंतर्गत नियमों के अनुसार कोई कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है व्यक्तियों से अधिक किसी वित्तीय वर्ष में, को प्रतिभूतियों के आबंटन का प्रस्ताव या अभिदान का आमंत्रण या आबंटन का अनुबंध करती है। इसे जनता को प्रस्ताव माना जायेगा।

प्रविवरण की विषय वस्तु : कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 26 के अनुसार प्रविवरण की विषय वस्तु होगी : –

(i) प्रविवरण में सूचनाएं देना

(ii) प्रविवरण मे रिपोर्ट देना

(iii) कुछ घोषणायें

(iv) अन्य विषय

यद्यपि अधिकतर कम्पनियाँ अपनी वित्तीय अवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रविवरण जारी करती हैं, प्रविवरण जारी करना अनिवार्य नहीं है। निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रविवरण जारी नहीं करना पड़ताः

(i) एक सार्वजनिक कम्पनी को जनता से अभिदान लेने की आवश्यकता नहीं यदि प्रर्वताकों और निदेशकों का यह प्रतीत होता है कि वे व्यक्तिगत सम्बन्धों और सर्म्पक से पूँजी एकत्र कर सकते हैं।

(ii) जब वर्तमान शेयर धारियों या डिबेंचर धारियों को अधिकार के रूप में शेयर या डिबेंचर प्रस्तुत किए जाऐं।

(iii) जब शेयर या डिबेंचर जो पूर्व में जारी किए गए है और शेयर या डिबंचर सभी प्रकार से पहले के समान हैं और किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यौहार किए जाते है या उद्घृत हैं

(iv) जब जनता को विज्ञापन द्वारा निमन्त्रण दिया जाए।

कोई कम्पनी किसी भी समय, प्रविवरण में निर्दिष्ट किसी अनुबंध की शर्तों या उद्देश्यों के सिवाय, विशेष प्रस्ताव द्वारा, फेर बदल नहीं करेगी। इसके साथ कम्पनी उन शेयर धारकों को जो इन फेर बदल करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। उन्हें छूट देगी कि वे अपने शेयर की कीमत कम्पनी से ले सकते हैं।

प्रविवरण से संबधित कानूनी आवश्यकताएं धारा 26 के अनुसार, प्रविवरण के किसी कम्पनी द्वारा या उस की ओर से या किसी प्रस्तावित कम्पनी से सम्बधित जारी होने पर उस पर तारीख प्रकाशित होनी चाहिए। धारा आगे कहती है कि प्रविवरण पर लिखी तारीख को उस के प्रकाशन की तारीख को समझा जाएगा। इस धारा के अनुसार प्रविवरण की एक प्रति रजिस्ट्रार को इस के प्रकाशन की तारीख वाले दिन या पहले सुपुर्द की जाएगी।

रजिस्टार जब तक प्रविवरण का पंजीकरण नहीं करेगा जब तक उस के पंजीकरण के संबंध में इस धारा की आवश्यकताओं का पालन न किया हो और साथ में उन व्यक्तियों की लिखित में सहमति नहीं लगी हो जिन को प्रविवरण में नामित किया गया है।

कोई प्रविवरण जिस तारीख से एक प्रति रजिस्ट्रार को सुपुर्द की गई थी उस तारीख से 90 दिन के बाद जारी नहीं किया जाएगा।

मानित प्रविवरणः प्रविवरण से सम्बधित प्रावधानों की अनदेखी रोकने के लिए धारा 25 के अनुसार सारे दस्तावेज जिन के द्वारा शेयरों या डिबेंचरों का विक्रय करने के लिए प्रस्ताव किया जाए प्रविवरण शब्द की परिभाषा में आते हैं। इसलिए, निर्गमन संस्था के माध्यम से शेयर या डिबेंचरों के क्रय का निमंत्रण करने पर भी प्रविवरण से सम्बंधित प्रावधानों का पालन करना होगा, यदि इस में कुछ शर्तें पूरी कर दी गई हों।

इसके अतिरिक्त कोई कम्पनी प्रविवरण जारी करने से पहले, जनता को निर्गमन का प्रस्ताव करती है तो वे रेड हैरिंग प्रविवरण जारी कर सकती है। रेड हैरिग प्रविवरण

वह प्रविवरण होता है जिसमें सम्मिलित प्रतिभूतियां की मात्रा या कीमत की पूरी विशिष्टियों को सम्मिलित नहीं किया जाता।

प्रविवरण में मिथ्या कथन : यह सुनिश्चित करने के लिए कि भावी निवेशक छल कपट में न फंस जाएं प्रविवरण में सकारात्मक मिथ्या वर्णन या जानबूझ कर विशेष मूल जानकारी को लोप किया हो, के कारण पीड़ित पक्ष को, जिसने प्रविवरण में मिथ्या वर्णन या चूक पर विश्वास कर शेयरों का अभिदान दिया है, के लिए कुछ उपचार हैं। यह उपचार हैं: अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार और कम्पनी व अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजना जो कारागार के रूप में हो सकती है जो छह माह से कम नहीं होगी परन्तु दस वर्ष तक हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है जो कपट में अंतवलित राशि से कम नहीं होगा किन्तु वह इस रकम का तीन गुना भी हो सकती है।

कल्पित नाम से शेयरों का आबंटन : धारा 28 के अधीन किसी कल्पित नाम से कम्पनी के शेयर क्रय करने का आवेदन नहीं हो सकता। इस धारा में ऐसे कार्य के लिए कम से कम छह मास का कारावास हो सकता है और जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने भी हो सकता है जो कपट में अतंर्वलित रकम से कम नहीं होगा, किन्तु वह कपट में अंतविलित रकम के तीन गुना तक भी हो सकता है।

8.14 शब्दावली

न्यूनतम अभिदान (Minimum Subscription): यह वह राशि जो प्रविवरण में बताई गई है और SEBI विनियम 2009 के अनुसार किसी भी दशा में निर्गमन राशि 10% के कम नहीं हो सकती। न्यूनतम अभिदान न जुटाने पर कम्पनी को सारी आवेदन राशि लौटानी होगी।

प्रविवरण (Prospectus): यह कम्पनी द्वारा निर्गमित एक प्रलेख है जिसके द्वारा कम्पनी की शेयर पूँजी के लिए अभिदान करने की जनता को आमंत्रित किया जाता है।

संक्षिप्त प्रविवरण : इस का अर्थ उस ज्ञापन से है जिसमें मुख्य विशेषताएं है जो एक प्रविवरण में होती हैं और जो सेबी (Sebi) द्वारा विहित की जाएं।

शेल्फ प्रविवरण : एक ऐसा प्रविवरण जो कम्पनी द्वारा एक या अधिक उन प्रतिभूतियों के निर्गमन के लिए जारी किया जाता है जो उस प्रविवरण में निर्द्धिष्ट हों। यह एक वर्ष के लिए होता है। ऐसी कम्पनी को हर बार प्रविवरण जारी नहीं करना पड़ता जब तक वह प्रतिभूतियों जनता को निर्गमित करती है। ऐसी कम्पनी को केवल एक सूचना ज्ञापन फाइल करना होता है जिसमें कम्पनी की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन नया प्रभार आदि का वर्णन होगा।

रेड हैरिंग प्रविवरण : एक ऐसा प्रविवरण जिसमें प्रतिभूतियों की कीमत व मात्रा के बारे में पूरा विवरण नहीं है।

निर्गमन संस्था: ऐसी निवेश बैंकिग फर्म जिसका कार्य शेयरों या डिबेंचरों का अभिगोपन करना है और जनता को प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करना है।

सूचना ज्ञापन : यह शेल्फ प्रविवरण के साथ जारी होता है और इसमें सब मूल तथ्य, जो, नए प्रभार, वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों जो कई प्रस्तावों के बीच हुए हैं देने होंगे और अन्य प्रवर्तन जो विहित किए जाएं।

मानित प्रविवरणः एक ऐसा प्रपत्र जब कम्पनी अपने अंशो के आबंटन का विक्रय प्रस्ताव निगर्मन संस्था द्वारा करती है।

8.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

(क) (i) घ (ii) c (iii) d (iv) घ

(ख) (i) कम्पनी रजिस्ट्रार (ii) एक वर्ष (iii) विशेषज्ञ की स्वीकृति कथन (iv) 90 दिन

2. (i) सही (i) सही (iii) सही (iv) सही (v)गलत (vi) सही (vii) सही (viii) गलत (ix) गलत

8.16 स्वपरख प्रश्न

1. साधारण शेयरों का निर्गमन करने वाली कम्पनी के प्रविवरण का पंजीकरण कराने सम्बंधी कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। कौन से दस्तावेज रजिस्ट्रार को इस कार्य के लिए कम्पनी को फाइल करने पड़ते हैं?
2. मिथ्या और भ्रामक प्रविवरण के आधार पर कब और कौन शेयर के आबंटन को निरस्त कर सकता है?
3. एक कम्पनी के शेयर या डिबेंचर के निर्गमन के लिए कब प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। कब जनता को शेयर अभिदान करने के आमंत्रण को जनता के लिए नहीं माना जाता?
4. विशेषज्ञ कौन होता है ? उस के द्वारा प्रविवरण में प्रकाशित हुई रिपोर्ट में मिथ्या कथन पर उस के दायित्व क्या हैं ?
5. प्रविवरण में मिथ्या कथन के लिए निदेशकों और कम्पनी के दायित्वों को बताएं। कोई निदेशक प्रविवरण में मिथ्या कथन के लिए पीड़ित पक्ष के लिए कब उत्तरदायी नहीं होता ?
6. टिप्पणी लिखिए :–
   i) शेल्फ प्रविवरण
   ii) रेड हैंरिग प्रविवरण
7. मानित प्रविवरण क्या होता है? मानित प्रविवरण से सम्बंधित कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
8. निम्नलिखित समस्याओं का कारण सहित उत्तर दीजिएः
   (i) 'X' कम्पनी लिमिटेड केस में एक रबड भू–क्षेत्र क्रय करना चाहती थी। इस के प्रविवरण में एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट के कुछ अंश लिखे थे जिस में भू क्षेत्र में पेड़ों की संख्या दी हुई थी। रिपोर्ट गलत थी। क्या किसी शेयरधारी को इस कथन के विश्वास पर कम्पनी के शेयर क्रय करने पर कम्पनी के विरूद्ध कोई उपचार उपलब्ध हैं ? जिन व्यक्तियों ने प्रविवरण जारी करने को अधिकृत किया था क्या अपने दायित्व से बच सकते हैं ?
   (ii) कम्पनी ने एक प्रविवरण जारी किया जिस में कुछ व्यक्तियों द्वारा काफी अधिक धन का अभिदान करने का वचन था ताकि जनता को शेयर खरीदने के लिए उत्प्रेरित किया जा सकें। वादी को दस शेयर आबंटित हुए उसने मूल मिथ्या कथन का आरोप लगाया, निर्णय दीजिए।

(iii) 'क' ने 'ब' से एक कम्पनी के प्रविवरण के गलत कथन के आधार पर 1000 शेयर क्रय किए। कम्पनी के विरूद्ध 'क' को कौन से उपचार प्राप्त हैं?

(iv) एक कम्पनी ने एक प्रविवरण निर्गमित किया जिस ने सब कथन सत्य थे। एक कथन में पिछले कुछ वर्षों में दिए गए लाभांश की दर बताई गई थी परन्तु लाभांश व्यापारिक लाभों मे से नहीं दिए गए थे बल्कि पूंजीगत लाभों में से दिए गए थे। एक शेयरधारी अनुबंध इस बात पर निरस्त करना चाहता है कि प्रविवरण मे मूल सूचनाएं मिथ्या थी। निर्णय दीजिए।

संकेतः

i) शेयर धारक को कम्पनी से हर्जाना लेना का अधिकार है। जिन व्यक्तियों ने प्रविवरण जारी करने के लिए प्रधिकृत किया था वे उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उन्होने विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर निर्भर किया था। परन्तु विशेषज्ञ के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

ii) शेयर धारक को शेयर वापिस करने और हर्जाना वसूल करने तथा मूल्य वापिस लेने का अधिकार है। कम्पनी और वो व्यक्ति जिन्होंने प्रविवरण जारी किया है उन के विरूद्ध आपराधिक दायित्व बनता है।

iii) 'क' को कोई उपचार प्राप्त नहीं है क्योंकि उस ने कम्पनी से शेयर क्रय नहीं किए।

iv) हां, शेयरधारी सफल होगा (देखें रेक्स बनाम केलसेंट वाद)

नोट : इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY